द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५८

मंगलवार, २ मई, १९६१
१२ वैशाख १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)   चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए .	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	६०८१––६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६१०१––६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५––३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९––४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१––७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८०—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में . .	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	६१८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक .	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव .	६१८५—९१
खंड २, ३ और १ .	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव . .	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२ . . .	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में . .	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/ ६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९ . . .	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन .	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें —१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५—

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति —	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८	६४५३--७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ .	६४७५--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२	६४७८--६५१५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें	६५१५---१६
प्राक्कलन-समिति . .	६५१६--१७
(१) कार्यवाही सारांश	
(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन	
राज्य सभा से संदेश	६५१६
विशेषाधिकार समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन .	६५१७
सभा का कार्य . . .	६५१७--१८
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित	६५१८
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित	६५१८--१९
आयकर विधेयक	६५१९--३१
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	६ १९--३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौरास्सीवां प्रतिवेदन . .	६५३१
धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प--अस्वीकृत	६५३१--४३
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	६५४३--४५
दैनिक संक्षेपिका	६५४६--५१

विषय	पृष्ठ
अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२०	६५५३—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२	६५७६—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९	६५८५—६६३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना .	६६३४—३५
कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में	६६३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६६३५—३६
राज्य-सभा से सन्देश	६६३६—३७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६६३७
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	६६३७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	६६३७—३८
विशेषाधिकार समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६६३८—३९
आयकर विधेयक, १९६१	६६३९—४३
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६६३९—४३
दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक	६६४३—६५
विचार करने का प्रस्ताव	६६४३—६२
खंड २ और तीन	६६६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	६६६६—७३
अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५०	६६७५—९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५	६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २ .	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६६, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . .	६८९७—६९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	६८९७—६९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय | पृष्ठ

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . ६९५७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . . ६९५९—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ४५८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख . ६९७६—७०२४

भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य ७०२४—२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . . ७०२५—२६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७०२६—२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ७०२८

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

कर्यवाही सारांश ७०२८

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ७०२८

राज्य-सभा से सन्देश . . . ७०२९

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन ७०२९

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ७०२९—५३

खंड २ से २८ और खंड १ ७०४९—५३

पारित करने का प्रस्ताव . ७०५३

सदस्य को सजा ७०५३

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . . ७०५४—५६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७०५६—६३

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा ७०६३—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७०६६—७५

विषय	पृष्ठ
अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शाक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, .	७०७७—९७
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . .	७०९८—७१०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१	७१०४—०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३	७१०७—४६
स्थगन प्रस्ताव	७१४६—४८
स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	७१४८-४९
१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।	
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।	
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।	
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।	
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।	
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७१४९—५१
राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	७१५१
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	७१५२
कार्यवाही सारांश	
याचिका संबंधी	७१५२
कार्यवाही सारांश	
प्राक्कलन समिति	
कार्यवाही सारांश	७१५२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	७१५२
प्राक्कलन समिति	७१५२
एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन	

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४—६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१—६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस	
विचार करने का प्रस्ताव	७१६५—९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का)	
विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४—९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००—०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०—१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २ मई, १९६१

१२ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब में जाली पारपत्रों के मामले

†*१८३३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में जाली पारपत्रों के सिलसिले में अब मुकदमे चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मुकदमे चल रहे हैं और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहे हैं ; और

(ग) इस प्रकार की जालसाजी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां।

(ख) जाली पारपत्रों के संबंध में पंजाब में २२ मामले विचाराधीन हैं जिनमें ९१ व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग हैं।

(ग) पारपत्रों पर फोटो बदलने की संभावना रोकने के लिये फोटो पर सरकारी मुहर की खुदाई कर दी जाती है। पारपत्र जारी करने वाले कुछ अधिकारी इस प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को परफोरेटिंग मशीनें सप्लाई करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। पारपत्रों पर फ़ोटो के कोने में पंच करने के लिये आइवेट मशीनों के प्रयोग की एक योजना की छानबीन की जा रही है। इन उपायों के अलावा बाहर जाने के स्थानों पर यात्रा प्रलेखों की कड़ी जांच शुरू की गयी है और पंजाब में इसके लिये स्पेशल पुलिस तैनात की गयी है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या कोई नय मामले भी अभी हाल में दर्ज हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

579 (Ai) LSD.—1

†**श्री सादत अली खां** : कुछ मामले हमारी नजर में आये हैं और कार्यवाही हो रही है। कुछ गिरफ्तारियां की गयी हैं और मामलों की जांच पड़ताल हो रही है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या पंजाब की कुछ ट्रैवल एजेंसियों का भी इन मामलों में हाथ है और यदि हां, तो क्या अब भी उन्हें मान्यता प्राप्त है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी हां। उनका इन मामलों में हाथ है। वास्तव में इन मामलों के लिये जिम्मेदार कुछ एजेंसियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है।

†**श्री त्यागी** : जिन लोगों पर अभियोग लगाया गया है क्या वे व्यक्तिगत रूप से काम करते थे या एक षड्यंत्र के लिये एक दल में एक साथ काम करते थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: इस जैसे बड़े संगठन में दल का कार्य निश्चित है। वह एक षड़यंत्र के तौर पर ही था।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है कि पंजाब में ही सारी बातें होती हैं, गोल्ड का स्मग्लिंग होता है जाली पासपोर्ट बनते हैं, सब कुछ होता है, क्या सरकार ने इसका पता लगाया है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिस तरीके से यह सवाल पूछा गया है उस पर मुझे घोर आपत्ति है। यह भारत के हर राज्य में हो रहा है।

†**श्री त्यागी** : मैं विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : नहीं, नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : बात यह है कि किसी कदर पंजाब के लोगों में जोश ज्यादा है, खून, ज्यादा गर्म है, और इसी लिये वे तरक्की करते हैं, और इसी लिये कभी कभी आपस में लड़ते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो जाली पासपोर्ट बनाये गये उनमें से क्या सचमुच कुछ लोग यात्रा कर चुके हैं ? और यदि हां, तो कुछ पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो यात्रा कर चुके हैं ?

श्री सादत अली खां : उनमें से बहुत से तो रिपैट्रिएट हो गये हैं, वापस चले गये हैं। उनकी तादाद क्या है यह मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग अन्डरट्रायल भी हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी तक इंग्लैंड में काफी तादाद में ऐसे लोग पड़े हैं, और जब जब में पिछले दो तीन वर्षों में वहां गया हूं, वे मेरे पास आये हैं ताकि हम उनको पासपोर्ट दे दें। उन्होंने पासपोर्ट मांगा और अपनी हालत बतलाई। बात ऐसी है कि कुसूर उतना उनका नहीं था जितना उन लोगों का जिन्होंने उनको एक्स्प्लायट किया था। अब वे वहां रह कर ऐसी हालत में हो जाते हैं हैं कि वे न इंडियन नैशनल्स हैं न और। स्टेटलेस हो जाते हैं। इस बात पर हम गौर कर रहे हैं और कुछ लोगों को शायद हमारे यहां पासपोर्ट मिले भी।

†**डा० विजय आनन्द** : इसमें और कौन कौन से दूसरे राज्य संबद्ध हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : अभी हाल में मद्रास में कुछ गिरफ्तारियां की गयी थीं। केरल भी है दूसरे स्थानों की सूची मेरे पास नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हवाई अड्डों पर जो कार्यवाही हमने की उससे काफी लोगों का जाना रुक गया। वे विमान द्वारा ही जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने कोचीन से जहाज के जरिये जाने की विशेष व्यवस्था की। हम अचम्भे में पड़ गये क्योंकि हमने यह नहीं सोंचा था कि कोचीन से जाने के लिये वह एक खास जहाज ठीक कर लेंगे। इस तरह सैंकड़ों लोग गये और बाद में यह बात हमारे ध्यान मे आयी। उन्हें रोम, पेरिस और दूसरी जगहों पर रोका गया। कुछ लोगों को वापस भेजा गया और कुछ अब भी वहां हैं। ये मुकदमें उसी विशिष्ट प्रयत्न के फलस्वरूप ही चल रहे है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** जिन पदाधिकारियों की इसमें सांट-गांट थी क्या उन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझ किसी खास पदाधिकारी के बारे में मालूम नहीं है लेकिन जो भी कोई अपराधी पाया गया उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या सरकार को मालूम है कि केरल में कई ट्रैवल एजन्सियों का इसमें हाथ है और यदि हां तो उन एजन्सियों के विरुद्ध जो भारत सरकार द्वारा मान्य हैं, कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कुछ ट्रैवल एजन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। मुझे केरल के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन जो दिल्ली और पंजाब में हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इन मामलों की जांच पड़ताल पंजाब पुलिस कर रही है या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में कोई अलग व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस और सेन्ट्रल इन्टलिजेंन्स एण्ड इन्वस्टिगेशन एजन्सी दोनों ही एक दूसरे के साथ घनिष्ट सम्पर्क से काम कर रहे हैं।

ट्राम्बे में उर्वरक कारखाना

†*१८३४. { **श्री पांगरकर :**
　　　　 श्री कोइटकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्राम्बे में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५)**

†**श्री पांगरकर :** पहले एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि इस कारखाने का रुपया खर्च पूरा करने के लिये अमरीकी सरकार ने २ करोड़ ८० लाख देने का प्रस्ताव रखा था। क्या उसमें से कोई रकम अभी तक दी जा चुकी है ?

†**श्री सतीशचन्द्र :** अमरीकी विकास ऋण निधि ने हमें ३ करोड़ डालर का ऋण देने का वायदा किया है। संयंत्र और मशीनों की सप्लाई के लिय विदेशी ठकेदारों को जब कभी भुगतान करना

---

† मूल अंग्रेजी में।

होगा तब इसमें से रकम ली जायगी। पी० एल० ४८० के अन्तर्गत भारत में एकत्रित निधि से भारतीय खर्च पूरा किया जायगा। आवश्यकता पड़ने पर सभी रकम निकाल ली जायगी।

श्री म० ला० द्विवदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ३ करोड़ रु० का ऋण अमरीका से मिला है, उस के अलावा भारत सरकार क्या खर्च करेगी, और जो ८२५ एकड़ जमीन हासिल की गई है उसके ऊपर सरकार को क्या व्यय पड़ा है ?

श्री सतीश चन्द्र : सभी खर्च सरकार करेगी। यह ऋण मिलेगा जो अदा करना होगा मय सूद के।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने यह पूछा कि कितनी लागत इस में लगेगी, अलावा अमरीका के रुपय के जो कि मिला है। और साइट के खरीदने पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : अन्दाजा है कि इस प्रोजक्ट में कुल २५ करोड़ रु० लगेगा, जिस में फारेन एक्स्चन्ज का खर्च करीब ११ करोड़ रु० होगा। अमरीका से ऋण के रूप में जो सहायता मिली है वह कुल इस प्रोजक्ट के लिय खर्च होगी और वह काफी होगी। लेकिन वह सब रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया का होगा और ऋण के रूप में वह मिलेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : साइट पर कितना खर्च होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : साइट का खर्च अभी नही मालूम हुआ क्योंकि अभी पूरा एक्विजिशन नहीं हुआ है। ८२५ एकड़ में से ५०० एकड़ जमीम मिली है, कुछ बम्बई गवनमेंट की है जिस के लिय उन्होंने कहा है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाम अभी तय नहीं हुए हैं। काम जारी हो गया

†**श्री त० ब० विट्ठलराव:** बर्मा शैल तेल शोधक कारखानों को उन का गैस लेने के लिये कितनी रकम देनी पड़ेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** तेल शोधक कारखाने से गैस के लिये बर्मा शैल को ईंधन तेल के कैलोरिफिक तत्व या ताप अंश के आधार पर भुगतान किया जायगा। यह हिसाब अबादान से आयात किये गये ईंधन तेल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य के आधार पर फैलाया जायेगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या तेल शोधक कारखानों से अतिरिक्त गैस के उपयोग के बारे में बर्मा शैल रिफाइनरी और स्टैन्डर्ड वैक्यूअम रिफाइनरी के बीच कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो इस गैस के लिये, न कि फरनेस आयल के लिये भारत सरकार ने कितना भुगतान मंजूर कर लिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** रिफाइनरी गैस केवल बर्मा शैल रिफाइनरी से ही प्राप्त किया जायगा और समझौता हो चुका है। दर निर्धारित हो चुका है जो करीब ७ रुपय प्रति १० वर्ग किलो कैलीरीज है। मुझे इसका ठीक ठीक मतलब नहीं मालूम है। इस दर के निर्धारण का सिद्धान्त यह है कि वह फरनेस आयल के ताप-अंश के आधार पर फैलाय गये मूल्य के बराबर होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** १९६२ के लिये एक लाख टन नेफ्था की सप्लाई के लिय बर्मा शैल रिफाइनरी के साथ कोई करार हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कारखाने में उत्पादन केवल १९६४ में——१९६३ के अन्त में या १९६४ के आरंभ में शुरू होगा जब इस गैस की जरूरत पड़ेगी। इस गैस के अलावा कुछ नेफ्था की जरूरत पड़ेगी और

---

†मूल अंग्रेजी में

और वह स्टैन्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी से खरीदने का विचार है जिसके लिये बातचीत चल रही है और शीघ्र ही एक अलग करार पर हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं ।

औद्योगिक सोडियम सलफेट का कारखाना

†*१८३५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक सोडियम सल्फेट का एक कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाईशाह)** : संयंत्र की स्थापना के लिये ११–४–१९६१ को जर्मन फर्म से प्राप्त सबसे ताजी संशोधित कीमतों पर विचार हो रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इन कीमतों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग एक करोड़ रुपये का निवेश है और २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा ।

श्रमिक प्रबन्धक सहयोग

+

†*१८३६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखाना–मालिकों और मजदूरों के केन्द्रीय संगठनों ने श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सहयोग की योजना को शुरू करने के लिय किन कारखानों का सुझाव दिया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ख) विवरण में उल्लिखित क्रम संख्या ८ और ९ के कारखानों को छोड़कर बाकी कारखानों के सम्बन्ध में इस विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि कई कर्मचारी संगठनों ने अभी तक कारखानों के नाम नहीं सुझाये हैं । क्या कारखानों के नाम सुझाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मालिकों ने भी नहीं सुझाये हैं । कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । लेकिन नाम प्रस्तुत करने के लिये हम उन्हें राजी कर रहे हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या माननीय मंत्री इसका कोई अंदाज बता सकते हैं कि यह योजना कब तक चालू हो जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री० ल० ना० मिश्र : यह योजना पहले ही चालू हो चुकी है। वह करीब २३ कारखानों में लागू है। हमें अभी और १७ कारखानों में उसे लागू करना है।

†श्री राधा रमण : जिन कारखानों ने इस को लागू किया है उन्हें इससे किस हद तक फायदा पहुंचा है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह ठीक ठीक बताना मुश्किल है कि परिणाम क्या है। लेकिन कुछ महीनों के दौरान, हमने राज्य सरकार की औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली की सहायता से कुछ कारखानों में इस कायक्रम के परिणाम का मूल्यांकन किया था। संयुक्त परिषद् की व्यवस्था के बाद अधिक अच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। कई कारखानों में उत्पादन बढ़ा है, कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ी है, मजदूर स्थिर हुए हैं और अधिक मुनाफा हुआ है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह शुगर फैक्टरीज में भी काम कर रहे हैं या नहीं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : अभी तक शूगर फैक्टरीज में तो कोई नहीं है लेकिन एक नाम आया है जहां वह काम करना चाहते हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : जैसा कि उपमंत्री ने बताया है, परिणाम बहुत अच्छे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रगति इतनी धीमी क्यों है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : इसे एक अग्रिम प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। अब परिणाम उत्साहजनक होने के कारण, उसे बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है। अभी हाल में एक निर्णय यह किया गया है कि प्रत्येक कारखाने में जहां एक प्रतिनिधि संघ हो, एक संयुक्त प्रबन्ध परिषद् स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया जायगा।

†श्री राधा रमण : क्या यह सच है कि बंगलौर के कुछ कारखानों में यह प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है और कुछ निर्णय जो सरकार बड़े हितों की दृष्टि से करना चाहती थी वे न तो सर्वसम्मत थे और न ही कर्मचारी उनका समर्थन करते थे ?

†श्री नन्दा : वहां कुछ और बात हुई। कर्मचारियों ने अपनी आस्था बदल दी और इसलिए कुछ समय के लिए यह परिषद् भंग कर देनी पड़ी।

उत्तर कोरिया को क्रोम-अयस्क का निर्यात

†*१८३८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर कोरिया के साथ क्रोम-अयस्क के सम्भरण के लिए कोई समझौता किया है; और

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर कोरिया को अभी हाल में १२००० टन क्रोम-अयस्क का निर्यात करना मान लिया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने १०,०००--११,००० टन क्रोम-अयस्क की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया के साथ अभी हाल में एक करार किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस क्रोम के निर्यात पर राज्य व्यापार निगम को १९५८–५९ में ३।। लाख रुपये का नुकसान हुआ था, क्योंकि जिस फर्म ने यह क्रोम सप्लाई की उसने निचले किस्म का क्रोम अयस्क सप्लाई किया और राज्य व्यापार निगम से अधिक रुपया ले लिया ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : उत्तर कोरिया के साथ यह पहला ठेका है और यह प्रश्न उत्तर कोरिया के सम्बन्ध में है

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या राज्य व्यापार निगम ने १९५८–५९ में कोई क्रोम अयस्क निर्यात किया था और यदि हां तो क्या उसे ३।। लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा ?

†**श्री सतीश** चन्द्र : माननीय सदस्य अलग सवाल पूछें। यह प्रश्न खासकर उत्तर कोरिया के सम्बन्ध में है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या राज्य व्यापार निगम ने किसी खास खान-मालिक को, जो उसका प्रिय है और जिसे हमेशा ही निगम से ये आर्डर मिलते रहे, यह आर्डर दिया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस फर्म को आर्डर मिला है क्योंकि वह आवश्यक मात्रा सप्लाई करने के लिए सक्षम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पक्षपात किया गया है या नहीं इस प्रकार के प्रश्न पूछने से क्या लाभ ? माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि क्या विज्ञापन दिया गया था और टेन्डर मंगाये गये थे और क्या वह न्यूनतम टेन्डर था ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : वही मेरा प्रश्न है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्य व्यापार निगम ने पिछले वर्षों में अन्य देशों को सप्लाई करने के लिए किसी खास फर्म से कुछ स्टाक खरीदा था । दूसरी पार्टी के ठेके से मुकर जाने के कारण यह सप्लाई नहीं दी जा सकी । वह सारा स्टाक उस फर्म के पास पड़ा हुआ था और राज्य व्यापार निगम ने उसे अब उत्तर कोरिया को निर्यात कर दिया है । अतः स्वाभाविक ही वह उसी फर्म से आया ।

द्वितीय कृषि श्रमिक जांच

†*१८४०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय कृषि श्रमिक जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस की मुख्य सिफारिशों के बारे में कोई निश्चय किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक ब्यौरा रिपोर्ट में बताया गया है, जो २१-१२-१९६० को सभा पटल पर रखी गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना आयोग ने खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय मंत्रणा समिति स्थापित की है ताकि वह खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को व्यापक रूप से देख सके, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपाय सुझा सके और उन कर्मचारियों को जमीन देकर बसाने के सम्पूर्ण कार्यक्रम की बराबर समीक्षा होती रहे ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : पहली और दूसरी जांच में मुख्य अन्तर क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : बहुत बड़ा अन्तर है । माननीय सदस्य दोनों रिपोर्टें देख सकते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या आयोग द्वारा इन दो जांचों के बाद मजदूरों की मजूरी बढ़ायी गयी है ?

†**श्री नन्दा** : हम ने दोनों रिपोर्टों के तथ्यों का विश्लेषण किया है और हमारा यह निष्कर्ष है कि इस बात को देखते हुए कि खाका, आधार और कल्पनाओं में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, आंकड़े सम्बन्धी परिणामों की तुलना नहीं हो सकती ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : खेतिहर मजदूरों पर ऋण का बोझ कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने क्या निश्चित कार्यवाही की है ?

†**श्री नंदा** : उत्तर में बताया गया है कि खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय मंत्रणा समिति नियुक्त की गयी है । अभी कुछ ही दिन पहले उसकी बैठक हुई थी और उसने इन सभी बातों को, खासकर खेतिहर मजदूरों के रोजगार की समस्या पर विचार किया था । कई उपायों पर विचार किया गया और यह समस्या हल करने के लिए सुझाव दिये जा रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : रिपोर्ट के तथ्यों की प्रामाणिकता के बारे में सरकार या किसी मंत्रालय को संदेह है ?

†**श्री नन्दा** : सन्देह का प्रश्न नहीं है । तरीके बताये गये हैं । यह पता लगा है कि जिस आधार पर तथ्यों का पता लगाया जाता है वह आधार पहले आधार की तुलना में अब बदल देना होगा ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या उससे रिपोर्ट के निष्कर्षों पर काफी प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री नन्दा** : उदाहरणार्थ, रोजगार की तीव्रता है उस तीव्रता का मापदंड अब बदल गया है । पहले कुछ जमीन वाले लोगों को उसमें शामिल किया गया था । अब उन्हें वर्जित कर दिया गया है । उस हद तक उनकी आय की तुलना नहीं की जा सकती ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या जांच से यह निष्कर्ष निकला कि जब तक कृषि उत्पादन का मूल्य-स्तर बढ़ाया न जाये तब तक खेतिहर मजदूरों की मजूरी बढ़ायी नहीं जा सकती ?

†**श्री नन्दा** : यह नीति का प्रश्न है जो रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है । लेकिन मैं यह बता दूं कि जांच से यह स्पष्ट होता है कि खेतिहर मजदूरों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है ।

†**श्री वे० ईयावरण** : क्या प्रति दिन काम के घंटे निश्चित करने की कोई योजना है ताकि लोगों को ओवरटाइम मिले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : जो हां। जो सुझाव मंजूर किये जा रहे हैं उनमें ग्रामीण कर्मचारियों के लिए ग्रामोद्योग चालू करने का बड़े पैमाने का एक कार्यक्रम भी है।

†**श्री शिवनंजप्प** : क्या सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक विधान बनाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री नन्दा** : न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में विधान पहले से ही मौजूद है। जहां तक मैं समझता हूं, दूसरी चीजों के लिए विधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री बासप्पा** : ग्रामीण जनसंख्या में खेतिहर मजदूरों का ठीक ठीक अनुपात कितना है और वह बढ़ रहा है या घट रहा है ?

†**श्री नन्दा** : वह इस रिपोर्ट में या दूसरी में मानी गयी खेतिहर मजदूर की परिभाषा पर निर्भर है।

†**श्री त्यागी** : बेरोजगार खेतिहर मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए क्या सरकार न्यूनतम मजूरी के लिए या काम के घंटे निर्धारित करने के लिए कोई विधान बनाना व्यावहारिक समझती है जब कि मजदूर अतिरिक्त हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता ?

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य का ख्याल ठीक है। विधान से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। काम के घंटों के बारे में कोई नये विधान का प्रश्न नहीं है।

राजा महेन्द्र प्रताप : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं ? मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि आप जिस तरह से काम करते हैं, उस से झगड़ा और बढ़ता जाता है। गांवों में कुछ लोग मज़दूर हैं और कुछ लोग ज़मीनों के मालिक हैं, ...

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या माननीय सदस्य आपको सम्बोधित कर रहे हैं ? उन्होंने "आप" कहा।

अध्यक्ष महोदय : "आप" के माने सब लोग। उनका अपना निजी ढंग है।

एक माननीय सदस्य : "आप" का मतलब है गवर्नमेंट।

राजा महेन्द्र प्रताप : जनाब आली मैं आप से कहता हूं, आप का जो तरीका है, उससे झगड़ा और बढ़ जाता है। क्या हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि गांवों में ज़मीन वालों और मज़दूरों में ऐसा समझौता हो कि वे मिल कर काम करें ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन यह कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : एक खेतिहर मजदूर की औसत आमदनी क्या है ?

†**श्री नन्दा** : ये सब आंकड़े रिपोर्ट में दिये हुए हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या इस केन्द्रीय मंत्रणा समिति की नियुक्ति अस्थायी है ?

†**श्री नन्दा** : यह समिति कायम रहेगी और छः महीने में कम से कम एक बार उसकी बैठक हुआ करेगी। इसलिए यह खुद ही खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर बराबर विचार करती रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** माननीय मंत्री ने बताया कि हर चीज़ रिपोर्ट में दी हुई है। लेकिन वह रिपोर्ट सेल्स काउन्टर पर उपलब्ध नहीं है। क्या वह वहां रख दी जायगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** करीब २५ प्रतियां संसद् पुस्तकालय को दी गयी हैं और एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी थी। लगभग तीस प्रतियां भेजी गई थीं और जिन कुछ माननीय सदस्यों ने मांगी उन्हें वह रिपोर्ट मिल गयी है। मुझे यह बताने में खेद होता है कि दूसरों को वह देना सम्भव नहीं होगा। वह १७ रुपये ८ आने की कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम खेतिहर मजदूरों पर लागू होता है। क्या वह अधिकतर मामलों में लागू नहीं होता और वह कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि हां तो कितने खेतिहर मजदूरों को इससे लाभ नहीं पहुंच रहा है ?

†**श्री नन्दा :** मैं मानता हूं कि जमीन पर बहुत अधिक दबाव और भारी संख्या पर विचार करते हुए उसे कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हैं। उसे अधिकाधिक कार्यान्वित करने के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री से मेरा सुझाव है कि वे संसद्-सदस्यों के लिए उसकी कीमत ५ रुपये कर दें। उन्हें इन रिपोर्टों में दिलचस्पी है।

†**श्री नन्दा :** जी हां। हम वह करेंगे।

लन्दन में भारतीय लड़के के साथ दास के समान व्यवहार

+

†*१८४१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नाथ पाई :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान लन्दन के भारतीय दूतावास के एक पदाधिकारी के घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार के सिलसिले में लन्दन (इंगलैंड) के एक न्यायालय में चल रहे मुकदमे के वृत्तान्त की ओर दिलाया गया है, जो लन्दन के समाचारपत्रों में 'लन्दन में भारतीय लड़के के साथ दास के समान व्यवहार' के शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) चांदराम नामक एक घरेलू नौकर, उम्र १४ साल, लन्दन स्थित भारतीय दूतावास के रेलवे परामर्शदाता श्री पी० सी० कपूर द्वारा, उस लड़के के अभिभावकों की सम्मति से, काम पर रखा गया था। उसकी मजूरी १५० रुपये प्रतिमाह भोजन सहित लेकिन कपड़ा छोड़कर, तय की गयी थी। चांदराम १ जनवरी १९६१ को लंदन में पहुंचा और तीन महिने की पूरी मजूरी उसे चुका दी गयी है।

†मूल अंग्रेजी में

३ अप्रैल, १९६१ को चांदराम अपने मालिक के मकान से रात १०-३० बजे गायब हो गया और दो बाहरी आदमियों के साथ पुलिस थाने गया और वहां उसने मालिक के मकान से अपनी चीजें निकलवाने के लिए मदद मांगी। पुलिस उसे मालिक के मकान पर वापस ले आयी। चांदराम फिर ४ अप्रैल को अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने दुर्व्यवहार की शिकायत की। इसलिए पुलिस ने उसे उसी दिन जवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत ने उसे दो हफ्ते के लिए मिडिलसेक्स काउन्टी काउन्सिल की देखरेख में रखा। १९ अप्रैल को वह मामला अदालत के सामने पेश हुआ। चूंकि काउन्टी काउन्सिल के चिल्ड्रेन्स ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ और समय चाहिये था, इसलिए वह मामला एक पखवाड़े के लिए मलतवी कर दिया गया।

सरकार इस मामले में विभागीय जांच कर रही है। इस बीच सरकार के अभिभावकों ने उसे भारत वापिस भेजने की ख्वाहिश जाहिर की है और सरकार ने वैसा करना मंजूर कर लिया है।

†**श्री दी० चं शर्मा :** जो कम उम्र के हैं या नाबालिग हैं क्या उन्हें पासपोर्ट देने के कुछ नियम हैं और क्या इस घरेलू नौकर के रूप में इस लड़के को पासपोर्ट देते समय इन नियमों का पालन किया गया था?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी हां, कुछ नियम होते हैं और नाबालिगों को तब तक पासपोर्ट नहीं दिये जाते जब तक उनके अभिभावक उनके साथ न हों। इस तरह के मामले में जिसमें समर्थन-कर्ता रेलवे बोर्ड था पासपोर्ट तथा उत्प्रवास सुविधाएं सामान्यतया दे दी जाती हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह विभागीय जांच किसके द्वारा करायी जा रही है? वह लन्दन स्थित उच्च आयक्त या किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा रही है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** विभागीय जांच निश्चय ही संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। लेकिन अभी फिलहाल वह नहीं की जा रही है क्योंकि वह लड़का वहां नहीं है और लड़के की साक्ष्य जरूरी थी। यह सारी बात अत्यंत दुखद घटना है। मुझे ठीक ठीक बातें मालूम नहीं हैं। हम पता लगा देंगे। मेरी समझ से यह बड़े दुख की बात है और इस तरह के छोटे लड़कों को विदेश भेजना बिल्कुल गलत है और चाहे जिसकी गलती हो, कुछ गलती जरूर हुई है और उस लड़के को मालिक के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाना जरूरी था। इस बीच मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी बात यह है कि वह लड़का यहां वापस आजाये। यह वहां के पुलिस कोर्ट पर निर्भर है। यदि वह सहमत हो तो उस लड़के को अभिभावकों के पास सरकारी खर्चे पर वापस भेज दिया जायगा। जहां तक उस पदाधिकारी का संबंध है वह जांच का विषय है जो शुरू हो चुकी है और आगे जारी रहेगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उपमंत्री ने बताया कि इस मामले में रेलवे बोर्ड ने उस लड़के के अभिभावक के तौर पर काम किया। उसने यह भी बताया कि ऐसे लड़कों को केवल अपने अभिभावकों के साथ ही जाने दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने अभिभावक के तौर पर कैसे काम किया? क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने उत्तर नहीं समझा। साधारणतया, जब तक नाबालिगों के साथ अभिभावक नहीं होते तब तक उन्हें पासपोर्ट नहीं दिये जाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन जब कभी कोई संस्था उनको भेजती है तो वे प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की राय के अनुसार काम करते हैं। इस मामले में रेलवे बोर्ड ने उसे भेजा था। वह इस बात की जांच करेगा कि वह किस प्रकार वहां गया था। मुझे विश्वास है कि वह जांच विस्तृत होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : रेलवे अफसर ने संरक्षक का काम किया। क्या उन्होंने संरक्षकों से अनुमति ली ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सब को जांच होगी। अगला प्रश्न।

एक समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा नागा हिल्स की यात्रा

+

†*१८४२. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान ११ अप्रैल, १९६१ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है 'दि आब्ज़र्वर' के संवाददाता, श्री गोविन यंग, भारतीय वायु सेना के उन व्यक्तियों से मिले जो इस समय नागा विद्रोहियों की हिरासत में है तथा जिसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त संवाददाता को नागा हिल्स में जाने के लिए आवश्यक अनुमति-पत्र दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सज्जन को नागा हिल्स में कितने समय के लिये ठहरने की अनुमति दी गयी थी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). श्री गैविन यंग को नागालैंड जाने का परमिट नहीं दिया गया था। प्रतीत होता है वह बर्मा से वहां गये।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री गैविन यंग ने अब इन वैमानिकों के बारे में पता लगा लिया है और हिन्दुस्तान टाइम्स में उन के फोटो छपे हैं, और एक फोटो कैप्टन मिश्र के पिता को भी भेजा गया है, क्या सरकार उन से मिलने और यदि संभव हो तो उनको रिहा कराने का प्रयत्न करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मोटे तौर पर उन का पता चल गया है, किन्तु एक क्षेत्र का पता चला है किसी निश्चित स्थान का नहीं। श्री गैविन यंग के लेख में भी यह कहा गया है कि वे एक स्थान पर नहीं ठहरते। वे प्रतिदिन स्थान बदलते हैं, क्योंकि अन्यथा वे विपत्ति में पड़ जायेंगे। जिस प्रकार सुझाव दिया गया है उसके अनुसार हमारा उनसे मिलने का कोई प्रश्न नहीं है, संपर्क के तरीके होते हैं और कभी कभी मिलने से झगड़ा होता है। किसी प्रकार का संपर्क समय समय पर जारी रहता है। यदि किसी और तरीके के लिये कोई और अवसर आया, तो हम उस पर विचार करेंगे। परन्तु मैं नहीं समझता कि मा० सदस्य के मन में इन और बातों का क्या आशय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न है कि पिछली बार मैं ने कुछ स्थगन प्रस्ताव रखे थे और कुछ अल्प सूचना प्रश्नों की भी सूचना दी थी, क्योंकि मैं इसे बहुत जरूरी मामला समझता हूं । हमारे लोग विद्रोहियों के हाथ में हैं । इन अवसरों पर जब हमने सूचना मांगी तो वैमानिकों का पता हमें नहीं बताया गया । अब 'आबजरवर' के संवाददाता एक अंग्रेज ने हमें उन का पता बताया है । प्रधान मंत्री ने कहा कि पता हमें मालूम है । अतः इन दोनों वक्तव्यों में अन्तर है । पिछली बार कहा गया था कि पता मालूम नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति है । मैंने कहा कि हमें स्थान का पता नहीं, क्षेत्र का पता है जो असंदिग्ध है । सब लोग क्षेत्र जानते हैं—हमें कुछ अधिक सीमित क्षेत्र का पता है और वे स्थान बदलते रहते हैं । नागा क्षेत्र सब कह सकते हैं । यह बड़ा व्यापक है । कोई इसे उसका उत्तर-पूर्व भाग कह सकता है । यह सही स्थान नहीं है । मैंने पहले संकेत किया था कि वे बर्मा के क्षेत्र से भी काम करते हैं । यह बर्मी सीमा की इस ओर दूसरी ओर है । हमें मोटे तौर पर यह पता है किन्तु सही स्थान प्रतिदिन बदलता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** अब यह सिद्ध हो चुका है कि ये वैमानिक विद्रोही नागाओं के कब्जे में हैं जो बर्मी क्षेत्र में भी काम करते हैं, इस दृष्टि से, क्या सरकार ने बर्मा सरकार से मिलने और आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिये मिलने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारी उनसे मुलाकात रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस पत्रकार श्री गैविन यंग ने दो पत्र लिखे हैं एक ७ अप्रैल को दूसरा २० अप्रैल को—पकड़े गये लोगों में से एक व्यक्ति के पिता को जो कानपुर में हैं । क्या इसकी सूचना मा० प्रधान मंत्री को दी गई है कि उन्होंने इस प्रकार लिखा है :

> "मैं आपको बता सकता हूं कि श्री फिजो को समझाने के लिये लन्दन में सब आवश्यक प्रयत्न किये जा रहे हैं, जो नागा राष्ट्रीय परिषद् का प्रधान है कि यदि वह उनको रिहा करने का आदेश दें तो यह मानवता का कार्य होगा ।"

मेरे पास दोनों मूल पत्र और उनके फोटो हैं । प्रश्न यह है कि यह संवाददाता जो हमारी मार्फत नहीं गया, कैसे बर्मा के रास्ते पहुंचा । उन्होंने पकड़े गये एक व्यक्ति के पिता को दो पत्र लिखे हैं और उसे सब वैमानिकों का पता है । उसने फोटो भेजे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसे कोई पत्र हैं या क्या वे इस मामले की जांच करेंगे । यह सब कुछ किया गया है कि आश्चर्य की बात है कि हमें उनके बारे में पता नहीं । पकड़े गये व्यक्ति के बूढ़े और बीमार माता पिता को वैमानिकों से लगातार पत्र आ रहे हैं । क्या सरकार को पता है कि इस पत्रकार का पकड़े गये लोगों के पिता के साथ लगातार पत्र व्यवहार है और क्या उसका श्री फिजो के साथ भी सम्पर्क है जो नागालैंड में, यहां के बारे में हमारी सरकार कहती है कि वे राजभक्त नागा हैं, ये सब कार्य करता रहा है । राजभक्त नागाओं की स्थिति आई० एन० टी० यू० सी० जैसी है । वे लोग शक्तिहीन हैं । हमें स्थिति का ज्ञान होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस पत्र व्यवहार करने वाले सज्जन से कोई सम्पर्क स्थापित करेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं श्रीमान। श्री गैविन यंग लंदन के एक समाचार पत्र का संवाददाता है। वह भारत के रास्ते नागालैंड जाने में समर्थ न होकर बर्मा के रास्ते सीमा पार करके गया। यह थोड़ा सीमा के इस ओर है और उसने जो कुछ वहां देखा और सुना उसके बारे में एक लेख लिखा। इसमें सन्देह नहीं कि उस अवसर पर उसे कुछ पत्र आदि मिले हों जो उसने आगे भेज दिये।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

†**अध्यक्ष महोदय :** स्पष्टतः वे सुझाव देते हैं कि श्री यंग का विद्रोहियों के साथ लगातार सम्पर्क है और वह लोगों को पत्र भी लिख रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि क्या इसका सत्यापन करने और अधिक तथ्य जानने के लिये उनका उपयोग नहीं उठाया जा सकता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं श्रीमान। जहां तक हमारा सम्बन्ध है उनका उपयोग न किया जा सकता है और न ही किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मुझे गलत समझा गया है। जहां उनके होने का पता है....

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह ठीक से समझा नहीं सके हैं तो अगला प्रश्न लिया जाएगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इस बात का पता लगाया गया है, शासकीय या गैर-शासकीय किसी भी स्रोत से कि क्या नागा विद्रोहियों ने इन वैमानिकों की रिहाई के लिये कोई शर्त लगाई है और यदि हां तो क्या शर्त लगाई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे किसी शर्त का पता नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सरकार इस मामले के बारे में नागा विद्रोही नेताओं और फिजो से बात करेगी जो इस संवाददाता के कथनानुसार इन लोगों की रिहाई का आदेश दे सकता है? क्या ऐसी कार्रवाई की जाएगी या कम से कम उससे सम्पर्क रखा जाएगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं श्रीमान। हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं है।

नेहरू-दलाई लामा वार्त्ता

+
†*१८४३. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा उनसे बातचीत करने के लिये इस वर्ष १५ अप्रैल को नई दिल्ली आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गयी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां।

(ख) तिब्बती शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए खास तौर पर और तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के लिये आम तौर पर प्रबन्ध।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या इतिहास में या किसी देश में ऐसा उदाहरण है कि इस शर्त पर राजनीतिक शरणार्थियों को आश्रय दिया गया है कि वे राजनीतिक कार्यवाहियां न करेंगे ? यदि नहीं, ऐसे क्या कारण थे कि सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा का अपवाद किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे पता नहीं कि क्या माननीया सदस्या इन मामलों में सामान्य सिद्धान्त का उल्लेख कर रही हैं या वह कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना चाहती हैं। यह सामान्य तरीका है कि जब आश्रय दिया जाता है तो ऐसा किया जाता है और देश जो शर्त लगाना आवश्यक समझता है लगाता है। शर्त यह है कि उनके देश की भूमि का उपयोग ऐसे किसी कार्य के लिये न किया जाए जो उनके विरुद्ध हो और जिससे उनके देश को किसी विपत्ति का सामना करना पड़े।

†**श्री रंगा :** क्या इसका यह अर्थ है कि हमने दलाई लामा पर कोई शर्त लगाई है और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमने दलाई लामा को सूचित किया कि जब वह पहले और बाद में यहां आए तो हम नहीं चाहते थे कि वे तिब्बत में होने वाली घटनाओं के लिए भारतीय भूमि का उपयोग न करें। हमने यह बात उनके स्वविवेक पर छोड़ दी कि वह जैसे उचित समझें काम करें और मोटे तौर पर उन्होंने उस प्रकार काम किया। निस्संदेह सीमा सम्बन्धी मामलों के बारे में यह बड़ा कठिन हुआ करता है। कभी कभी उन्होंने कोई बात की होगी, जो यदि न की जाती तो बेहतर होती। किन्तु मोटे तौर पर उन्होंने इन बातों का पालन किया, मैं इन्हें शर्तें तो नहीं कहूंगा किन्तु कुछ बातों की हम उनसे अपेक्षा करते हैं।

†**श्री रंगा :** क्या इसका यह अभिप्राय है कि दलाई लामा को संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्य राष्ट्रों के साथ अपनी बातचीत जारी रखने से रोका गया था, और वह भारत के विरुद्ध या अन्य किसी राष्ट्र के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही में नहीं पड़ रहे थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न यह है कि क्या वह बातचीत जारी रख सकते हैं। वह किसी व्यक्ति या संघ से बातचीत कर सकते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या भारतीय व्यापार में दलाई लामा द्वारा धन लगाने के प्रश्न पर भी इन बातचीतों में विचार किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं श्रीमान। इसके बारे में चर्चा करने की कोई बात नहीं थी। सूचना हमारे पास पहले से ही थी। हो सकता है पहले इसका जिक्र किया गया हो। हमने चर्चा की, मुख्यतया तिब्बती बच्चों की शिक्षा एवं तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अरबी राजनीतिक शरणार्थियों को आर्थिक सहायता दी गई है, क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र या अन्य अभिकरणों से तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये आर्थिक सहायता लेने का विचार रखती है और यदि नहीं तो क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान दलाई लामा के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि उनका प्रधान मंत्री से मिलने के बाद प्रधान मंत्री को अधिक बातों का पता लगा, और उसे स्वयं भी अधिक बातों का ज्ञान हुआ, यदि ऐसी बात है तो किन बातों के बारे में अधिक ज्ञान हुआ ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समाचार पत्र वाले से पूछेंगे ।

लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्बन्ध

+

†*१८४४. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों के मामले को हाथ में लेने के लिये अपने निश्चय पर अभी हाल में पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

†**श्री कुन्हन** : लोहा और उद्योग मंत्रालय के उत्पादन और वितरण मूल्य केन्द्रीय सरकार के विनियमन के अधीन हैं, इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक सम्बन्धों को अपना हाथ में क्यों नहीं लेना चाहिये ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस की जरूरत है, किन्तु हमें राज्य सरकारों की अनुमति लेनी है और हम इसलिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : एक या दो राज्य सरकारों से परामर्श करना है । केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे हाथ में लेने में क्यों इतना अधिक विलम्ब किया जा रहा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमने पिछले तीन सालों से इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । १९५९ में राज्य सरकारों से हमने परामर्श किया और अधिकांश राज्य सहमत नहीं थे । अब प्राक्कलन समिति ने एक सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार इसे अपने हाथ में ले । हमने पुनः राज्य सरकारों को सहमत होने को कहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मालिकों और कर्मचारियों के संघों ने सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार को इसे हाथ में लेना चाहिये । अब प्राक्कलन समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है—फिर विलम्ब क्यों होना चाहिये ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हम ऐसा करना चाहते हैं परन्तु संविधान तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम ४७ के अन्तर्गत यह राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । अतः राज्य सरकारों का इस मामले में सहमत होना अनिवार्य है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि टिस्को और इस्को दोनों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि यह राज्य सरकारों के हाथ में छोड़ दिया जाए और वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : हां श्रीमान। यह सच है और हमारे पास इनकी चारों ओर से मांग आ रही है। परन्तु हमें राज्य सरकारों की अनुमति लेनी है जिसके बिना हम यह नहीं कर सकते।

†श्री प्रभात कार : यह उपमंत्री ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों के प्राधिकार के बिना केन्द्र इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्या यह सच नहीं था कि जब बैंकिंग उद्योग को हाथ में लिया तो राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हमें इस बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत सलाह लेनी पड़ती है क्योंकि इस्पात उद्योग के औद्योगिक सम्बन्ध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यदि हमें हाथ में लेना है तो राज्यों की अनुमति अनिवार्य है।

†श्री प्रभातकार : जब बैंकिंग उद्योग को लिया गया तब भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४९ में था और यह राज्यों के क्षेत्र में था। किन्तु राज्यों से सलाह लिये बिना ही इसे हाथ में ले लिया गया। इस मामले में भी यही तरीका क्यों नहीं अपनाया गया ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह भिन्न बात हो सकती है। परन्तु इसमें हमें राज्यों की अनुमति लेनी होगी। हम अवैध रूप से या जबरदस्ती इस पर कब्जा नहीं कर सकते हमें राज्यों की अनुमति लेनी होगी।

†श्री स० मो० बनर्जी: क्या पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों की सलाह ली गई है और क्या इनमें से किसी राज्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : अभी तक नहीं। हमें राज्य सरकारों से मत अभी मालूम नहीं हुए। हमें केवल एक या दो राज्यों से उत्तर आए हैं जो पक्ष में नहीं हैं।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ

†*१८४६. श्री हेमराज : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के कार्यालय कृषि-भवन में स्थित हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह एक गैर-सरकारी वाणिज्यिक संगठन है, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ग) इससे यदि कोई किराया लिया जाता है तो वह क्या है और यह संगठन वहां पर कब से कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि कोई किराया नहीं लिया जा रहा, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) यह संगठन सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध है।

(ग) और (घ). इस समय किराया नहीं लिया जाता। किराये की वसूली के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। फरवरी, १९५९ से यह इस स्थान पर है।

†श्री हेम राज : क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को बताया है कि यह मान्य निकाय नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मेरे पास यह सूचना नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या और किसी ऐसे सहकारी संघ को कृषि भवन में दफ्तर के लिये स्थान दिया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं सभा को बता दूं कि ऐस्टेट डाइरैक्टर ने यह अलाट नहीं किया। इस सहकारी संघ को अपने दफ्तर स्थान के बारे में कठिनाई थी और कृषि मन्त्री के निजी कर्मचारियों के लिये जो कमरा रखा गया था उसके कुछ भाग को इस काम के लिये प्रयोग किये जाने की अनुमति दे दी गई है। कोई किराया नहीं लिया जाता।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इस संस्था ने वहां किसी कमरे के लिये प्रार्थना की थी या इसे मन्त्री अथवा अन्य किसी अफसर ने अपनी ओर से दे दिया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** मेरे पास अधिक सूचना नहीं है क्योंकि अलाट हमने नहीं किया।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** इस संगठन के पास जितना स्थान है उसका अनुमानित किराया क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** कोई किराया नहीं लिया जाता, जहां तक मुझे पता है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** यह प्रश्न नहीं है। उनके पास जितना स्थान है उसका कितनी अनुमानित किराया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** वास्तव में हमें इस प्रश्न के रखे जाने के पश्चात् ही इसका पता चला। हमने यह सूचना कृषि मन्त्रालय से प्राप्त की है। जहां तक हमें पता है कमरे का थोड़ा सा भाग, जिसमें एक या दो मेज हैं, का उपयोग संस्था करती है। परन्तु यदि आप की इच्छा है तो मैं अनुमान लगवा कर सूचना दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मन्त्री कह सकते थे कि उनको पता नहीं क्योंकि यह उनके विभाग का उत्तरदायित्व नहीं है।

पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय मछुओं का अपहरण

+

†*१८४७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री आसर : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अप्रैल, १९६१ को पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों द्वारा मुर्शिदाबाद जिले के जालंगी पुलिस थाने में पद्मा नदी के भारतीय किनारे से ६ भारतीय मछुवों का अपहरण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) हां श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छः भारतीय मछुवों का जो जालंगी थाना, जिला मुर्शिदाबाद के अधीन खास महल सीमा की चौकी के सामने पद्म नदी के भारतीय पक्ष की ओर मछलियां पकड़ रहे थे, पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपहरण किया और उनकी किश्ती तथा आठ सौ रुपये की लागत के मछली पकड़ने के सामान को पाकिस्तान ले गये। पूर्व पाकिस्तान की सरकार से विरोध किया गया है और मांग की गई है कि मछुवों और उनके सामान को तुरन्त छोड़ दिया जाए।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वे छोड़ दिये गये हैं या अभी पाकिस्तान में हैं ?

†**प्रधान मन्त्री त था वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे खेद है कि मैं ठीक-ठीक इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकता। निस्सन्देह वे रिहा नहीं किये गये थे जब इसका उत्तर तैयार किया गया, परन्तु इसके सप्ताह या दस दिन बाद सम्भवतः कुछ परिवर्तन हुए हैं। मैंने इसका पता करने का प्रयत्न किया किन्तु उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्रश्न इतनी जल्दी आ गया।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि सर्वेक्षण उपकरणों समेत पाकिस्तानी सर्वेक्षण दल इन भारतीय मछुवों के अपहरण में पुलिस के साथ मिले हुए हैं और यदि हां तो सरकार को इस बात का पता है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं साथ मिलने के बारे मे उत्तर देने में असमर्थ हूं। कुछ मछुवों के अपहरण में सर्वेक्षण दल का कोई इरादा नहीं दिखाई देता। उनको इससे कोई लाभ नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पाकिस्तानी सर्वेक्षण दल वहां था जिसके पास सर्वेक्षण के औजार थे और उन्होंने इन मछुवों को पकड़ने में पुलिस की सक्रिय सहायता की।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: इससे पहले दूसरी घटनाएं हुई थीं जब मछवों को सशस्त्र पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ लिया था। क्या दो वर्ष पूर्व पकड़े गये वे लोग रिहा कर दिये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न १६ अप्रैल को गिरफ्तार किये गये मछुवों के बारे में है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस समय पाकिस्तान के कब्जे में कितने ममुवे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसके लिये पृथक् सूचना चाहिये।

†**श्री बलराज मधोक** : पाकिस्तानियों द्वारा बार-बार मछुवों के अपहरण और इस प्रकार के दंगों को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये सामान्य प्रश्न हैं जिनमें नदियों सम्बन्धी कठिनाइयां शामिल हैं कि क्या सीमा बीच में आती है या इस ओर या उस ओर। यद्यपि हमारे अधिकांश सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त हो गये हैं अभी कुछ का समझौता नहीं हुआ है और इस बारे में अस्पष्टता है—दो विचार इस बारे में हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नदी के किस ओर है। फेनी नदी के बारे में दूसरा प्रश्न पूछा गया है। जान बूझ कर भविष्य में समझौते के लिये अलग रखा गया है। हमारा मत है कि सीमा नदी के बीच में है और पाकिस्तान के मतानुसार सीमा हमारी ओर नदी के किनारे पर है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने इन सीमा रेखाओं में आपत्ति वाले स्थान रखे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आपत्ति वाला स्थान चालू लहर है, इसमें कोई बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : चालू लहर में भी आपत्ति वाले स्थान होते हैं ।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या सीमा के बिल्कुल पास हमारी कोई चौकी है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या उस स्थान पर चौकियां हैं जहां से इन लोगों का अपहरण किया गया था ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह नदी पर है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: यदि कोई चौकी है तो वह हमारी ओर है । निस्सन्देह वे नदी पर थे जब वे पकड़े गये थे । हो सकता है उनकी नाव थोड़ी उस ओर चली गई हो ।

कांगो को भारतीय सैनिकों का विमानों द्वारा ले जाया जाना

†*१८४८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो जाने वाले भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी दार-अल-सलाम में रुकी पड़ी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें लियोपोल्डविल तक विमान द्वारा ले जाने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). नहीं श्रीमान् । हमारे सैनिकों को विमान द्वारा ले जाने में कुछ विलम्ब हो गया, जो ८ अप्रैल, १९६१ को यू० एस० एन० एस० बलैमफोर्ड दार-अल-सलम पर पहुंचे । विलम्ब का कारण यह था कि पर्याप्त विमान और पर्याप्त उड्डयन ईंधन नहीं था । हमारे अधिकांश सैनिक उपकरण और सम्भरण जो ब्लैमफोर्ड से गया, विमान द्वारा सही सलामत कांगों में उतार दिया गया और जो थोड़ा सामान बचा है उसे शीघ्र ही विमान द्वारा भेज दिया जाएगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा: कांगो की वर्तमान स्थिति का वहां हमारे भारतीय दस्ते के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं इस संक्षिप्त प्रश्न में नहीं दे सकता । यह ऐसा प्रश्न है जिसका मैं इतनी सरलता से उत्तर नहीं दे सकता । बहुत सी घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं ।उनका वहां भारतीय दस्तों की उपस्थिति से सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अन्य बातें हैं । यह कांगों में अधिकतर हाल की घटनाओं का इतिहास बताना होगा । तथापि हमारे लोगों का प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : विमान द्वारा लोग भेजे जा रहे हैं ।

फेनी नदी

+

†*१८४९. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री सुबिमन घोष :

क्या प्रधान मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार की ओर से फेनी नदी के इस्तेमाल को रोकने के बारे में कोई जवाब मिला है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या जवाब मिला है; और

(ग) इस बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :**(क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). फेनी नदी विवाद का अंतिम फैसला होने तक के लिये नदी का भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्रजनों द्वारा उपयोग किये जाने के लिये अस्थायी कार्यकारी प्रबन्ध किया गया है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** इस समस्या को अन्तिम रूप से हल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या इस मामले की फरक्का बांध के संबंध में आगामी सम्मेलन में चर्चा की जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ये बहुत पुराने विवाद हैं जो पाकिस्तान की कल्पना किये जाने से भी पहले से चले आ रहे हैं। वास्तव में उनकी शुरुआत १९ वीं सदी में त्रिपुरा दरबार और बंगाल सरकार के बीच हुई थी । वे अभी भी किसी न किसी रूप में जारी हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनका अंतिम रूप से हल कब तक हो सकेगा ? फिलहाल हम ने अस्थायी प्रबन्ध कर लिया है।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान .....

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अगला प्रश्न लेंगे ?

†**श्री हेम बरुआ :** मैंने आपको प्रश्न १८५३ के संबंध में लिखा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा ।

परती जमीन का वितरण

+

†*१८५०. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भूमिहीन कृषि श्रमिकों को खेती किये जने योग्य परती जमीन का वितरण करने की एक प्रस्थापना पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिये, विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

खेती के योग्य परती जमीन का वितरण प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लाभ के लिये प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों में से एक है। १९५१ से विभिन्न राज्यों में ७८ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि वितरित की गई है। यह कार्यक्रम तीसरी योजना में आगे बढ़ाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु योजना आयोग अपने भूमिसुधार संबंधी दल की एक विशेष उपसमिति द्वारा प्रस्तुत ५० लाख एकड़ भूमि के ७ लाख भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को वितरण के सुझाव पर विचार कर रहा है। इस में कृषि योग्य परती भूमि भूदान तथा ग्रामदान की भूमि और अधिकतम सीमा के अतिरिक्त भूमि सम्मिलित होगी ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : चूंकि सरकार की नीति सहकारी खेती अपनाने की है क्या यह नई कृषि योग्य बनाई गई भूमि किसानों को व्यक्तिगत रूप में दी जायेगी अथवा सहकारी समितियों को ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इन सहकारी समितियों के लिये भूमि की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या निश्चित की गई है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कुछ परिस्थितियों में सहकारी कृषि की कल्पना भी की गई है ।

†**श्री कोडियान** : विवरण से ज्ञात होता है कि अभी तक ७८ लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह भूमि कहां वितरित की गई है ? वह कृषिश्रमिकों को वितरित की गई है अथवा सहकारी समितियों को ? मैं इस भूमि के वितरण के राज्यवार आंकड़े भी जानना चाहता हूं ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं पूरा प्रश्न नहीं सुन सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि यह ७८ लाख एकड़ भूमि कहां वितरित की गई है तथा कृषि श्रमिकों को दी गई है या सहकारी समितियों को । इस के अतिरिक्त वह इस वितरण के राज्यवार आंकड़े भी जानना चाहते हैं ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : ब्यौरा अभी योजना आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है । यदि सभा यह जानकारी चाहती है तो हम उस का संभरण करेंगे ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : मैं यह जानना चाहती हूं कि नई अर्जित भूमि के किसानों को व्यक्तिगत रूप में आवंटित किये जाने की संभावना है अथवा उसे सहकारी समितियों को देने का विचार है ? इस में ब्यौरे की कोई बात नहीं है यह तो नीति का प्रश्न है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जैसा कि मैंने समझाने का प्रयत्न किया था, वह परिस्थितियों पर निर्भर है । 'परिस्थितियों' से मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ भागों में एकमुश्त भूमि हो सकती है जहां सहकारी समितियां बनाई जा सकेंगी तथा अन्य स्थानों में भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में हो सकती है तथा वहां सहकारी समितियां बनाना कठिन होगा । यह सब परिस्थितियों पर निर्भर है ।

†**श्री तिरुमल राव** : चूंकि योजना आयोग के एक सदस्य ने हाल में यह नीति संबंधी वक्तव्य दिया था कि देश की अतिरिक्त भूमि भूमिहीन श्रमिकों को दी जायेगी इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग इस योजना के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करता है और यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हाल में कृषि श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा समिति गठित की गई है और संभवत: माननीय सदस्य उस केन्द्रीय मंत्रणा समिति में नियुक्त योजना आयोग के कृषि सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य का निर्देश कर रहे हैं । केन्द्रीय मंत्रणा समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के कृषि श्रमिकों से संबंधित कार्यों का समन्वय करना है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या कृषि योग्य परती भूमि के वितरण के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों द्वारा निर्मित की गई सहकारी कृषि समितियों को अग्रिमता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्या० नं० मिश्र : हां, श्रीमान् ।

†श्री त्यागी : देश में बहुत सी जोतें आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं हैं । अतः क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ऐसी नयी जोतें निर्मित न की जायें ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : इस का ध्यान रखा जायेगा ।

†श्री काशीनाथ पांडे : माननीय मंत्री ने मंत्रणा समिति का निर्देश किया । क्या यह सच है कि मंत्रणा समिति ने भूमि व्यक्तियों के बजाय भूमिहीन श्रमिकों की सहकारी समितियों को देने का निर्णय किया है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य हैं । अतः वह इस बात को अधिक अच्छी तरह जानते होंगे । मैं उस समिति की बैठक में उपस्थित नहीं था अतः मैं नहीं कर सकता कि इस प्रकार की सिफारिश की गई है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : भारत में कृषि योग्य कितनी परती भूमि उपलब्ध है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : मोटे तौर से ९८० लाख एकड़ परती भूमि में से ५४० एकड़ कृषि योग्य भूमि परती होगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी ऐसी जमीन है जो कि स्कैटर्ड है और जहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती है । वहां पर कितने कितने एकड़ एक किसान को आप देते हैं ?

श्री श्या० नं० मिश्र : इसी लिये तो मैं ने अर्ज किया कि बहुत सी जगहों में बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं, छोटी छोटी जोतें हैं और उन के बारे में क्या किया जायेगा यह सब व्यावहारिक बातें हैं, जिन पर आगे और विचार किया जायेगा ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर दया जा चुका है । जब भूमि सहकारी समितियों को दी जाती है तो प्रति व्यक्ति को कितनी भूमि मिलती है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : मेरा निवेदन है कि यह सब परिस्थितियों पर निर्भर है । ये ब्यौरे की बातें हैं जिन का निर्णय अनेक मामलों में राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा । हां, केन्द्रीय मंत्रणा समिति उस के सम्बन्ध में सलाह दे सकेगी ।

†श्री याज्ञिक : उपलब्ध परती भूमि के भूमिहीन श्रमिकों को वितरण में कितना समय लगेगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : यह बहुत समय तक चलेगा और तीसरी योजना के अन्त तक हम लगभग १३० लाख एकड़ भूमि का वितरण कर लेंगे, यदि सब काम ठीक तरह चलता रहा ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हुआ ।

†श्री हेम बरुआ : मैं ने प्रश्न संख्या १८५३ के संबंध में आप को एक नोट भेजा है ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री बरूआ उस प्रश्न को लेना चाहते थे परन्तु मैंने परती भूमि के प्रश्न को अधिक महत्वपूर्ण समझा क्योंकि उस में समस्त सभा की रुचि थी । इसलिये मैंने उस को ले लिया । केवल एक माननीय सदस्य की इच्छा के कारण मैं समय नहीं बढ़ा सकता । १२ बजने के पहले तो मैं किसी प्रश्न को अधिमान्यता दे सकता हूं परन्तु उस के बाद नहीं । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना और उत्तर

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों से ऋणों की वसूली

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २२ अप्रैल, १९६१ के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों से केन्द्रीय सरकार की निधि में से दिये गये ऋणों की वसूली अभी तक केवल ४ प्रतिशत ही हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियोजित कुल राशि कितनी है और इस समय तक कितनी राशि देय हो गई है;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार नहीं बनाया गया है और वह उस हानि में सहभागी नहीं है जबकि अन्य राज्यों ने पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को ऋण दिये जाते समय आधा नुकसान बटाया था; और

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और देय राशियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को ३१ मार्च, १९६१ तक दी गई ऋणों की राशि ५४·१० करोड़ रुपये है और उस तारीख को पुनर्भुगतान के लिए देय राशि २८·७९ करोड़ रुपये है। परन्तु वसूल हुई राशि केवल १·६३ करोड़ रुपये है ।

(ग) (१) भारत सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समस्त राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में हानि उठाने की स्थिति निम्न प्रकार है :

(क) १ जनवरी, १९५० के पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारें समान रूप से सहभागी होंगी; और

(ख) १ जनवरी, १९५० के बाद आये विस्थपित व्यक्तियों के सम्बन्ध में समस्त हानि का वहन भारत सरकार करेगी ।

(२) जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनके पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों से सम्बन्धित समस्त हानियां भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जायेंगी चाहे उनके प्रव्रजन की तारीख कुछ भी हो । हां, उसमें दूसरे वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत थोड़ी सी हेरफेर हो सकती है ।

(घ) भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ऋणों की वसूली में समस्त निष्कपट हानियों का वहन करना स्वीकार कर लिया था ।

भारत सरकार ने ऋणों की वसूली के प्रश्न का हाल में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिल कर पुनरीक्षण किया था । राज्य सरकार देय राशियों की वसूली के लिए प्रभावपूर्ण कदम उठाने के लिए राजी हो गई है । राज्य सरकार जिलाधीशों को ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देने

†मूल अंग्रेजी में

के लिए उचित हिदायतें जारी करने के लिए भी सहमत हो गई है । यह निश्चय किया गया है कि समस्त स्थिति की जांच करने के लिए, जिसमें सब-डिवीजनल और जिला मुख्यालय में रखे जाने वाले ऋणों के भुगतान के लेखाओं की छानबीन भी सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए । यह समिति पर्याप्त संख्या के व्यक्तिगत मामलों की जांच के आधार पर भूतकाल में अपर्याप्त वसूली के कारणों पर विचार करेगी और भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में सुझाव देगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : ऋणों में किये गये ५४ करोड़ रुपयें के कुल विनियोजन में से १ जनवरी, १९५० के पूर्व कितनी राशि दी गई थी जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार हानि में सहभागी हैं और १ जनवरी, १९५० के बाद कितनी राशि दी गई थी जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार हानि में भागीदार नहीं है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु १९५० से पहले के ऋणों की राशि बहुत कम होगी क्योंकि पुनर्वास का प्रश्न पिछले दस वर्षों में ही लिया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार को कोई ऐसी हिदायतें दी गई थीं कि ऋण देने के पूर्व जमानतें ली जायें जैसा कि पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में किया गया था और क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन हिदायतों का पालन किया गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : ऋण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किये गये एक अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं । पूर्वविधान के कदम उठाना उनका कार्य है । ऋण अधिनियम की शर्तों के अनुसार दिये जाते हैं और वसूलियां की जाती हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को ऋणों के भुगतान के मामले में कोई ऐसी शर्त रखी गई थी कि ऋण देने के पूर्व जमानत अवश्य ली जाये और क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उस हिदायत का पालन किया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इस प्रश्न का उत्तर बिना जानकारी के नहीं दे सकता हूं । मैं इतना ही कहूंगा कि ऋण भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि से ही दिये गये थे और उस विधि का पालन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किया जाना होता है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दिये गये ऋण अधिकांश में दावों के सामने लिख दिये गये हैं और पूर्व में ऐसे कोई दावे नहीं हैं और वसूली में इसलिए देर होती है कि पश्चिम बंगाल सरकार की व्यवस्था भिन्न है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि में पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है । नेहरू-लियाकत करार के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान के प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति बेचने का अधिकार है । परन्तु पश्चिमी क्षेत्र में स्थिति सर्वथा भिन्न है । इसलिए हम ने विस्थापित व्यक्तियों को ऋण का प्रतिकर के खाते में से भुगतान करने की सुविधा दे दी है । परन्तु दावे ५०० करोड़ रुपये के हैं और प्रतिकर का भुगतान केवल १५० करोड़ रुपये ही किया जाना है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : : क्या सरकार देय राशियों की वसूली करने में इस बात का विचार रखेगी कि जिन शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जाना था उनका इस कारण उचित पुनर्वास

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हो सका है कि उनको अपने परिवार के पोषण के लिए भी पर्याप्त भूमि नहीं दी गई है और ऋण इतने छोटे छोटे टुकड़ों में दिये गये थे कि उन शरणार्थियों द्वारा किसी छोटे पैमाने के उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती थी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह ठीक है कि प्रारम्भिक प्रक्रमों में ऋण छोटे छोटे अंशों में दिये गये थे परन्तु पिछले सात वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है । राज्य सरकारों को यह हिदायत दी गई थी कि वह ऋण राशि एक या दो किश्तों में दे दें । जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

†**श्री अ० चं० गुह :** जहां तक खेतिहर शरणार्थियों के लिए कृषि भूमि का सम्बन्ध है, क्या सरकार को यह संतोष है कि पर्याप्त भूमि दी गई थी अथवा जो भूमि उन्हें देने का प्रस्ताव किया गया था वह उन्हें दी गई थी ? वास्तव में उन्हें उस भूमि का आधा भाग भी नहीं दिया गया था ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** योजना का निर्माण राज्य सरकार का कार्य है और क्रियान्वयन भी । जब प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो भारत सरकार उनकी मंजूरी देती है और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

†**श्री त्यागी :** आंखों पर पट्टी बांध कर ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह सच है कि पश्चिम बंगाल में भूमि की कमी है और अनेक मामलों में मैं भी ऐसा समझता हूं कि जोत के लिए जो भूमि आवण्टित की गई है वह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है । पश्चिम बंगाल के बहुत से लोग अंशतः पुनर्वासित कहे जा सकते हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय मंत्री ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में अन्तर होने के कारण उनके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया गया है । परन्तु उन्होंने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है । क्या यह सच नहीं है कि क्योंकि पूर्व के विस्थापित व्यक्तियों के ऐसे दावे नहीं हैं जिनमें ऋणों का समायोजन किया जा सके, उनके मामले में ऋण चुकाना आसान नहीं है ? वास्तव में इन में से कुछ ऋणों की वसूली असंभव है तथा वे अनुदान के रूप में दिये जाने चाहिये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तर्क कर रही हैं । प्रश्न सीधा सादा यह था कि कितना ऋण दिया गया था, कितना वसूल हो गया है और कितना शेष है । वह यह भी बता चुके हैं कि ये लोग (पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों से भिन्नतः) सम्पत्ति बेचकर वसूली कर सकते हैं । इससे आगे जाना व्यर्थ का तर्क करना है ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या यह सच नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश शरणार्थियों की प्रति व्यक्ति आय ७ रुपये से १० रुपये है और इसलिए वे उस ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं जो उन्हें मकान बनाने अथवा व्यापार प्रारम्भ करने के लिए दिया गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पूर्वी क्षेत्र में अब प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी क्षेत्र से अधिक है ।

†**श्री अ० चं० गुह :** माननीय मंत्री ने नेहरू-लियाकत समझौते का निर्देश किया । परन्तु क्या उनको यह नहीं ज्ञात है कि पूर्वी बंगाल में सम्पत्ति की बिक्री अथवा कब्जे के सम्बन्ध में नेहरू-लियाकत समझौता मृतप्राय हो गया है और पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों के लिए वहां जाना और अपनी सम्पत्ति में से कुछ प्राप्त करना सम्भव नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह प्रश्न व्यक्तिगत राय जानने का है। पूर्वी अथवा पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति सभी को भली प्रकार ज्ञात है।

श्री अ० चं० गुह : यह राज्य का प्रश्न नहीं है और न ही यह वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दूंगा। अल्प सूचना प्रश्न का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना है। मन्त्री जी समस्त जानकारी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि समस्त राशि विभिन्न कठिनाइयों के कारण बट्टे खाते में डाल दी जाये। यदि सभा सहमत है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह राशि ही नहीं वरन् अन्य राशियां भी दी जा सकती हैं परन्तु इस अवसर का उपयोग इस प्रयोजन के लिये नहीं किया जाना चाहिये। यह कोई संकल्प नहीं है, वरन् प्रश्न मात्र है। उसका उत्तर पूरी तरह दिया जा चुका है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मन्त्री के उत्तर से मालूम होता है कि ऋणों की २ प्रतिशत वसूली भी नहीं हुई है। क्या उनकी वसूली के लिये वही तरीके अपनाये जायेंगे जो पचिमी पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनाये गये थे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं बता चुका हूं कि ऋण राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। भारत सरकार विस्थापित व्यक्तियों को प्रत्यक्षत: ऋण नहीं देती है। सम्भवत: माननीय सदस्य यह कहेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र की राज्य सरकार ने अ क सतर्कता बरती थी क्योंकि वहां हानि का आधा आधा वहन किया जाना था। पूर्वी क्षेत्रमें समस्त हानि का वहन भारत सरकारद्वारा किया जायेगा। इसलिये उतना प्रयत्न नहीं किया गया है। फिर दो एक बातें और हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये। वास्तव में पूर्वी क्षेत्र में एकतरफा यातायात रहा है। पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों की सरकारों पर पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक भार रहा है। ये कारण इसके लिये जिम्मेदार हो सकते हैं परन्तु मैं यह बिना हिचक के कह सकता हूं कि इन ऋणों की वसूली के लिये अधिक प्रयत्न नहीं किया गया है।

†**श्री त्यागी :** इसमें केन्द्रीय कोष को करोड़ों रुपए की हानि होगी। जब यह भेदभाव किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार को, उसके हानि में सहभागी होने के लिये सहमत हुए बिना, ऋण का वितरण करने का प्राधिकार दिया गया था तो संसद् की मंजूरी क्यों नहीं प्राप्त की गई थी ? इसका मतलब हि है कि हमने उन्हें मनमाने ढंग से वितरण करने की छट दे दी है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह व्यवस्था १९५० में की गई थीं और उस समय भारत सरकार ने ऐसा इसलिये किया था कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि वह इन ऋणों के पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी नहीं सम्भाल सकती थी। यह बात ११ वर्ष पुरानी है। जबकि मैं मन्त्री नहीं बना था।

†**श्री त्यागी :** ऐसी स्थिति में भारत सरकार ऋण के बताए सीधा अनुदान ही क्यों नहीं दे दिया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। श्री सरहदी।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने इस ५४ करोड़ रुपए की बसूली की सम्भावना के सम्बन्ध में जांच कराने के सुझाव पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस मामले की चर्चा हाल में ही की गई थी। मेरे माननीय सहयोगी ने उसके सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य दिया था। इन ऋणों की वसूली के लिये राज्य सरकार के अभिकरण का प्रयोग करना होगा। मेरा अपना कोई अभिकरण नहीं है

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने की सूचना।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मन्त्री ने इन ऋणों के सम्बन्ध में सभा को सूचना क्यों नहीं दी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगले विषय पर पर पहुंच गया हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नागालैंड और आसाम के बीच सीमा विवाद

†*१८३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड और आसाम के शिवसागर जिले के बीच कोई सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह विवाद वस्तुतः किस बात पर है; और

(ग) सीमा का निर्धारण करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). पिछली जुलाई में जो नागा प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली आया था उसने चर्चा के दौरान नागा पहाड़ी-त्युएनसांग क्षेत्र और और सिबसागर तथा नौगांव जिलों के बीच निश्चित सीमा के सम्बन्ध में कुछ सन्देहों का निर्देश किया था।

जाहिर है कि यह सीमा स्पष्टतः अंकित की जानी चाहिये।

सीमांकन के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि स्थानीय प्राधिकारी शांति तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं में उलझे हुए हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†*१८३९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यकीय संस्था द्वारा १९६१-६२ के लिये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में सन्देह और अनिश्चितता बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) क्या भारतीय सांख्यकीय संस्था के कार्य और उसके भविष्य के बारे में अनिश्चितता होने के कारण इस संस्था के लिये राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में कार्य न कर सकने का खतरा उत्पन्न हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) मुझे भारतीय सांख्यकीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सम्बन्ध में १९६१–६२ में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में किन्हीं भी सन्देहों और अनिश्चितताओं की जानकारी नहीं है । कार्यक्रम सामान्यतः संस्था के साथ तय किया जा रहा है

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२

†*१८४५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ मनीपुर प्रशासन पर लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो यह अधिनियम किन वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होता है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) अधिनियम उन संस्थापनाओं पर लागू होता है जो अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों में लगे हुए हैं तथा जिनमें २० या अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा उसमें वे कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनका मूल वेतन, महंगाई और प्रतिधारण भत्ता मिला कर, ५०० रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है ।

समाचार पत्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†*१८५१. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे समाचार-पत्र उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर विचार किया गया था और यह निर्णय हुआ था कि बोर्ड स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उर्वरकों का उत्पादन

†*१८५२ **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दि० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के एक सार्थ ने भारत में तरल अमोनिया से उर्वरकों का उत्पादन करने का प्रस्ताव रखा है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) संयुक्त राज्य अमरीका के एक सार्थ ने ईरान की खाड़ी के क्षेत्र में पाई जाने वाली गैसों से तैयार किये जाने वाले तरल अमोनिया को उपयोग में लाने के लिये भारत में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पांडिचेरी

†*१८५३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी राज्य की संवैधानिक स्थिति का निश्चय न होने के कारण उस राज्य को आजकल बहुत सी प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं और सरकार का स्थिति सुलझाने के लिए क्या करने का विचार है ;

(ग) क्या पांडिचेरी के लोगों ने यह मांग की है कि राज्य के भारत को विधिसम्मत हस्तान्तरण होने तक, उस क्षेत्र में भारत के संविधान के उपबन्ध तुरन्त ही लागू कर दिये जायें ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) सरकार को पांडिचेरी की कुछ छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त अन्य किन्हीं प्रशासकीय कठिनाइयों का ज्ञान नहीं है।

(ख) इन समस्याओं का कारण भूतपूर्व फ्रांसीसी शासन के कर्मचारियों तथा विलय के बाद के कर्मचारियों की भिन्न सेवा शर्तें है। फ्रांसीसी न्याय प्रणाली भारतीय न्याय प्रणाली से भिन्न है तथा भारतीय कानून वहां लागू नहीं होते हैं जब तक कि विशेष रूप से लागू न किये जायें। यद्यपि सरकार इन समस्याओं का निरन्तर पुर्नविलोकन करती रहती है, कुछ अनियमिततायें उस समय तक बनी ही रहेंगी जब तक कि पांडिचेरी का विधिवत हस्तान्तरण नहीं हो जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार विधिवत हस्तान्तरण होने तक भारत के संवैधानिक उपबन्धों का वहां विस्तार नहीं कर सकती है।

आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन

†*१८५४. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष आयात के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन में पिछले वर्ष के आवंटन से ३० करोड़ रु० की और कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आयात की मदों के विभिन्न वर्गों में इस कमी को किस प्रकार फैलाया जायेगा ; और

(घ) देश के चालू विकास कार्यों पर इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). नहीं, श्रीमान । विदेशी मुद्रा के लिए आवण्टन की राशि का कोई अनुमान लगाना कठिन होगा क्योंकि वह सब उद्योगों से संबंधित होगा और उद्योग-वार आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेंस दिए जाने पर निर्भर होगा ।

वस्त्र उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल

†*१८५५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियानः
श्री पांगरकरः
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा कारखानों के आधुनिकीकरण के बारे में वस्त्र उद्योग संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) सूती वस्त्र उद्योग संबंधी कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और उस पर सरकार के संकल्प की एक एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात

†*१८५६. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से पश्चिम एशिया के देशों और यूरोप के देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने यह मत प्रकट किया है कि भारतीय इंजीनियरी वस्तुएं मध्य पूर्व के देशों में लोकप्रिय हैं और वे विदेशी मंडियों में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकती हैं तथा उनसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिल सकती है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). वह प्रतिनिधिमण्डल ३०-३-१९६१ को वापस आया था । उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूत बैंक

†*१८५७. **श्री प्र० चं० बरुआः** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन योजना के लिए सूत उपलब्ध करने के वास्ते एक सूत बैंक स्थापित करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैंक का वास्तविक गठन कैसा होगा और इसके क्या कृत्य होंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) निर्यात संवर्धन के लिये 'एडवांस लाइसेंसिंग' के अधीन नकली रेशम का धागा उपलब्ध करने की एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संथा द्वारा हड़ताल

†*१८५८. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री प्र० चं० बरुआः

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १८ अप्रैल, १९६१ को अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संस्था द्वारा करायी गयी देश-व्यापी हड़ताल की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी सन्था द्वारा १८ अप्रैल, १९६१ को करायी जाने वाली देश व्यापी हड़ताल के सम्बन्ध में कोई भी शासकीय व्योरे उपलब्ध नहीं हैं, प्रतीत होता है कि राजधानी के रेडियो के कई व्यापारियों और निर्माताओं ने चालू वर्ष के आयव्यक में रेडियो सेंटों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के विरुद्ध हड़ताल की थी। बाद में टाउन हाल में की गयी एक बैठक में रेडियो व्यापारियों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह इस शुल्क को हटा दे और छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों से बचा ले ।

जैसा कि वित्त विधेयक, १९६१ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मद ३३-क के अधीन सभी प्रकार के वायरलैस सेंटों पर जिनमें ट्रांससिस्टर सेट और रेडियो ग्राम भी सम्मिलित हैं, २० प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। छोटे निर्माताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिन रेडियो सेटों का मूल्य १५० रुपये से कम है, उन्हें उस शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। जिन सेटों की कीमत १५० से ३०० रुपयों तक है, उन्हें आधे शुल्क की छट दे दी गयी है ।

रहन-सहन के स्तर में तेजी से सुधार होने और विद्युत सम्बन्धी अत्यधिक सुविधाओं की उपलब्धि से इस उद्योग का अत्र अच्छा विकास हो रहा है और उसका उज्जवल भविष्य है और वह उचित उत्पादन शुल्क को वहन कर सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगों में भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव

†*१८५६. { **श्रीमती इला पालचौधरी:**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर:
श्री रामकृष्ण गुप्त:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री नाथ पाई:
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र ग्रौर काटंगा (कांगो) के प्रेसिडेन्ट, श्री मोयसे शोम्बे, के बीच हुए इस कथित करार की ग्रोर दिलाया गया है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उस करार में कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्रन्तर्गत भारतीय सैनिकों के प्रति, कांटंगा राज्य में उनके प्रवेश के सिलसिले में, भेदभाव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार का पूरा ब्योरा क्या है ; ग्रौर

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). जहां तक भारत सरकार को ज्ञात हुग्रा है, ऐसा कोई करार नहीं किया गया है । संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी गयी किसी भी राष्ट्र की सेनायें वहां जाते ही ग्रपनी राष्ट्रीयता खोकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनायें बन जाती हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ को यह ग्रधिकार प्राप्त है कि वह उन सेनाग्रों को कांगों के किसी भी भाग में भेज सकता है । इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाग्रों को कांगों के किसी विशेष भाग में नियुक्त करने के सम्बन्ध में करार करने के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

स्नातकों का रोजगार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

†४२५०. { **श्री पांगरकर:**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री राम शंकर लाल:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **श्रम ग्रौर रोजगार** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्नातकों के रोजगार सम्बन्धी सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ग्राबिद ग्रली):** लगभग ७,४५० स्नातकों से उत्तर प्राप्त हुए हैं । ग्रांकड़ों को सारिणीबद्ध किया जा रहा है ।

सारसापरिला का निर्यात

†४२५१. **श्री नरसिंहन्:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'सारसापरिला' किस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल होता है ;

(ख) इसको किस किस देश को निर्यात किया जाता है ; ग्रौर

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ग) १९५५ से १९६० तक 'सारसापरिला' को प्रति वर्ष देशवार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) 'सारसापरिला' कई 'प्रोप्राइटरी' औषधियों में इस्तेमाल की जाती है। उन में से कुछ में 'पोटाशियम आयोडाइड' होता है और वह खून को साफ करने की औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है।

(ख) और (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५७ से १९६० तक के सम्बन्ध में जानकारी सम्मिलित है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४७**]

केप्स्यूलों का निर्माण

†**४२५२. श्री कुम्भार**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कैप्सूलों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में और कितनी लागत पर केप्स्पूलों का आयात किया गया था ;

(घ) ये केप्स्पूल किस किस देश से मंगाये गये थे ; और

(ङ) इसकी वार्षिक मांग कितनी है और उन पर कितनी लागत आती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी, हां नरम गैलेटाइन और सख्त गैलेटाइन केप्स्यूलों का निर्माण बम्बई में हो रहा है।

(ग) से (ङ) सख्त गैलेटाइन केप्स्पूलों की वर्तमान वार्षिक खपत लगभग २००० लाख केप्स्पूल है जिनकी कीमत २० से २५ लाख रुपये है।

क्योंकि यह मद देश के व्यापार वर्गीकरण में नहीं दिखायी जाती, इसलिये आयात सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो भी सख्त गैलेटाइन केप्सूलों की अधिकांश मांग अमरीका से आयात करके पूरी की जा रही है।

प्लास्टिक की चद्दरें

†**४२५३. श्री कुम्भार**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में प्रति वर्ष किस किस देश से और कितनी मात्रा में एक्रिलिक प्लास्टिक चद्दरों[1] का आयात किया गया था और उस पर कितनी लागत आयी थी ;

(ख) क्या सरकार देश में इस प्रकार की चद्दरें बनाने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो वह योजना क्या है ; और

(घ) इन चद्दरों से देश में अभी तक कौन कौन से सफल प्रयोग किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) इनके सम्बन्ध में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Accrylic Plastic Sheets.

(ख) और (ग) यदि ऐसी कोई योजना प्राप्त हुई तो सरकार उसे उत्साहित करेगी। सरकार अपनी ओर से ऐसा कोई भी कारखाना चलाने का विचार नहीं रखती।

(घ) ये इन्डस्ट्रियल रूफलाइटिंग्स, पारदर्शी लाइट फिटिंग्स, मोटर गाड़ी तथा विमान पुर्जों के लिये इस्तेमाल हुई है।

सिक्किम में राजनीतिक पदाधिकारी

†४२५४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम के राजनीतिक पदाधिकारी के दफ्तर में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गयी जांच की उपपत्तियों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी, हां।

(ख) विशेष पुलिस संस्थापन ने, जिसने आरोपों के सम्बन्ध में जांच की थी, यह सिफारिश की है कि कई अनियमितताओं के आरोप के कारण सिक्किम के राजनीतिक अफसर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये। वह अफसर पहले ही सेवा से निवृत हो गया है और अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद यही निर्णय किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस मामले को और अधिक बढ़ाने से कोई लाभ न होगा।

छोटे पैमाने के उद्योग

†४२५५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की उन सिफारिशों के सम्बन्ध में विचार कर लिया है जिसमें छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी विभिन्न सरकारी विभागों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख) छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों की वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सुझावों के अनुसार समिति स्थापित की जा रही है।

मेट्टूर में अल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना

†४२५६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर: }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्टूर में अल्युमिनियम पिघलाने के कारखाने की स्थापना के लिये इटली की

---

†मूल अंग्रेजी में

मेसर्स मॉन्टेकेरिनिस नामक फर्म के साथ मद्रास अल्युमिनियम के प्रविधिक तथा वित्तीय सहयोग सम्बन्धी बातचीत पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) .जी, हां। भारत सरकार ने मेत्तूर में अल्युमिनियन पिघलाने के कारखाने की स्थापना के लिये इटली की मेसर्स मॉन्टेकेरिनिस नामक फर्म के साथ तथा वित्तीय सहयोग सम्बन्धी सुझाव को निम्नलिखित आधारों पर मंजूर कर दिया है :—

(१) प्रविधिक जानकारी उपलब्ध करने के लिये भारतीय कम्पनी के साधारण अंशों का इटली की फर्म को आवंटन . . ४५ लाख रुपये।

(२) विदेशी फर्म को इटली के 'लायर्स' में अदायगी :—

(क) इंजीनियरिंग फीस, ड्राइंग, संयंत्र की खरीद में सहायता तथा अन्य सम्बद्ध सेवायें . . अधिक से अधिक ४० लाख रुपये।

(ख) विदेशी विशेषज्ञों, ठेकेदारों और अभिकरणों पर खर्च तथा देखभाल और अन्य सेवाओं पर खर्च अधिक से अधिक ३५ लाख रुपये

इसके अतिरिक्त भारत में उनके कर्मचारियों पर आने वाला मूल व्यय (आउट आफ पाकेट एक्सपेंसेज़) १५ लाख रुपये ।

भारतीय कम्पनी को डिज़ाइन की सप्लाई के लिये, इंजीनियरिंग फीस और मूल व्यय (आउट आफ पाकेट एक्सपेंसेज़) की प्रतिपूर्ति के लिये बिल भेजे जाने पर ७५ लाख रुपये की कुल रकम (उपरोक्त २ क और ख) भारतीय कम्पनी के इटालियन कम्पनी को दिये गये शेयर सर्टिफिकेटों के हिसाब में लगाई जा सकती है ।

पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति

४२५७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पंजाब सरकार ने जो परामर्शदात्री समिति नियुक्त की थी, उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की तीसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करने के अलावा, इस समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों का पुनः सीमांकन भी किया है और अब इसमें अम्बाला तथा होशियारपुर का अधः पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हो गया है । यह निश्चय किया गया है कि तदर्थ समिति के स्थान पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिये स्थायी सलाहकार समिति बनाई जाये जिसमें इन क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये । तदर्थ समिति की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक पृथक विकास आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के पहाड़ी जिलों का विकास

४२५८. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री दलजीत सिंह:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पर्वतीय जिलों के विशेष विकास के लिए वर्ष १९६१–६२ में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : १९६१–६२ के विकास कार्यक्रम पर पहाड़ी प्रदेशों के लिए पुनर्गठित परामर्श समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

४२५९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री एक ऐसा विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें ये जानकारी दी हुई हों :

(क) विभिन्न श्रेणियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली में काम करते हुए १० वर्ष से अधिक समय बीत गया लेकिन अभी तक सरकारी मकान नहीं मिला है; और

(ख) क्या सरकार उन लोगों के निवास की कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) इस प्रकार के कर्मचारियों की, जो सामान्य समूह में स्थान पाने के हकदार हैं, संख्या १ जनवरी, १९६१ को ६,११६ थी ।

(ख) स्थान का नियतन (ऐलौटमेंट) स्थान की किसी खास श्रेणी में किसी कर्मचारी की "अग्रता-तिथि" के आधार पर किया जाता है । जब इस समय बन रहे नये मकानों का निर्माण पूरा हो जायेगा, तब इनमें से बहुत से कर्मचारियों की मकान मिलने की बारी आ जाने की संभावना है ।

कोयला-क्षेत्रों में मलेरिया

४२६०. **श्री म० ला० द्विवेदी:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बरसात में सरकार ने मलेरिया की रोकथाम के लिये कोयला-क्षेत्रों में क्या प्रबन्ध किया था;

(ख) क्या यह सच है कि "मलेरिओल" के ठीक समय पर न मिलने के कारण कुछ क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम न की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो "मलेरिओल" के ठीक समय पर प्राप्त न होने के क्या कारण थे ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कृमिनाशक दवा छिड़की गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खनिकों की शिक्षा

४२६१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला-खनिकों को शिक्षित बनाने के लिये सरकार ने इस साल क्या साधन अपनाये हैं;

(ख) बालिक शिक्षा केन्द्रों के लिये जो फिल्म प्रोजेक्टर खरीदे जाने वाले थे, क्या वे खरीद लिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) (१) कोयला खान कल्याण संस्था के बहुत उद्देशीय संस्थानों और खनिक बस्ती के निकटवर्ती केन्द्रों में मज़दूरों को साक्षर बनाने की कक्षाओं का आयोजन करना।

(२) हर बालिक शिक्षा केन्द्र में एक वाचनालय, एक पुस्तकालय और एक रेडियो की व्यवस्था।

(३) शिक्षाप्रद फिल्में दिखाना और मैजिक लालटेनों से चित्र प्रदर्शन करना, और शराब की बुराइयों, सहकारिता आंदोलन के फायदे आदि विषयों पर नाटक आदि का आयोजन करना।

(४) विभिन्न विषयों पर व्याख्यानों का प्रबन्ध।

(५) महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों की अध्ययन यात्राओं का प्रबन्ध।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) आयात की कठिनाइयां।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†४२६२. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में महाराष्ट्र की कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों ने छोटे पैमाने के उद्योगों के संवर्धन के लिये रक्षित बैंक उधार गारंटी योजना से लाभ उठाया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** महाराष्ट्र राज्य की किसी भी औद्योगिक सहकारी समिति ने रक्षित बैंक उधार गारंटी योजना से लाभ नहीं उठाया है।

रबड़ की कीमतें

†४२६३. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से रबड़ की कीमतें गिरती जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने निर्यात शुल्क में कमी की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका भारतीय मंडियों पर क्या प्रभाव हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इस का स्वदेशी कच्चे रबड़ की कीमत पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़े तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में तीन पारियों में कार्य

†४२६४. { **श्री मुरारका:**
श्री राजेश्वर पटेल:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में तीनों पारियों (शिफ्ट्स) में काम चला कर कितने प्रतिशत औद्योगिक क्षमता का उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) तीनों पारियों को चलाने के लिये उद्योगपतियों को राजी करने के सम्बन्ध में क्या क्या यत्न किये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). भारत में अधिकांश फ़ैक्टरियों में क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। जहां भी सम्भव होता है, सभी औद्योगिक कारखानों में श्रमिकों के सहयोग से मशीनों को दो पारियों और तीन पारियों में चलाने का यत्न किया जाता है। वस्त्र उद्योग में अधिकांश मिलें दो पारियों में और बहुत सी मिलें तीन पारियों में भी चलती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये लेखा परीक्षकों की 'तालिका' [1]

†४२६५. { **श्री नथवानी:**
श्री मुरारका:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कम्पनियों तथा संविहित निगमों में नियुक्ति के लिये लेखा परीक्षकों की एक 'तालिका' तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सूची सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) इस तालिका को तैयार करते समय क्या आधार अपनाया गया; और

(घ) १९६०–६१ में सरकारी क्षेत्र के कितने और किस किस उपक्रम के लेखा परीक्षण का कार्य किस किस लेखा परीक्षण फर्म को दिया गया था और उसके लिये कितनी फीस अदा की गई थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० २९२३/६१]**

ग्रामवासियों को सस्ते दामों पर स्वदेशी भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं का दिया जाना।

४२६६. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है कि संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले स्वदेशी भाषाओं के पत्र-पत्रिकायें वहां की देहाती जनता को सस्ते दामों पर उपलब्ध हों; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Panel

सूचना और प्रसारण मंत्री डा० केसकर : (क) और (ख). जी, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फिर भी, त्रिपुरा प्रशासन का शिक्षा निदेशालय बंगला में "साक्षर" और "ग्रन्थलोक" नाम की दो मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जो मुफ्त बांटी जाती हैं और मणिपुर प्रशासन मणिपुरी भाषा में एक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है जिसकी कीमत ५ नये पैसे प्रति पत्रिका रखी गई है, ताकि आम जनता भी पत्रिका को खरीद सके ।

जमींदारी उन्मूलन

४२६७. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६१ तक कौन कौन सी राज्य सरकारें अपने यहां जमींदारी का उन्मूलन कर चुकी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जहां पर जमींदारी का उन्मूलन हुआ है वहां पर जमींदारों को उक्त अवधि तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मुआवजा देने के लिए कोई निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र): (क) राज्यों में (छोटी छोटी मिल्कियतों को छोड़कर) जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून पास किये जा चुके हैं और उन पर बहुत हद तक अमल भी किया गया है ।

(ख) मुआवजा, पुनर्वास अनुदान और मुआवजा की बकाया राशि पर दिये जाने वाले ब्याज की कुल राशि ६७० करोड़ रुपये होने का अनुमान है । उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, १९६० तक नकद तथा बांड के रूप में लगभग १६४ करोड़ रुपये दिये गये ।

(ग) और (घ). दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि मुआवजे का भुगतान तेजी से किया जाय । तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में फिर इस ओर ध्यान दिलाया गया है । मुआवजे के अंदाजा लगाने में समय लगा है क्योंकि बहुत से राज्यों में मुआवजे की स्कीम से संबंधित विवौलियों की सम्पत्ति का व्यौरा उपलब्ध नहीं था । पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ किया गया है और राज्यों द्वारा मुआवजे का अंदाजा लगाने तथा शीघ्र भुगतान के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं । यह सूचित किया गया है कि आगामी दो-तीन वर्षों में अधिकतर मुआवजे की राशि के बारे में बांड जारी कर दिये जायेंगे । इस बीच अन्तरिम भुगतान किया जा रहा है ।

सरकार द्वारा निर्मित इमारतें

†४२६८. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा बनाई गई १०,००० रुपयों से अधिक कीमत की इमारतों को नीलाम न करने के क्या कारण हैं जबकि सरकार की नीति के अधीन ये इमारतें निष्क्राम्य पूल में हैं । और उससे प्राप्त होने वाली राशि निष्क्राम्य पूल में सम्मिलित की जानी चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: ये इमारतें राष्ट्रपति के अधीन हैं। यह निर्णय करना तो पूर्व रूपेण सरकार का काम है कि क्या किसी सम्पत्ति को बेचा जाये या उसकी मालकीयत अपने साथ में रखी जाये। इससे पूल में कुछ भी कमी नहीं होगी क्योंकि इन सम्पत्तियों की कीमत उस पूल में सम्मिलित कर दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

†४२६९. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली से बहुत से सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान हैं और इसलिये वे सामान्य 'पूल' से क्वार्टरों के आवंटन के लिये पात्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की कितनी संख्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे कर्मचारियों को मकान किराया भी अदा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितना और उन्हें मकान किराया अदा करने में क्या औचित्य है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: जी, हां ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसका अपना या किसी सम्बन्धी का मकान दिल्ली/नई दिल्ली में दफ्तर से ६ मील की दूरी तक है, सरकारी क्वार्टर प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु शर्त यह है कि वह मकान इस प्रकार का हो कि उसमें वह अपनी हैसियत के अनुसार रह सके या वहां रहने से उसे या मालिक को कोई असुवधा न हो।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) इन सरकारी कर्मचारियों को भी मकान किराया उसी दर पर दिया जाता है जिस पर उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके पास मकान नहीं होते। यदि मकान किराया भत्ता न दिया जाये तो वे दावा कर सकते हैं कि उन्हें भी मकान एलाट किया जाये। इससे आवास सम्बन्धी स्थिति और भी खराब हो जायेगी। और सरकार अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना चाहती है कि वे अपना मकान स्वयं बनायें ऐसी दशा में मकान किराया न अदा करने से उलटा असर पड़ेगा।

उड़ीसा में खादी का उत्पादन

†४२७०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में उड़ीसा में खादी का कितना उत्पादन किया गया था;

(ख) क्या १९६१-६२ के लिये खादी उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गयी थी;

(घ) क्या आवंटित राशि राज्य के खादी बोर्ड द्वारा खर्च कर दी गयी है; और

(ङ) क्या यह सच है कि आवंटित राशि को उचित प्रकार से इस्तैमाल नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर १९६०–६१ से उड़ीसा में ५,१७,१०१ वर्ग गज खादी का उत्पादन किया गया था।

(ख) लक्ष्य ११,००,००० वर्ग गज है।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में खादी के विकास के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य बोर्ड तथा विभिन्न पंजीबद्ध संस्थाओं को १००.०३ लाख रुपये बांटे गये थे।

(घ) और (ङ) इस राशि का अधिकांश भाग राज्य बोर्ड को आवंटित किया गया है

मजदूर की मृत्यु

४२७१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११–३–६१ को मकान नं० ३३९-सी, डिफेन्स कालोनी में एक मजदूर की मृत्यु मार्बल पोलिश करने की बिजली की मशीन चलाते हुए हो गई; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिवार को कितना मुआवजा मकान मालिक ने दिया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी हां लेकिन दुर्घटना के कारण के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं हो सका है।

(ख) यह इत्तला मिली है कि कर्मचारी मुआवजा कमिश्नर को मृत व्यक्ति के परिवार से मुआवज़े की कोई दरखास्त प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता को दी गई सहायता

४२७२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों (१९५६–६१) में भारत सरकार ने भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता को प्रति वर्ष कितनी राशि दी; और

(ख) भारत सरकार ने जो सहायता दी है उसमें से कितना धन खर्च किचा जा चुका है, वह किस प्रकार खर्च किया गया है और उससे क्या लाभ हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) आवश्यक सूचना साथ दिये गये एक विवरण में है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४८]**

(ख) वार्षिक अनुदान की राशि में पच्चास लाख रुपया प्रति वर्ष सरकारी नेशनल साम्पल सर्वे के लिये किये गये तकनीकी काम और सारणी करण के विषय में होता है और बाकी इस संस्था के विभिन्न विभागों में की जाने वाली शिक्षा अनवेषण आदि के लिये एक सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है। इस खर्च में शामिल है तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाहें, आकस्मिक व्यय, और जमीन, भवन, उपकरण, व दफ्तर के उपस्कर आदि पर किया गया पूंजीगत खर्च। ऐसे खर्च और इस सांख्यकीय संस्था द्वारा किये गये काम व इस काम से हुआ लाभ का पूरा व्यौरा इस संस्था के वार्षिक रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों में विस्तार रूप से किया हुआ है जिनकी कापी संसद् की पुस्तकालय में है।

†मूल अंग्रेजी में

बोकारो-कारगली-कथरा कोयला खानों के लिए जल सम्भरण योजना

†४२७३. **श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण संगठन की ओर से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को बोकारो-कारगली खान-समूह के लिये जल सम्भरण योजना के वास्ते कोई वित्तीय सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के साथ चल रही बातचीत कब सम्पन्न होने की सम्भावना है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (ग) श्रम संगठन ने निगम को अपनी जल सम्भरण योजनाओं को व्यौरे सहित भेजने की सलाह दी है अभी तक ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई ।

प्रकाशन विभाग और आकाशवाणी में सम्पादकीय कर्मचारी

†४२७४. **सरदार अ० सिं० सहगल:** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाशन विभाग और आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के लिये नियुक्त सम्पादकीय कर्मचारियों का व्यौरा क्या है, जिसमें उनकी योग्यता, अनुभव, वेतन-क्रम और कृत्यों की जानकारी दी गयी है । और यह भी बताया गया हो कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम क्या अर्हता और अनुभव अपेक्षित है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मद्रास में स्पन पाइपें के निर्माण का कारखाना

†४२७५. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पन पाइप के निर्माण के लिये मद्रास में एक कारखाना[1] स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना विदेशी सहयोग से की गयी है और कितनी पूंजी लगायी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख) मद्रास राज्य में ढले हुए लोहे की मरोड़दार पाइपों के निर्माण के लिये चार एककों के लाइसेंस दिये गये हैं । अभी तक किसी भी कारखाने में उत्पादन शुरू नहीं हुआ । एक कारखाने की ओर से विदेशी सहयोग के बारे में प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

४२७६. **श्री पहाड़िया:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मार्च, १९५९ को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी जिस में कहा गया था कि १०,००० रुपये से कम मूल्य की जिस निष्क्रान्त सम्पत्ति पर हरिजन कब्जा किये हुए हैं वह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य वसूल कर के उन्हीं के नाम कर दी जाये;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Spun Pipes.

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत कुछ हरिजनों को सम्पत्ति का मालिक बना दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों के कब्जे में जो जायदादें थीं उन को बेचने के आदेश २३ मार्च, १९५९ को रिजनल सेटलमेंट कमिश्नरों को भेज दिये गये थे जिन में इस बात का उल्लेख था कि १०,००० रुपये से कम कीमत वाली सारी शहरी निष्कान्त जायदादें जिन में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोग अधिकृत रूप से रह रहे हों उन्हें सुरक्षित मूल्य पर उन लोगों को बेच दी जावें और उन की कीमत का २० प्रतिशत प्रारम्भिक किश्त के रूप में और शेष ७ बराबर किश्तों में वसूल किया जावे। इन आदेशों में यह भी बतलाया गया था कि यह रियायत अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के सब लोगों को दी जायें चाहे वे शरणार्थी हों या गैरशरणार्थी। इस निर्णय के विषय में जनसाधारण को सूचित करने के लिये २२–३–५९ को नहीं बल्कि ३-४-५९ को एक प्रेस नोट निकाला गया था।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम राइफल्स

†४२७७. **श्री दशरथ देव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में स्थित आसाम राइफल्स त्रिपुरा प्रशासन के पुलिस विभाग के अधीन कार्य करती है;

(ख) क्या इस में त्रिपुरा के लोगों को भरती किया जाता है;

(ग) क्या त्रिपुरा के बजट प्राक्कलन में आसाम-राइफल्स के संधारण के व्यय को शामिल नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) त्रिपुरा में तैनात आसाम राइफल्स बटालियन स्थानीय असैनिक प्रशासन के नियंत्रण में है और मुख्य आयुक्त की व्यापक हिदायतों के अधीन अपना कार्य करती है। यह त्रिपुरा के पुलिस विभाग के अधीन नहीं है।

(ख) आसाम राइफल्स में त्रिपुरा के लोगों की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। त्रिपुरा में तैनात बटालियन में १०२ व्यक्ति त्रिपुरा के हैं ।

(ग) और (घ) त्रिपुरा प्रशासन त्रिपुरा में तैनात टुकड़ियों का खर्च उठाता है। इस बटालियन की कुछ टुकड़ियों को अस्थायी रूप से नागालैंड में तैनात करने के लिये उधार दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम

†४२७८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने बहुत से खान मालिकों को, उन से लौह-अयस्क ो प्राप्ति के पश्चात पिछले आठ महीने से अदायगी रोक रखी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने सम्भरण-कर्ताओं को अदायगी नहीं की गयी और कुल कितनी रकम रोकी हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये खरीदे गये कुछ लौह अयस्क की अन्तिम अदायगी करने में कुछ विलम्ब हुआ है। किन्तु सम्भरण कर्ताओं द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद उन्हें ८० प्रतिशत रकम की अदायगी तत्काल कर दी गयी थी। बकाया राशि में से भी अधिकांश की अदायगी इस बीच की जा चुकी है ।

(ख) १६ लाख टन के कुल सम्भरण में से केवल ११ मामलों में आदायगी किया जाना बाकी है, जिस का सम्बन्ध केवल १,०४,६१६ टन से है और इस की कीमत लगभग २,५१,१०० रु० है ।

अशोक होटल में आरक्षण

†४२७९. { श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह:

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पर्यटन ऐजेंसियों ने मार्च, १९६१ के लिये अशोक होटल में कुछ निवास-स्थान का आरक्षण कराया था;

(ख) क्या यह आरक्षण छः महीने पहले किया गया था;

(ग) क्या अन्तिम समय पर यह स्थान देने से, जिस का वचन दिया जा चुका था, इन्कार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक बार जिस स्थान के लिये वचन दे दिया जाय, सामान्यतः उसे देने से इन्कार नहीं किया जाता। यद्यपि होटल का निरन्तर यह प्रयत्न रहा है कि अपने वचनों का पालन किया जाये, किन्तु कभी कभार कोई ऐसा मौका आ सकता है जब कि किसी पार्टी को या तो होटल में अथवा, किसी असामान्य अवसर पर, दिल्ली के किसी प्रमुख होटल में वैकल्पिक स्थान की पेशकश की जाये।

(घ) कई ममलों में ऐसा करना जरूरी बन जाता है जब कि होटल भरा हुआ हो और जाने वाले मेहमान, हवाई जहाज के प्रस्थान में विलम्ब होने के कारण अथवा अन्य किसी वजह से, पहले निर्धारित समय से अधिक समय के लिये ठहर जायें और अन्य लोगों के लिये आरक्षित स्थान रोक लें।

पश्चिम बंगाल में आसाम के शरणार्थी

†४२८०. श्री हेम बरुआ : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के शरणार्थियों ने, जो आज कल पश्चिमी बंगाल के शिविरों में हैं, प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिस में उन्हों ने कहा है कि वे आसाम जाने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि सरकार कुछ न्यूनतम शर्तें पूरी कर दें;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) जी, हां। २ मार्च, १९६१ को।

(ख) इस ज्ञापन में निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख है :—

(एक) आसाम के निष्क्रमणार्थियों को आसाम में एक स्थान पर बसाया जाये।

(दो) इन लोगों को इन की हानि के लिये मुआवजा और ऋण दिया जाये।

(तीन) आसाम के पिछले दंगों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को उपरोक्त जांच के पश्चात दंड दिया जाये।

(चार) संघ सरकार आसाम में इन लोगों के पुनर्वास के पश्चात इन की सुरक्षा की गारंटी दे।

(ग) उपरोक्त चारों शर्तों के बारे में यह स्थिति है :—

(एक) आसाम सरकार ने यह कहा है कि यदि वे लोग आसाम के उन्हीं जिलों के कुछ अन्य क्षेत्रों में बसना चाहते हैं तो उसे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि वहां पर पुनर्वास की उपयुक्त संभावना हो और आन्तरिक समायोजन किया जा सकता हो।

(दो) आसाम सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार पुनर्वास-सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन १५ मार्च, १९६१ तक १४,५०० परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। सरकार के विचार में पश्चिम बंगाल के शिविरों के परिवारों को इसी आधार पर दी जाने वाली सहायता पर्याप्त रहेगी और इस सहायता योजना की रूपरेखा में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

(तीन) यह मामला आसाम सरकार से सम्बन्धित है। उन सब व्यक्तियों के विरुद्ध जो, दोषी सिद्ध होंगे, कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(चार) पुनर्वास मंत्री ने मार्च, १९६१ में आसाम का दौरा किया था। उन्हें आसाम सरकार ने और बंगाली-भाषी लोगों के प्रतिनिधिमंडलों ने, जिन्हों ने उन से गोहाटी और शिलांग में मुलाकात की थी, यह बताया था कि आसाम में हालात सामान्य हो गये हैं और शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति पूरी तरह से काबू में

उर्वरक कारखाने

†४२८१. **श्री नंजप्पा:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में चार नये उर्वरक कारखाने स्थापित किये जायेंगे !

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ;

(ग) ये कारखाने कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) क्या इन कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ) उनके कारखानों के अतिरिक्त, जिनका निवेली और रूरकेला में पहले से ही निर्माण हो रहा है, सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में ८ अन्य नये उर्वरक कारखानों की स्थापना की मंजूरी दी है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अन्य कारखाने स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है। प्रत्येक कारखाने की स्थापित क्षमता और उनके स्थापना-स्थान का ब्योरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित कारखाने स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है :

स्थान	नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पदन क्षमता (टनों में)	क्षेत्र
१. ट्राम्बे	९०,०००	सरकारी
२. नाहरकटिया	३२,५००	तदेव
३. गोरखपुर	८०,०००	तदेव
४. विशाखापत्तनम . . .	८०,०००	गैर-सरकारी
५. मध्य प्रदेश (स्थान का निर्णय किया जाना है)	५०,०००	,,
६. हनुमानगढ़	८०,०००	,,
७. कोठागुडम	८०,०००	,,
८. एन्नोर-मद्रास	८,२५०	,,

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के 'बेस' अस्पतालों में एक्स-रे संयंत्र

†४२८२. **श्री डा० एरिंग**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेफा' के तमाम 'बेस' अस्पतालों में एक्स-रे के संयंत्र लगाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कब लगाये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य सम्बन्धित उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण एक एक्स-रे संयंत्र बेकार पड़ा हुआ है ;

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: तेजू और पासीघाट के अस्पतालों में पहले से ही एक्स-रे संयंत्र लगाये जा चुके हैं। 'नेफा' के शेष 'बेस' अस्पतालों में ये संयंत्र तब लगाये जायेंगे जब तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि इमारतों का निर्माण हो जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पासीघाट 'बेस' अस्पताल का एक्स-रे संयंत्र बेकार पड़ा है क्योंकि जब वह प्राप्त हुआ था तो उस में कुछ आवश्यक हिस्से नहीं थे। अब ये हिस्से प्राप्त हो गये हैं। जिस फर्म से इसे खरीदा गया था, वह फर्म अब इसे लगा रही है।

ज़िरो हाई स्कूल (नेफ़ा)

†४२८३. **श्री डा० एरिंगः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नेफा' के सुबंसिरी डिवीजन के सदरमुकाम ज़िरों में ज़िरो एच० ई० स्कूल के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच विवाद होने के कारण इस स्कूल को कुछ दिनों से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अव्यस्क विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है और क्वार्टर-गार्ड में रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस बीच कोई सुलह समझौता हो गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ) पिछले स्वतन्त्रता दिवस पर ज़िरो हाई स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने कुछ अनुशासन विरोधी हरकतें कीं। सिनेमा से लौटते समय उन्होंने कुछ जीपों को रोक लिया, उन पर पत्थर फैंके और ड्राइवरों से ज़ोर जबरदस्ती की। हालांकि कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची। तीन दिन पश्चात उन्होंने एक सिनेमा के अन्दर अव्यवस्था उत्पन्न की। २० अगस्त, १९६० को कुछ अध्यापकों पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने शरारतियों के नायकों के विरुद्ध शिकायत की थी।

कोई गिरफ्तार नहीं की गयी किन्तु १९ और २० वर्ष की आयु के १३ विद्यार्थियों को, जिन्होंने इन घटनाओं में मुख्यरूप से भाग लिया था, तराई के किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था ताकि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके।

स्थानीय राजनैतिक अधिकारी ने गांव के मुखियों और विद्यार्थियों के माता-पिताओं की एक सभा बुलायी। उन्होंने छात्रों के दुर्व्यवहार की निन्दा की।

इसके उपरान्त छात्रों को, जब कि उन्होंने क्षमा याचना कर ली, स्कूल में पुनः दाखिल कर लिया गया।

स्कूल कुल पांच महीने बन्द रहा जिसमें ग्रीष्म-अवकाश भी शामिल है। इसमें वह अवधि में शामिल है, जो स्कूल को चार मील दूर उसकी स्थायी इमारत में बदलने में लगी।

व्यापरिक फर्मों को नयी चीजों के उत्पादन के लिए लाइसेंस

†४२८४. **श्री अरविन्द घोषालः** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की किसी मौजूदा फर्म को १९६०–६१ में नये चीजों के उत्पादन के लिए कोई लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत १९६० और १९६१ में भारत की मौजूदा फर्मों को अधिनियम के सैक्शन ११ में परिभाषित 'नयी चीज़ों' के उत्पादन के लिए क्रमशः ३९८ और ८८ लाइसेंस दिये गये ।

श्री सयाजी जुबिली काटन एण्ड जूट मिल्स, सिद्धपुर

†४२८५. **श्री मो० ब० ठाकुर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री सयाजी जुबिली काटन एण्ड जूट मिल्स, सिद्धपुर को पुनः चालू होने में कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या उपरोक्त कारखाने के सभी मजदूर रोजगार पर लगे हुए हैं ; और

(ग) कारखाने को कितनी हानि हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क). मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी गोष्ठी

†४२८६. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अप्रैल, १९६१ के प्रारम्भ में औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गयी थीं अथवा मत प्रकट किये गये थे ; और

(ग) इनके बारे में सरकार का क्या निश्चय है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: जी हां । विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ३ अप्रैल, १९६१ से ५ अप्रैल, १९६१ तक औद्योगिक सहकारिता के बारे में एक गोष्ठी हुई थी ।

(ख) इस गोष्ठी में हुई चर्चा से जो निष्कर्ष निकले उनका ब्योरा संलग्न नोट [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४९**] में दिया गया है ।

(ग) गोष्ठी की सिफारिशों पर सरकार यथा समय निश्चय करेगी ।

गंगटोक में तिब्बत से काश्मीरी मुसलमान

†४२८७. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिब्बत से काश्मीरी मुसलमानों का कोई नया दल आया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: इस महीने तिब्बत से १४ काश्मीरी मुसलमानों (५ पुरुष और ७ स्त्रियां और २ बच्चे) का एक दल पहुंचा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

†४२८८. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की जांच समाप्त होने तक कुल कितने रजिस्टर्ड गोदी श्रमिकों को मुअत्तल किया गया है ;

(ग) उन्हें कितने समय तक मुअत्तल किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). जानकारी निम्नलिखित है :—

जांच होने तक मुअत्तल किये गये कर्मचारियों की संख्या	जिस तिथि से मुअत्तल किया गया	टिप्पणी
३३	मार्च, १९५९	. एक मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय होने तक जांच कार्य स्थगित कर दिया गया है ।
१	दिसम्बर, १९५९	. इस व्यक्ति का मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।
५	फरवरी, १९६१	. यह मामला बोर्ड के विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान

†४२८९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट के ४०वें अध्याय के पैराग्राफ ३ और ४ में सरकारी कर्मचारियों के आवास के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). इन सिफारिशों के अनुसार, जिनका संक्षेप रिपोर्ट के पैरा १६४ में दिया गया है, सरकार को "अपने कर्मचारियों के आवासन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम" बनाना चाहिए । निर्माण, आवास, और संभरण मंत्रालय को सामान्य पूल में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान के निर्माण करने का कार्य सौंपा हुआ है । यह पूल अब तक दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में बनाया जा चुका है । वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के कारण इस समय यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रत्येक स्थान पर कर्मचारियों की एक निर्धारित प्रतिशत को पर्याप्त निवास-स्थान की व्यवस्था करना है । तीसरी योजना में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए की गयी व्यवस्था को और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की क्षमता को देखते हुए दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में क्वार्टरों के निर्माण के कार्यक्रम को बढ़ाया जायेगा; मद्रास में भी सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों के

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। मकान बनाने का प्रश्न इस कार्य के लिए तीसरी योजना के दौरान उपलब्ध धन और केन्द्रीयलोक निर्माण विभाग की क्षमता पर ही निर्भर नहीं है बल्कि इस प्रकार की प्रस्थापनाओं के आर्थिक औचित्य पर भी निर्भर करता है। तीसरी योजना के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कार्यक्रम अभी तैयार नहीं हुआ।

सरकारी इमारतों का वातानुकूलन

†४२९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तिम रूप से यह निश्चय किया है कि सरकारी कार्यालयों की नवनिर्मित और कई मंजिलों वाली इमारतों का केन्द्रीय रूप से और पूरी तरह से वातानुकूलन नहीं करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तिम निश्चय के अनुसार इन इमारतों का वातानुकूलन कहां तक किया जायेगा; और

(ग) पहली योजना के पुनरीक्षण के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). निश्चय यह किया गया है कि इमारतों को एयर कंडीशन करने की व्यवस्था तो की जानी चाहिए ताकि बाद में विदेशी मुद्रा, वित्तीय संसाधन और विद्युत उपलब्ध होने पर इन इमारतों का वातानुकूलन किया जा सके।

दिल्ली / नई दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति

†४२९१. **श्री राम गरीब :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में पट्टे पर दी गयी निष्क्रान्त सम्पत्ति में से, जिसका पट्टे की शर्तों के अनुसार २० वर्ष के पश्चात पुनर्नवीकरण किया जाना आवश्यक होता है, अधिकांश जायदाद के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जायदाद की संख्या कितनी है;

(ग) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकार से पट्टे की शर्तों के पुनर्नवीकरण न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिनको यह सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों द्वारा तथा उसके पश्चात पुनर्वास मंत्रालय इनके पट्टों का पुनर्नवीकरण नहीं कराया गया था; और

(ङ) सरकार का इस सिलसिले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां।

(ख) ९०।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). दिल्ली विकास प्राधिकार इस मामले पर विचार कर रहा है।

(ङ) हमें कुछ पता नहीं। अलाटियों का अभी भी इन जायदादों पर कब्ज़ा है और उन्हें अभी यहां से हटाया नहीं गया।

निर्यातकों को दीर्घ-कालीन ऋण दिये जाने के प्रश्न की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट

†४२९२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को दीर्घ-कालीन ऋण सम्बन्धी प्रश्न की जांच के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गयी छः सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

†**वाणिज्य तथ उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) से (ग). निर्यात के लिये ऋण सुविधाओं सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास

†४२९३. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को वष १९६०–६१ में उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि ऋण और अनुदान के रूप में दी गयी; और

(ख) अनुदान और ऋण में से अलग-अलग कितना खच किया गया है और प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि खर्च नहीं की जा सकी?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ऋण . . १९७.४२ लाख रु०
अनुदान . . १३८.१८ लाख रु०

(ख) ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है उसकी मंजरी प्रति वर्ष राज्यों द्वारा पहली तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक खर्च और चौथी तिमाही के अनुमानित खर्च के आधार पर की जाती है। इसलिये उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताये गये ऋणों और अनुदानों को देखते हुए उनका उपयोग न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की समस्यायें

†४२९४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि सरकारी क्षेत्रीय औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की समस्याओं के बारे में केन्द्र कार्यवाही करे;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनके विचार क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अभी सब उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन रिपोर्ट

४२९५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की आठवीं रिपोर्ट कब प्रकाशित की जायेगी;

(ख) क्या उस रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण निकालने की भी व्यवस्था कर ली गई है; और

(ग) क्या रिपोर्ट को हिन्दी संस्करण के साथ ही प्रकाशित किया जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क). आठवां मूल्यांकन प्रतिवेदन सामुदायिक विकास के आगामी वार्षिक सम्मेलन के बाद प्रकाशित किया जायगा । आशा है कि यह सम्मेलन जुलाई १९६१ में होगा ।

(ख) और (ग). जिस समय आठवां मूल्यांकन प्रतिवेदन अंग्रेजी में प्रकाशित होगा, लगभग उसी समय उसका संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर भी प्रकाशित किया जायेगा ।

दिल्ली में प्रदर्शनियां

४२९६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जो प्रदर्शिनियां गत वर्षों में आयोजित होती रही हैं उनमें प्रदर्शित वस्तुओं के विवरण आदि हिन्दी में प्रस्तुत न होने के विषय में कोई सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से सरकार को शिकायतें की गई थीं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था भविष्य के लिये की है कि जब दिल्ली में किसी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये तो उसमें प्रदर्शित समस्त वस्तुओं का विवरण हिन्दी में अवश्य लिखा हो और प्रदर्शनी में नियुक्त कर्मचारी दर्शकों को हिन्दी में समझायें; और

(ग) क्या ऐसी व्यवस्था इस वर्ष होने वाली उद्योग प्रदर्शनी के लिये अपनायी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) (क) से (ग)**. दिल्ली की एक संस्था से प्राप्त एक पत्र की प्रतियां सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों तथा होने वाली उद्योग प्रदर्शनी के व्यवस्थापकों को भिजवा दी गयी हैं । उन्हें सलाह दी गयी है कि वे पत्र में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तरों में हिन्दी के फार्मों का प्रयोग

४२९७. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों में जो फार्म उपयोग में आते हैं क्या उन सब का हिन्दी अनुवाद करा लिया गया है; और

(ख) ऐसे कितने फार्म हैं जिनका अभी हिन्दी अनुवाद होना बाकी है और इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). राष्ट्रीय नियोजन सेवाओं की नियमावली के अनुसार फार्मों को हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं में अनुदित करना जरूरी माना गया है। क्योंकि रोज़गार दफ्तरों का प्रशासन कार्य, सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है, इसलिए देश भर के सभी रोज़गार दफ्तरों के बारे में पूछी गई यह जानकारी, इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं है ।

दिल्ली में काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा हिन्दी में पत्र-व्यवहार

४२९८. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **श्रम तथा रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य हिन्दी भाषी राज्यों के काम दिलाऊ दफ्तरों में जिन व्यक्तियों के नाम मिस्त्री आदि पदों के लिये पंजीकृत होते हैं अथवा जिन पदों के उम्मीदवार अधिक अंग्रेजी पढ़े-लिखे नहीं होते, क्या उनके पास काम दिलाऊ दफ्तरों से जाने वाले सूचनायें या पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो हिन्दी में ऐसे पत्र और सूचनायें आदि भेजने की क्या और कब से व्यवस्था की जा रही है अथवा की जायगी।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

हिन्दी में भेजे गये पत्र

४२९९. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन भुगतान अधिनियम तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों की ओर से जो कार्यवाही की जाती है क्या वह सम्बन्धित व्यक्तियों की सुविधा के लिये हिन्दी में करने की कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि ऐसी व्यवस्था हिन्दी भाषी राज्यों में अभी तक नहीं की गई है, तो उसे कब से करेंगे का प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) से (ग) : वेतन अदायगी कानून और न्यूनतम वेतन कानून का प्रशासन जहां तक राज्य सरकारों के क्षेत्र के उद्योगों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें करती हैं। वेतन अदायगी कानून की धारा १५ और न्यूनतम वेतन कानून की धारा २० के अधीन आने वाले दावों की सुनाई और निर्णय के लिये राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्र के उद्योगों के लिये जो अधिकारी नियुक्त किये हैं, केन्द्रीय सरकार ने भी अपने क्षेत्र के उद्योगों से सम्बन्धित दावों की सुनाई और निर्णय के लिये उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किया है। कर्मचारी मुआवजा कानून और न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत मामलों पर हिन्दी में कार्रवाई करने के लिये उन अधिकारियों ने क्या व्यवस्था की है, यह मालूम नहीं है।

कोयला खान औद्योगिक विवाद

†४३००. { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्री वर्ष १९६० में कोयला खानों से सम्बन्धित कितने औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्देशित किये गये;

(ख) उनमें से कितने भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस और अखिल भारतीय कार्मिक संघ से सम्बद्ध संघों के बारे में हैं; और

(ग) क्या वर्ष १९६० में उठाये गये विवादों की संख्या वर्ष १९५९ की अपेक्षा अधिक है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ६३।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध संघों द्वारा ४३ और अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध संघों द्वारा विवाद उठाये गये।

(ग) जी, हां।

संघ लोक सेवा आयोग के लिये स्थान

४३०१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री १९ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग के लिये जो अतिरिक्त भवन बनाना स्वीकार किया गया है, उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(ख) उसका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) धौलपुर हाउस के अहाते में एक अतिरिक्त कार्यालय भवन के, जिसमें एक साइकिल स्टैण्ड भी सम्मिलित है, निर्माण का आकलित (ऐस्टिमेटिड) व्यय ८,८६,५४० रुपये और इस पर प्रतिशत के हिसाब से विभागीय प्रभार (चार्ज) है।

(ख) लगभग २ वर्ष में।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो आइसोटोप्स

†४३०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो आइसोटोप का नीरोगण, उद्योग और कृषि में इस्तैमाल किया जायेगा;

(ख) क्या इस दिशा में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसको कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी, हां। सभी कार्यों में इनका इस्तैमाल हो रहा है।

(ख) जी, हां। वर्ष १९५७ में रेडियो आइसोटोप तैयार करने और इसके इस्तैमाल को प्रोत्साहन देने के ख्याल से अणुशक्ति संस्थान में एक आइसोटोप डिवीजन स्थापित किया गया है।

(ग) प्रमुख रेडियो आइसोटोप, पी-३२, आई-१३१ और एस-३५ का आइसोटोप डिवीजन में नियमित रूप से उत्पादन किया जा रहा है और कई अन्य रेडियो आइसोटोप मांग पर तैयार किये जाते हैं। यह सामान अधिकतर चिकित्सक लोग लेते हैं जिनको अब तक प्राप्त १९० प्रेषकों में से ११५ रेडियो आयोडीन के थे। हमारे कार्यक्रम में अस्पतालों में रेडियो कोबाल्ट संसाधनों की बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना, रेडियम बदलना और चिकित्सा के लिये विशेष रूप से तैयार किये गये वेडियोआइसोटोप का बड़ी मात्रा में व्यवस्था करना शामिल है।

कृषि में इसका प्रमुख उपभोक्ता भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, दिल्ली है जिसको अब तक संस्थान से रेडियो आइसोटोप के १९ प्रेषण प्राप्त हो चुके हैं। उर्वरकों के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान के लिये रेडियोफोस्फरस से सम्बद्ध फोस्फेट उर्वरक के निर्माण और कृषि अनुसन्धान में प्रयोग के लिये कई अन्य विशेष उत्पादों के उत्पादन का विकास किया जा रहा है।

रेडियो आइसोटोप का औद्योगिक इस्तेमाल भारत में अभी आरम्भ हो रहा है। ट्राम्बे में रेडियोग्राफी संसाधन बनाये जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की बेटा-रे गेजिज (Beta-ray gauges) सम्बन्धी विकास कार्य किया जा रहा है। इन उपकरणों को तैयार करने का इरादा है ताकि इनका उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल हो सके।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वी पाकिस्तान से सूखी मछली का निर्यात

†४३०३. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के आयात तथा निर्यात के संयुक्त नियन्त्रक ने मनीपुर के लिये पूर्वी पाकिस्तान से सूखी मछलियों के आयात के लिये एक कोटा जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष इस कोटे का पूरी तरह इस्तैमाल किया गया; और

(ग) वर्तमान छमाही के लिये कुल कोटा कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अप्रैल-सितम्बर, १९६० के लिये कोटा का पूरा इस्तेमाल किया गया है । अक्तूबर, १९६०-मार्च, १९६१ की लाइसेंस की अवधि के बारे में अभी मनीपुर के मुख्यायुक्त की सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण, पूरे कोटा के लिये लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं ।

(ग) अप्रैल, १९६१ से मार्च, १९६२ तक पूरे एक वर्ष के लिये ६०,००० रुपये का आवंटन किया गया है ।

विनय नगर में दूकानदार

†४३०४. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेन विनय नगर मार्केट, नई दिल्ली में कई दूकानदारों ने अस्थायी ढांचे खड़े कर लिये हैं और अपना व्यापार बढ़ा लिया है जिससे मार्केट में भीड़भाड़ हो गयी है और इसका संरचनात्मक सौन्दर्य नष्ट हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). कुछ दूकानदारों ने आवंटित स्थान में अनधिकृत निर्माण कर लिया है । सम्बन्धित आवंटितों को ऐसे निर्माण के लिये केन्द्रीय लोक कर्म विभाग की अनुमति लेने को कहा गया है । यदि ऐसा न हुआ और उन्होंने वह ढांचा नहीं हटाया तो उनका आवंटन रद्द किया जा सकेगा ।

आकाश वाणी का चीनी यूनिट

†४३०५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के चीनी यूनिट में कई भारतीय और चीनी काम कर रहे हैं;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि यह यूनिट अपने प्रसारणों में किसी गुट में शामिल न होने की सरकारी नीति को कार्यान्वित कर रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के चीनी सेक्शन में ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसको चीनी भाषा अच्छी तरह आती हो ताकि वह यूनिट की क्रियान्विति और वहां चीनी कार्यकरण की देख-भाल कर सके ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) आकाशवाणी के चीनी यूनिट में सात चीनी और एक भारतीय काम कर रहे हैं ।

(ख) अधिकांश कार्यक्रमों की मास्टर लिपियां भारतीयों द्वारा तैयार की जाती हैं और फिर वे सक्षम अधिकारियों द्वारा चेक की जाती हैं ।

(ग) जी, नहीं । चीनी यूनिट का संगठन कर्त्ता एक भारतीय है जिसने चीनी भाषा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कस्तूरबा नगर में नालियां

४३०६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कस्तूरबानगर में नई नालियों को मुख्य नालियों से नहीं मिलाया गया है जिससे गन्दा पानी इधर उधर बह रहा है और इस गन्दगी के कारण मच्छरों की वृद्धि हो रही है ; और

(ख) क्या ऊपर की मंजिलों में रहने वाले कर्मचारियों को गर्मियों में नीचे के नलों से पानी भरने के लिये काफी समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिससे दोनों मंजिलों के लोगों को परेशानी होती है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख). कस्तूरबा नगर में पहले खुली नालियां बनाई गई थीं, जिनका सम्बन्ध भूमि के नीचे वाली मल निकास नाली से नहीं था। इसके फलस्वरूप गन्दगी और गरमियों में ऊपर की मंजिल के मकानों में काफी पानी न पहुंचने की शिकायतें प्राप्त होने पर खुली नालियों का सम्बन्ध मल निकास नाली से जोड़ने और पानी के पर्याप्त संभरण को सुनिश्चित करने के लिये पानी का दबाव बढ़ाने, दोनों के निर्माण कार्य शुरू कर दिये हैं और आशा है कि दोनों शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे।

मजदूर संघों को हिन्दी में पत्र लिखना

४३०७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी भाषी प्रदेशों के मजदूर संघों को जो पत्र और परिपत्र भेजे जाते हैं क्या उनको हिन्दी में, अथवा हिन्दी अनुवाद के साथ भेजने की कोई व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो कब से ऐसी व्यवस्था की जाने वाली है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में भेजने की व्यवस्था की जा चुकी है। विभिन्न सरकारी कामों में हिन्दी का प्रयोग अब गृह-मंत्रालय के २७ मार्च, १९६१ को जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

क्वार्टर मिलने की सूचना हिन्दी में भेजना

४३०८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले क्वार्टरों के विषय में सूचना हिन्दी में दी जाया करे ; और

(ख) गत तीन मास में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कितने आवंटन-[illegible] हुए और उनमें से कितने हिन्दी में भेजे गये ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) यह निश्चय किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सम्बन्ध रखने वाले नियतन (एलौटमेंट) आदेश हिन्दी में जारी किये जा सकते हैं या विकल्प के तौर पर मूल अंग्रेजी नियतन आदेशों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भेजा जा सकता है।

(ख) पिछले ३ महीनों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम ४६२ नियतन-पत्र भेजे गये और उनमें से हिन्दी में कोई भी नहीं था। सम्बन्धित फौर्मों का हिन्दी में अनुवाद कराने और छपवाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जा रहा है।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट

४३०९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में कितने कर्मचारी हिन्दी टाइप का काम करते हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण अब तक ले चुके हैं और कितने कर्मचारी इस समय ऐसा प्रशिक्षण ले रहे हैं ; और

(ग) भविष्य में क्या और भी कुछ इस तरह के कर्मचारियों को बढ़ाने का विचार है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) तीन।

(ख) तीन प्रशिक्षण ले चुके हैं और एक प्रशिक्षण ले रहा है।

(ग) जी हां।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

४३१०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारियों ने "हिन्दी सिखाओ योजना" के अन्तर्गत "प्रवीण" और "प्राज्ञ" परीक्षायें अलग-अलग पास की है ;

(ख) क्या उनसे हिन्दी का काम लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सा कार्य लिया जा रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये शुरू की गई हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत दो कर्मचारीरियों ने प्राज्ञ परीक्षा पास की है। इनमें एक कर्मचारी ने प्रवीण परीक्षा पास की है।

(ख) और (ग) मुख्य श्रम कमिश्नर के दफ्तर का हिन्दी का काम इस समय वहां के एक हिन्दी सहायक करते हैं। यह निर्देश किया गया है कि जब जरूरत हो, उपरोक्त दो व्यक्तियों से भी हिन्दी के काम में मदद ली जाय।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय द्वारा निकाले गये हिन्दी परिपत्र

४३११. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में वर्ष १९६० की पिछली छमाही में चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों से सम्बन्धित कुल कितने परिपत्र निकाले गये और उनमें से कितने हिन्दी में भी निकाले गये ; और

(ख) क्या भविष्य में इन कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी परिपत्र आदि हिन्दी में भी निकालने की उचित व्यवस्था कर ली गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी हां ।

राजस्थान में अणु-शक्ति केन्द्र

†४३१२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलवर तथा भरतपुर में किस किस्म के तथा कितनी मात्रा में आणविक खनिज उपलब्ध हैं ; और

(ख) क्या इन निक्षेपों को राजस्थान के आस पास अणु-शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समझा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अलवर क्षेत्र में यूरेनियम खनिज इधर उधर फैले हुए हैं तथा बहुत सीमित हैं । भरतपुर क्षेत्र में यूरेनियम महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं है ।

(ख) अणु-शक्ति केन्द्र की स्थापना इस बात पर निर्भर नहीं करती कि जिस स्थान पर वह स्थापित किया जाये उसके आस पास यूरेनियम खनिज पाये जाते हैं । नाभिकीय शक्ति उत्पादन पर आने वाली लागत में यूरेनियम के परिवहन पर आने वाले खर्च का कोई विशेष महत्व नहीं है ।

२४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के उत्तर में लोक-सभा में बताया गया था कि योजना आयोग ने, कुछ कारणों से, जैसे कोयले के अधिक मूल्य, दिल्ली-पंजाब-राजस्थान क्षेत्र में १५० एम डब्ल्यु का परमाणु, बिजलीघर बनाने के लिए स्थान ढूंढने का अधिकार अणु-शक्ति विभाग को दे दिया है । परन्तु ऐसा केन्द्र स्थापित करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

आसाम के लिये सिमेंट

†४३१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० वर्ष के आरम्भ से प्रत्येक तिमाही में आसाम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना सीमेंट मांगा गया, आवंटित किया गया तथा भेजा गया ;

(ख) क्या सितम्बर, १९६० के बाद की अवधि में आवंटन और यातायात की स्थिति खराब हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६० से आसाम के लिए, सीमेंट की मांग, आवंटन और यातायात नीचे दिया जाता है :—

अवधि	मांग	आवंटन	यातायात
	(लाख टनों में)		
जनवरी-मार्च ६०	२२,२००	२२,२००	२८,१८३
अप्रैल-जून २/६०	२८,३६२	२८,३६२	१९,१२०
जुलाई-सितम्बर ३/६०	४१,१६६	४१,१६६	७,८९६
	(मीट्रिक टनों में)		
अक्तूबर-दिसम्बर ४/६०	६०,९६९	२८,०००	२३,६७५
जनवरी-मार्च १/६१	७०,८२४	३३,०००	२२,०००
अप्रैल-जून २/६१	६२,८५०	३३,०००	भेजा जा रहा है

(ख) और (ग). इस्पात की उपलब्धता बढ़ जाने से तथा समस्त देश में निर्माण कार्य बढ़ जाने से सीमेंट की मांग जो पिछले दो वर्षों में उत्पादन के अनुरूप थी, १९६० के आरम्भ से बढ़नी शुरू हो गई और अब उपलब्धता से बहुत बढ़ गई है । जनवरी-मार्च १९६० की तिमाही में प्रति मास मांग ७.३८ लाख मीट्रिक टन थी जो जनवरी-मार्च, १९६१ की तिमाही में १२.६२ लाख मीट्रिक टन हो गई जब कि इस अवधि की अनुमानित उपलब्धता ७.२१ लाख टन थी । अप्रैल-जून ६१ की तिमाही में मांग बढ़ कर १३.४८ लाख मीट्रिक टन प्रति मास हो गई जब कि अनुमानित मासिक उत्पादन ७.३५ लाख मीट्रिक टन है । इन परिस्थितियों में सभी मांग पूरी करनी संभव नहीं है । रेल द्वारा प्रायः प्रतिबन्ध लगा देने तथा वैगनों की कमी के कारण सीमेंट के यातायात में कमी आ गई थी ।

कपिल टेक्सटाइल मिल्स, नानपानगुडा (मैसूर)

†४३१४. { **श्री कुन्हन** :
श्री महम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपिल टैक्सटाइल मिल्स, नानपानगुडा, मैसूर राज्य जो दो वर्ष से बन्द थी को पुनः खोलने के लिए कदम उठायें जा रहे हैं ;

(ख) इसको बन्द करने के मुख्य कारण क्या थे ; और

(ग) यह कब तक खोली जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मिल का 'परिसमापन' हो गया है । यह बताया गया है कि फरवरी १९६१ में मैसूर के उच्च न्यायालय ने मिल का नीलाम किया था । और उसको किसी ने खरीद लिया है । उच्च न्यायालय द्वारा बबिक्री की पुष्टि कर दी गयी है और आशा है कि खरीददार मिल को शीघ्र चालू कर देगा ।

(ख) मजदूर विभाग ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पुनर्वास उद्योग निगम

४३१५. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम में कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) उक्त निगम में कुल कितने वेतन भोगी कर्मचारी काम करते हैं और उन पर पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ ;

(ग) उक्त निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी को प्रति मास कितना वेतन दिया जाता है और उनकी योग्यतायें क्या हैं ;

(घ) पिछले दो वर्षों में इसने कितना कर्ज प्रतिवर्ष दिया ; और

(ङ) पिछले दो वर्षों में इस को प्रति वर्ष कितनी हानि हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ५० लाख रु० ।

(ख) ३१-३-६० और ३१-३-६१ को क्रमशः २३ और ३० कर्मचारी थे । उन्हें क्रमशः १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान वेतन और भत्ते के रूप में ९६,७५६ रु० और १,३५,३९३ रु० का भुगतान किया गया था ।

(ग) २,२५० रु० और १,७०० रु० क्रमशः इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर एम० ए० बी० काम, सी० ए० आई० बी० (लन्दन) हैं जो इस निगम में आने से पहले स्टेट बैंक आफ इंडिया कलकत्ता के सेक्रेटरी और खजांची थे । सेक्रेटरी एक एम० ए० (अर्थ०) हैं और जो इस निगम में आने से पहले उप-प्रमुख प्रशासक, पुनर्वास, वित्त प्रशासन थे ।

(घ) १९५९–६० में ४,८९,००० रु० और १९६०–६१ में ६,८२,००० रु० ।

(ङ) १९५९–६० में १,२३,६८१ रु० और १९६०–६१ में १,४५,४९६ रु० की शुद्ध हानि हुई ।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†४३१६. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से देश भारतीय सिलाई की मशीनों का आयात कर रहे हैं ;

(ख) भारतीय सीने की मशीनों के कौन प्रतिद्वन्द्वी हैं ;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसके निर्यात के कोई लक्ष्य हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) भारतीय सिलाई की मशीनों का आयात निम्न देश कर रहे हैं :—

मिश्र, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, लंका, यूगोस्लाविया, बर्मा, कांगो, थाईलैंड, अमरीका, कनाडा, पाकिस्तान, ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, सिंगापुर, कुवैत, मलाया, सूदान, नीदरलैंडस, आस्ट्रेलिया, बहरीन, नाइजीरिया, रोडेशिया, (उत्तर तथा दक्षिण) लेबनान, जोर्डन, फ्रांस, तुर्की, ओमान, माल्दीव, मस्कट, ईराक, ईरान, कम्बोडिया, गैम्बिया, सीरिया, लिपोनी, घाना, सोमालिया, मौरीशास, लिब्या, मोरोक्को, मोजमबिक, मलागस्ई, त्रिनिद्दाद, ब्रिटिश ग्याना, हिमारी, न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड, अदन, सीरिया, सउदी अरब, फ्रेंच वैस्ट अफ्रीका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जापान मुख्य प्रतिद्वन्द्वी है ।

(ग) कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। तीसरी योजना में निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा।

सिलाई की मशीनों का उत्पादन

†४३१७. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सिलाई की मशीनों की तुलना 'सिंगर' जैसे विदेशी निर्माताओं द्वारा बनाई गई मशीनों से की जा सकती है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में सिंगर स्वींग मशीन कम्पनी भारतीय मशीनों को खरीद कर, पुनः बेच रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि 'सिंगर्स' ने 'मेरिट' तथा 'द्वारा बेची गई' शब्द सिंगर' के शब्द के बाद खरीदी गई भारतीय मशीनों पर लिखे हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इसके बारे में कोई कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, मूल्यों में ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था कि देश में बनाई गयी परन्तु 'सिंगर' द्वारा बेची जाने वाली मशीनों पर भारत में बनी (मेड इन इण्डिया') शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखे होते हैं। हमारे सुझाव पर अब सिंगर सीविंग मशीन कम्पनी ने मशीनों पर "सिगर सीविंग मशीन कम्पनी द्वारा बेची गई" शब्दों के आकार के समनुरूप "भारत में बनी" ("मेड इन इण्डिया") शब्दों को भी साथ-साथ लिखने के लिये आवश्यक कार्यवाही की है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†४३१८ { **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री राम गरीब :
श्री बसुमतारी : }

क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में जनरल पूल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, अर्थात् चपरासियों तथा दफ्तरियों के कितने क्वार्टरों में (कालोनी-वार) बिजली नहीं लगाई गई है ;

(ख) ऐसे कितने क्वार्टरों (कालोनी-वार) में बिजली लगी हुई है ;

(ग) कितने क्वार्टरों में छत के पंखे नहीं हैं ; और

(घ) क्या चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में दी गई सुविधायें अन्य श्रेणी के क्वार्टरों के समान ही है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†४३१९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कर्मचारियों को प्राशिक्षित करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए कोई केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

लघु उद्योग सेवा संस्था, कटक, कुछ समय से व्यापार प्रबन्ध तथा ब्लू प्रिंट रीडिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है । जिससे उड़ीसा के छोटे उद्योगों को लाभ हो ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार में ट्रैक्टर

†४३२०. **श्री मुरारका : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने प्रतिरक्षा मंत्रालय को ७५ ट्रैक्टर का अतिरिक्त संभरण करने का आर्डर दिया था ;

(ख) इन ७५ ट्रैक्टरों को देने का कार्यक्रम क्या था तथा इसको किस प्रकार पूरा किया गया था ; और

(ग) प्रत्येक ट्रैक्टर के मूल्य क्या हैं तथा अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) जी हां, १९ अप्रैल, १९६० को ।

(ख) मई, १९६० में डी० जी० ओ० एफ० ने जी० डी० ए० को बताया कि नवम्बर १९६० तक ट्रैक्टरों को दे दिया जायेगा । इस देने की अनुसूची में बाद में परिवर्तन कर दिया गया तथा यह बता दिया गया कि दिसम्बर १९६० से इनको देना शुरू किया जायेगा तथा फरवरी १९६१ तक पूरा कर दिया जायेगा । परन्तु फरवरी १९६१ के अन्त तक केवल २५ ट्रैक्टर दिए गए थें तथा २७ और ट्रैक्टर अप्रैल, १९६१ के मध्य तक दिए गए जो सब मिलकर ५२ ट्रैक्टर हो गये ।

(ग) प्रत्येक ट्रैक्टर का मूल्य १,२०,००० रुपये है ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार

†४३२१. **श्री नथवानी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्दकारण्य विकास प्राधिकार ने संभरण तथा निपटान के महा-निदेशालय के जरिये अमरीका में बने ४५ ट्रैक्टरों के संभरण का आर्डर दिया है ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों का संभरण कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) यदि हां, तो क्या संभरण निर्धारित समय के अनुसार किया गया है ; और

(घ) प्रत्येक ट्रैक्टर का क्या मूल्य है,?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) "कैटरपिल्लर" संख्या २६ (पीछे की ओर माउन्टेड हैवी ड्यूटी, डबल ड्रम, केबिल कन्ट्रोल यूनिट)	१,६५,६७० रुपये प्रति ट्रैक्टर
"कैटरपिल्लर" संख्या ३०. (आगे की ओर माउन्टेड हैवी ड्यूटी, सिन्गल ड्रम केबिल कन्ट्रोल यूनिट)	१,६०,२०२ रुपये प्रति ट्रैक्टर

औद्योगिक दुर्घटनायें

†४३२२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में देश में कितनी औद्योगिक दुर्घटनायें हुयीं ; और

(ख) उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जावेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) १,३६,७०७ (कारखानों में-पंजाब, त्रिपुरा और जम्मू तथा काशमीर में दुर्घटनाओं को छोड़कर, क्योंकि इनके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है) राज्य सरकारों का कारखाना निरीक्षणालय कारखाना अधिनियम, लागू करवाने के लिये उत्तरदायी है, जिसमें कारखानों में सुरक्षा की व्यवस्था है ।

(ख) कारखानों में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के प्रश्न पर जनवरी, १९६० में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के १९वें सत्र में विचार किया गया और सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं । इस मामले पर स्थायी श्रम समिति ने भी अप्रैल, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में हुई अपनी बैठक में विचार किया था ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान

†४३२३. **श्री राम गरीब:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों को डायरेक्टरेट आफ़ एस्टेट्स के सामान्य 'पूल' में से क्वार्टर आवंटित नहीं किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस भेद को दूर करेगी ; और

(घ) वर्ष १९६० में प्रत्येक यूनिट में श्रेणी-वार दिल्ली/नई दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों को कितने नये क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). दिल्ली/नई दिल्ली में डाक तथा तार के महा-निदेशालय में काम करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त डाक तार विभाग के कर्मचारियों के मामलों पर डायरेक्टरेट आफ़ एस्टेट्स के अधीन सामान्य 'पूल'

---

†मूल अंग्रेजी में

में से क्वार्टरों के आवंटन के लिये विचार नहीं किया जाता क्योंकि प्रथम तो वह विभाग एक वाणिज्यिक विभाग है और दूसरे उनका मकानों का अपना अलग 'पूल' है। वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान के लिये केवल एक ही 'पूल' से आवंटन के लिये माना जाता है। डाक तथा तार विभाग ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की योजनायें बनायी हैं जिनके पूरा होने पर दिल्ली/नई दिल्ली में उनके लगभग ३० प्रतिशत कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

(घ) वर्ष १९६० में कोई नये क्वार्टर तैयार नहीं किये गये और न ही डाक तथा तार विभाग को अपने कर्मचारियों को आवंटन के लिये दिये गये।

आसाम में मोटर के टायरों की कमी

†४३२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम में सभी साइजों के मोटर के टायरों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में मोटर के टायरों की बिक्री को नियमित करने के लिये कौन उत्तरदायी है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान इस विषय पर ४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। उस के बाद राज्य व्यापार निगम को आयात किये गये बड़े आकार के टायरों की अग्रेतर खेपें प्राप्त हुई हैं। निगम ने आसाम की राज्य सरकार से कहा है कि वे अपनी अतिरिक्त मांग बतायें जो कि पूरी की जायेगी।

(ख) टायरों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। बिक्री सामान्य व्यापारियों द्वारा की जाती है। तथापि, आयात किये गये टायर राज्य व्यापार निगम द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरित किये जाते हैं।

कपड़ा मिलें

४३२५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) कितनी कपड़ा मिलों ने वर्ष १९५९–६० में अपने लेखे का विवरण पेश किया;

(ग) जिन मिलों ने अपने लेखे का विवरण नहीं भेजा उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(घ) प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी सहायता योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी मिलें चलाई जा रही हैं और इनमें कितनी पूंजी लगी हुई है तथा इन्हें कितना लाभ हुआ और इन पर कितना खर्च हुआ;

(ङ) क्या यह सच है कि मिलों द्वारा प्रस्तुत लेखे के विवरण सब सही नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) १-१-६१ को ४७८ सूती कपड़ा मिलें थीं।

(ख) २६८ कपड़ा मिलों ने अब तक वर्ष १९५९-६० के अपने प्रकाशित लेखे बम्बई के वस्त्र आयुक्त को पेश किये हैं।

(ग) कपड़े की कम्पनियां सामान्यत: स्वाभाविक रूप से सन्तुलन पत्र और लेखे भेज रही हैं। इसका पालन न करने वाली मिलों के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है तो वह कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है।

(घ) जहां तक सरकार को पता है महाराष्ट्र की सरकार केवल एक मिल को बेरोजगारी सहायता योजना के अधीन चला रही है। सरकार को खर्च या मुनाफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान केमिकल्ज़ एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

†४३२६. **श्री बाल्मीकी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र को हिन्दुस्तान केमिकल्ज़ एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के निर्माण के कारण हटाये गये व्यक्तियों से भूमि के आवंटन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अंगुल परगने के लोगों से वैधीकरण शुल्क की वसूली

†**श्री प्र० गं० देव:** नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के अंगुल परगना के लोगों से वैधीकरण शुल्क की वसूली"

†**गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** अंगुल विधि विनियम १९३६ के खंड ६१ के अधीन भूधारियों अथवा रैयतों द्वारा अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है और यह उपबंध किया है कि यदि कोई भूधारी अथवा रैयत अपनी जोत अथवा उसके किसी अंश से बिना उपआयुक्त की लिखित अनुमति के अपने अधिकारों का हस्तांतरण करेगा तो उपआयुक्त जिसके नाम पर ऐसा हस्तांतरण किया गया हो उसे बेदखल कर सकता है और या तो

(क) वह जमीन उसी काश्तकार को जिसने इन अधिकारों का हस्तांतरण किया है उसे दे सकता है अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी को दे सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह भूमि किसी अन्य काश्तकार के नाम कर सकता है ।

विधि में इस प्रकार का उपबंध करना इस कारण आवश्यक हुआ कि अंगुल उपविभाग एक पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां के काश्तकारों को अन्य बाहर के चतुर लोगों से रक्षा करना आवश्यक समझा गया । तथापि ऐसे हस्तांतरणों को वैध करने के लिये ५ रु० तथा चालू व्यवस्था में भूमि के लगान का पांच गुना वैधकरण शुल्क के नाम पर उनसे दंड वसूल किया जा रहा है । तथापि इस व्यवस्था को उड़ीसा के उच्चन्यायालय ने २१ अप्रैल, १९ वैध करार कर दिया था और तब से कोई वैधकरण शुल्क नहीं लिया गया ।

उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम की धारा ६ के अधीन सभी रैयतों को, धारा २२ और २३ के अधीन उपबंधों को छोड़ कर जिसमें अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है सभी को अधिकारों के हस्तांतरण का अधिकार है । जैसे ही भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया जायेगा वैसे ही भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में अंगुल उपविभाग के रैयतों की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

'न्यू एज' में प्रकाशित कुछ बातें

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ ने न्यू ऐज के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया था । उसमें यह बात प्रकाशित हुई थी कि "कुछ लोग इतने पक्षपात पूर्ण होते हैं कि वे पूरी तरह संतुलन खो देते हैं और वे लोगों तथा उनकी नीतियों को बदनाम करने के लिये निम्नतम स्तर तक गिर सकते हैं" मैंने उस पर सम्पादक का स्पष्टीकरण मांगने को कहा था । अब सम्पादक का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है सम्पादक ने कहा है कि उसका इरादा लोक सभा के विशेषाधिकार भंग करने का कतई नहीं था और न उसका उद्देश्य लोक सभा के किसी माननीय सदस्य को अपना कर्तव्य पालन करने से रोकना था ।

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी) :** सम्पादक ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा कि उन्होंने यह आरोप रुद्रसागर तेल कूप के विषय में ही लगाये हैं लेकिन वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । लेखक ने अपने आरोप तीन बातों के आधार पर लगाये हैं पहिली बात यह थी कि मैंने ग्लिम्पसैज आफ दि वलर्ड हिस्टरी के आधार पर यह कहा था कि उसमें प्रधान मंत्री ने तिब्बत को स्वतंत्र देश करार दिया था, अब प्रधान मंत्री उस स्थिति से क्यों हट रहे हैं ? इसके उत्तर में प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसे न्यू ऐज ने अपने पक्ष के समर्थन के लिये उद्धृत किया है ।

दूसरी बात शांति परिषद् के सम्बन्ध में थी । मैंने प्रधान मंत्री से एक प्रश्न में यह जानकारी मांगी थी कि क्या शांति परिषद् में चीन का प्रतिनिधि मंडल भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है ? उन्हें देश की राजधानी में ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है ?

रुद्रसागर के तेल कूप के सम्बन्ध में श्री के० दे० मालवीय ने जो बयान सभा में दिया उससे श्री माथुर द्वारा दिये गये बयान में कुछ भेद था । अतः मैंने सभा में यह प्रश्न उठाया था और मंत्री महोदय को अपनी स्थिति स्पष्टीकरण करने का पूरा अवसर दिया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

उक्त बातों से आप स्वयं देख सकते हैं कि मैंने राष्ट्रीय हितों से सम्बन्धित कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैंने वस्तुतः मतदाताओं के प्रति इमानदारी से अपना कर्त्तव्य निभाया है। अतः उन्होंने मेरे विरुद्ध जो गम्भीर आरोप लगाये हैं वे गलत हैं। तथापि जैसा कि सम्पादक ने कहा है कि उनका तात्पर्य किसी का अपमान करने से नहीं है मैं अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता हूं। मैं उसे वापस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** श्री हेम बरुआ ने अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रश्न वापस लेकर बहुत अच्छा किया है। उन्होंने सम्पादक के प्रति पूर्ण उदारता दिखाई है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की कमी के बारे में विवरण

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम):** मैं कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की कमी के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए संख्या एल० टी० २६१४/६१]**

†**श्री प्रभातकार** (हुगली): मैं यह जानना चाहता हूं कि बिजली के बन्द होने से कितने औद्योगिक कारखानों पर प्रभाव पड़ेगा और उससे उत्पादन में कितनी कमी आयेगी?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पन्द्रह दिनों में तीन विद्युत् स्टेशन किस प्रकार खराब हो गये?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं सभा को बता चुका हूं कि जून के अन्त तक यह स्थिति जारी रहेगी। जहां तक कारणों का प्रश्न है यह लायसेन्सदार और पश्चिम बंगाल सरकार का काम है उन्हें ही इसे करना होगा। लायसेंसदार राज्य सरकार के अधीन है न कि केन्द्रीय सरकार के।

†**श्री प्रभात कार:** मैं ने दामोदर घाटी निगम के बारे पूछा है। इसका दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** दामोदर घाटी निगम के दो बिजलीघर जो खराब हो गये थे उनकी स्थिति इस प्रकार है। ये दोनों बिजलीघर अभी संभरणकर्ताओं के पास हैं तथा दामोदर घाटी निगम को हस्तान्तरित नहीं हुए हैं। अभी उनका परीक्षण किया रहा है। जब कलकत्ता में बिजली की कमी हुई तो दामोदर घाटी निगम ने उन दोनों बिजली घरों से पूरी मात्रा में बिजली देने को कहा, उस अवधि में ये खराब हुए।

†**श्री अ० च० गुह** (बारसाट): ये सारे बिजलीघर लगभग एक साथ ही खराब हुए हैं अतः सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

†**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** जहां तक दामोदर घाटी निगम का संबंध है, केन्द्रीय सरकार सरकार उससे संबधित है। तथापि इस समय बिजलीघर का परीक्षण किया जा रहा था, परीक्षण के दौरान हुई बातों के लिये कोई जांच इत्यादि नहीं की जाती। जहां तक दूसरे विषय का संबंध है राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : उपमंत्री ने कहा है कि परीक्षण समाप्त हो गया है जब कि मंत्री महोदय ने कहा है कि परीक्षण चल रहा है। सच्चाई क्या है ?

†**श्री हाथी** : परीक्षण अभी जारी है। केवल खराब हुए सैटों की मरम्मत हो चुकी है। और वे बिजली की कमी को पूरा करने के लिये पूरी क्षमता से चल रहे हैं।

उड़ीसा जायदाद समापन नियमों में संशोधन

†**श्री दातार** : मैं उड़ीसा जायदाद समापन अधिनियम, १९५१ की धारा ४७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत उड़ीसा जायदाद समापन अधिनियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ सितम्बर, १९६० के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ३८९८९-इ०ए०-२-३९/६० आर की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या २९१५/६१**]

(१) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (२) प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड (३) भारतीय हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन (४) हिन्दुस्तान केब्लस् लिमिटेड और (५) भारत के धातु निगम को देय उचित मूल्य के बारे में सरकारी संकल्प, के वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन और संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वार्षिक-प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) (क) समवाय, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये भारतीय हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, बर्दवान के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(५) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अतर्गत दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या १५(१) मेट/६० जिसके द्वारा मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया को देय उचित मूल्य से संबंधित दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ के संकल्प संख्या १५ (१५) मेट /५८ के पैराग्राफ २(६) में दिये गये सरकार के निश्चय में संशोधन किया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २९१९/६१ से २९२०/६१]**

केन्द्रीय बायलर्स बोर्ड (सदस्यों का नाम निर्देशन) नियम

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : मैं भारतीय बायलर्स अधिनियम, १९२३ की धारा २८–क के अंतर्गत दिनांक ८ अप्रैल,१९६१ की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० ४९० में प्रकाशित केन्द्रीय बायलर्स बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९२१/६१]**

खानों में सुरक्षा संबंधी शिक्षा और प्रचार के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं श्री ला० न० मिश्र की ओर से खानों में सुरक्षा संबंधी शिक्षा और प्रचार के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २९२२/६१]**

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं श्री जगजीवन राम की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न** यह है :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब दिल्ली के संघ क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र के काश्तकारों को सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार करेगी ।

†**श्री दातार** : कल मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था । श्री त्यागी ने कहा था कि संशोधन स्पष्ट नहीं है । अतः मैं एक अन्य संशोधन प्रस्तुत करता हूं । जो इस प्रकार है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति १४ में

"is instituted (प्रारम्भ किया गया है)" के पश्चात् "during the period when he is under disability (उस अवधि में जब कि वह निर्योग हो)" शब्द रख दिये जायें "

पृष्ठ ३, पंक्ति १५ से

"a person (एक व्यक्ति)" निकाल दिये जायें (११)

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद)** : इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली क्षेत्र के शहरों में रहने वाले काश्तकारों को कुछ सहायता देना है । विधेयक प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने बताया है कि ये काश्तकार एक विशेष श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि कोई अक्षम अपनी भूमि पर कोई व्यावसायिक उपक्रम बनाता है तो वह काश्तकार को बेदखल करता है । तो क्या यही काश्तकार की सहायता है । अतः यह विधेयक के उद्देश्य के विपरीत बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति १४

"Is instituted (आरम्भ किया है)" के पश्चात् "during the period when he is under disability or (उस अवधि में जबकि वह निर्योग हो)" शब्द रख दिये जायें (१०)

पृष्ठ ३, पंक्ति १५ से

"a person (एक व्यवित)" शब्द निकाल दिये जायें (११)

सभा में विभाजन हुआ । पक्ष में १२१ और विपक्ष में १५ मत आये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय ने कल दो संशोधन रखे थे । मैं समझता हूं कि वह संशोधन संख्या ८ पर जोर नहीं दे रहे हैं ।

(संशोधन संख्या ८ सभा की अनुमति से वापस लिया गया)

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्तियां ३४ और ३५ में से निम्नलिखित शब्द हटा दिये जायें :—

"In the manner or to the extent customary in the locality in which the land is situated. (उस रीति से या उस सीमा तक जैसा कि स्थानीय तौर पर जहां कि वह भूमि स्थित हो, रखी हो)" (७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ से ९

†अध्यक्ष महोदय: खंड ४ से ९ के बारे में कोई संशोधन नहीं है। मैं उनको एक साथ रखूंगा ।

"खंड ४ से ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियम सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री ब्रजराज सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि कांग्रेस सरकार ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि जो संशोधन वह पास करने जा रही है उसका क्या अर्थ होगा। साफ तौर से यह बिल काश्तकारों के भले के लिये लाया गया है, उनको कुछ सुविधायें देने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। लेकिन जो संशोधन अभी सदन ने स्वीकार किया है उसके मुताबिक काश्तकार को बेदखल करने का अधिकार जमींदार को आप दे रहे हैं और अधिकार ही नहीं दे रहे हैं बल्कि आप उसको यह अधिकार दे रहे हैं कि अगर वह चाहे तो उसको कल से ही बेदखल कर सकता है।

दिल्ली का नगरीकरण अधिकाधिक हो रहा है और अधिकाधिक वे जमीनें जिनको काश्तकार जोतते थे वे मकानों के नीचे आ रही हैं या उनका व्यापारिक क्षेत्र के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी हालत में ऐसा संशोधन स्वीकार करना जिससे काश्तकार को अपनी जमीन से बेदखल होने

---

†मूल अंग्रेजी में

का खतरा तुरन्त पैदा हो जाता है, मैं समझता हूं कि इस बिल की भावनाओं के खिलाफ जाता है। अच्छा होता कि सरकार इस तरह का संशोधन पेश न करती और ऐसा प्रयत्न करती जिससे कि काश्तकारों के अधिकारों के हितों की रक्षा की अधिकाधिक सम्भावना होती। आप कहते तो हैं कि हम काश्तकार के हित में कानून बनाने जा रहे हैं लेकिन काश्तकार के बजाये आप जमींदार को अधिक अधिकार दे रहे हैं आप उनको अधिकार दे रहे हैं कि वह चाहे तो उस जमीन को जिसे काश्तकार जोत रहा है, मकान बनाने के लिये, बिजनेस प्रेमिसेज के लिये, कैटिल शैड बनाने के लिये या जोतने के लिये काश्तकार को बेदखल कर के ले सकता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की उसी नीति का द्योतक है, जिसके मुताबिक उसने दिल्ली में अब भी लैंडलार्डिज्म और जमींदारी कायम रखी हुई है। इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है, उससे किसानों और काश्तकारों के हितों और अधिकारों की रक्षा और उनको संरक्षण देने का जो हमारा उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): गलत है।

श्री ब्रजराज सिंह: गलत कह देने मात्र से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जायेगा। अगर इस पूरे कानून को पढ़ा जाये, तो यही प्रकट होगा कि काश्तकार को बेदखल करने के अधिकार को इस कानून के द्वारा बढ़ा दिया गया है, जोकि सरकार का इन्टेन्शन और उसका मंशा नहीं होना चाहिये। मैं समझता था कि इस कानून में ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे काश्तकारों को अपनी रक्षा के लिये और अधिकार मिलेंगे, लेकिन और अधिकार देने के बजाय, उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, जो कुछ भी अधिकार इस सम्बन्ध में हो सकते हैं, उनको इस कानून के द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगा कि यदि मंत्री महोदय ने इसके उद्देश्य और अर्थ को अच्छी तरह न समझ पाया हो, तो वह इस बारे में फिर से गम्भीरतापूर्वक विचार करें और यदि वह समझें कि वास्तव में इस बिल के द्वारा काश्तकारों के हितों की हानि हो रही है, तो इसमें परिवर्तन कर के उनके हितों की रक्षा करने की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि हम सब का यह लक्ष्य है कि जो जमीन को जोतता है, जो बोता है, जिसके हल की फाल के नीचे जमीन रहती है, वही जमीन का मालिक हो और वह व्यक्ति मालिक न हो, जो अलग रह कर दूसरों से काम करवाये। अगर सरकार का भी यही लक्ष्य है, तो मैं आशा करता हूं कि वह जरूर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

आप जानते हैं कि दिल्ली का नगरीकरण अधिकाधिक हो रहा है। ऐसी सूरत में अब समय आ गया है कि सरकार को कोई ऐसे सिद्धान्त प्रतिपादित करने चाहियें, जिनके मुताबिक किसानों को उन की जमीन का उचित मुआवजा बाजार भाव से मिले। इस दिशा में अभी तक कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। किसानों से बहुत कम पैसे में जमीन ली गई है उनको बर्बाद किया गया है और उन्हें भिखारी बनाया गया है। उनकी जमीनों पर बड़े-बड़े भवन और महल बनाये गये हैं, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम यह कानून पास कर रहे हैं, तो सरकार इस बात पर विचार करे। १८९२ के लैंड एक्वीजीशन एक्ट में दिये गये मुआवजे सम्बन्धी प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त को खत्म कर के ऐसा सिद्धान्त लागू करे, जिस से किसान को अपनी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके और उसका देश में दूसरे नागरिकों के समान रहने का अधिकार हो।

†**श्री दातार:** यह संशोधन विधेयक की भावना के विपरीत नहीं है। वास्तव में संशोधन के जरिये काम करने की अवधि बढ़ाई जा रही है। काश्तकारों को दिये गये अधिकारों और राहत के साथ-साथ कुछ दायित्व भी है। जिन्हें स्पष्ट कर दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये," ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारी बंडलों पर निशान लगाने वाले अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भारी बंडलों पर निशान लगाने वाला अधिनियम, १९५१ में पारित हुआ था और १ नवम्बर, १९५१ से लागू हुआ था ।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

इस अधिनियम की धारा ३ के अनुसार किसी भी परिवहन के द्वारा बाहर जाने वाले पर स्पष्ट रूप से निशान लगाने की आवश्यकता है । लेकिन मूल अधिनियम में अधिनियम के प्रवर्तन और उस के उपबन्धों को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है । विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार की व्यवस्था करने का है । विधेयक का उद्देश्य अपराधियों पर छः महीने के भीतर मुकदमा चलाने की भी व्यवस्था करता है ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वारियर (त्रिचूर):** यह मूल अधिनियम अब तक लागू था । हम यह जानना चाहते हैं कि आज दस वर्ष बाद इस संशोधन को यहां लाने की आवश्यकता क्यों हुई ?

†**श्री राज बहादुर:** इस अधिनियम के बन जाने के बाद कोई ऐसा प्राधिकारी नहीं था जो इसे लागू कर सकता अतः यह विधेयक लाना आवश्यक हो गया । अब तक अधिनियम की धाराओं का कोई खास उल्लंघन नहीं हुआ है किन्तु मूल अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय अपराधों को रोकने की समुचित व्यवस्था नहीं है । इस कारण यह संशोधन लाना पड़ा ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारी बंडलों पर निशान लगाने वाले अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १—(छोटा नाम)

†**श्री राज बहादुर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1960" (१९६०) के स्थान पर "1961" (१९६१) रख दिया जाये ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1960" (१९६०) के स्थान पर "1961" (१९६१) रख दिया जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में, "Eleventh year" (ग्यारवहवां वर्ष) के स्थान पर "Twelfth year" (बारहवां वर्ष) रख दिया जाये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति में १ में "Eleventh year" (ग्यारहवां वर्ष) के स्थान पर "Twelfth year" (बारहवां वर्ष) रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९५८-५९

†**सभापति महोदय** : वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक (सामान्य) की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में अब चर्चा होगी तथा उन पर मतदान होगा ।

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	२,२३,७१६
३१	अफीम	१,९८,४३२
३७	वार्धक्य भत्ता और पेन्शन	३,३४,१०५
४८	चिकित्सा सेवायें.	७९,१७०
५१	गृह-कार्य मंत्रालय	२,६६,०५६

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
५२	मंत्रिमण्डल	३९,१९३
६०	हिमाचल प्रदेश	१४,७०,०४२
६६	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय . . .	६६,०७३
६६	अणु शक्ति विभाग .	१६,४१३
१२१	स्वास्थ्य मंत्रायल का पूंजी व्यय .	७,८२,०७१
१३२	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	७,५२,०१९

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : इन अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने में ४ महीने की देरी क्यों हुई है यह मैं मालूम करना चाहता हूं। ऐसा मालूम होता है कि वित्त मंत्रालय सुस्त और ढ़ीले ढंग से काम कर रहा है। ये मांगें, बड़ी आसानी से फरवरी में ही रखी जा सकती थी। असैनिक उड्डयन के अधीन जो मांग है वह इस आधार पर है कि निर्माण कार्य को तेज करने के लिये खर्च अधिक हो गया है। मेरा निवेदन है कि इन का अनुमान पहले से लगाया जा सकता था। और अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता था। मांगों के सम्बन्ध में अधिक ब्यौरेवार जानकारी सभा को दी जानी चाहिये थी। पारिवारिक पेंशन तथा उपदान लेने के लिये भरे और प्रस्तुत किये जाने वाले फार्मों को सरल बनाने के लिये कोई उपाय निकाला जाना चाहिये। अंगूठा निशान लेने वाली शर्त समाप्त कर दी जानी चाहिये। चूंकि हिमाचल प्रदेश में परिवहन प्रणाली का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, यह समझ में नहीं आता कि गैर-सरकारी परिवहन स्वामियों को भुगतान करने के लिये १४.२८ लाख रुपये की मांग का क्या अभिप्राय है।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: (गुरुदासपुर) मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की आयव्ययक व्यवस्था में थोड़ा बहुत अधिक खर्च हो जाना स्वाभाविक है और इ की कड़ी आलोचना की जानी चाहिये। परन्तु इन मांगों को पेश करने के लिये कोई पर्याप्त औचित्य नहीं बताया गया है। अस्पष्ट रूप से सामान्य कारणों के बजाय कोई ठोस तथा विशिष्ट कारण बताये जाने चाहिये थे। रोकी गई और फिरसे दी गई प्रिवी पर्स सम्बन्धी मांग के बारे में अधिक प्रकाश डाला जाना चाहिये।

पेंशन सम्बन्धी नियमों को प्रतिम रूप देने में अनावश्यक देरी की जा रही है। कुछ विशेष मामलों में १५ साल बाद भी पेंशन के मामलों का निर्णय नहीं किया जा सका है। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जब कभी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की जायें तो उनके समर्थन में विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व शासकों की दी जाने वाली निजी थैलियों और भत्तों के बारे में सरकार की ठीक-ठीक नीति क्या है। बस्तर के महाराजा जब तक मध्य-प्रदेश की कांग्रेसी सरकार का समर्थन करते रहे, अच्छे बने रहे। लेकिन उन्होंने जैसे ही मध्य-प्रदेश सरकार का विरोध शुरू किया उनको पागल करार देकर गद्दी से उतार दिया गया और निजी थैली बन्द कर दी गई। क्या सरकार इन निजी थैलियों को अपनी पार्टी के हितों के लिये प्रयोग करना चाहती है।

†मूल अंग्रेजी में

यदि सरकार भूतपूर्व शासकों के आचरण के बारे में गम्भीर है, तो उसे निजी थैलियों के सम्बन्ध में कोई एक सिद्धान्त निश्चित करना चाहिये। यदि नहीं, तो निजी थैलियां बन्द कर दी जानी चाहिये ।

†**वित्त उपमंत्री** (श्री ब० रा० भगत) : अतिरिक्त मांगों के सिलसिले में यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सभा उस राशि की मंजूरी दे चुकी है। कुछ समायोजनों के कारण ही व्यय कुछ अतिरिक्त हो गया है। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा उचित नहीं है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : आपने निजी थैली बन्द करते समय संसद् से क्यों नहीं पूछा ? सरकार इसमें मनमानी तो नहीं कर सकती ।

अखबारों की खबरों से पता चलता है कि प्रधान मन्त्री इन निजी थैलियों पर कर लगाने की बात बड़ी गम्भीरता से सोच रहे हैं। संसद् को यह जानने का अधिकार है कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। सभी भूतपूर्व शासकों का आचरण एक ही कसौटी पर कसा जाना चाहिये ।

श्री ह० प्र० सिंह (गाज़ीपुर) : सभापति जी, मैं डिमाण्ड संख्या ३१ के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओपीयम के सम्बन्ध में काफी खर्च बढ़ा है, जिसका कारण यह है कि रेलवे यातायात में बहुत ज्यादा खर्च होता है। गाजीपुर में ओपियम का सबसे बड़ा कारखाना है। देश के अन्य भागों से लगभग तीन चार करोड़ रुपये का माल गाज़ीपुर आता-जाता है और करबी करीब चार छः करोड़ का माल गाज़ीपुर से विदेशों में जाता है। आज स्थिति यह है कि गाज़ीपुर से बनारस मीटरगेज रेलवे लाइन ४६ मील है और बनारस से आगे ब्राडगेज रेलवे लाइन है। वहां स्टेशन पर बारह महीने गाइड रखना पड़ता है और माल को डिब्बों में इधर उधर उलट-पुलट करने में बहुत नुकसान हो जाता है जिसकी काफी सुरक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार बाहर के देशों और हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में जो अफ़ीम भेजी जाती है, उसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में सबसे अच्छा तरीका आप के सामने रखना चाहता हूं। गाज़ीपुर में गंगा नदी के एक किनारे पर अफ़ीम की फैक्ट्री है और दूसरे किनारे पर ब्राडगेज रेलवे स्टेशन टारीधाट है। अगर गंगा पर ब्रिज बना कर टारीघाट को अफीम की फैक्ट्री से कनेक्ट कर दिया जाये, तो बड़ी आसानी से और बिना किसी परेशानी के यह समस्या हल हो सकती है और खर्च में बहुत कमी हो सकती है, यह ठीक है कि एक मतबा तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन **ओन दि होल** यह खर्च बहुत कम हो जायेगा।

सरकार अफ़ीम की खेती को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है, लेकिन गाज़ीपुर या उसके करीब के जिलों में किसानों को इसके लाइसेन्स काफी मात्रा में नहीं दिये गये हैं। पहले तो वे दिये ही नहीं जाते थे। परन्तु इस सा.ल उनको देना शुरू किया गया है, लेकिन वे भी गाज़ीपुर के चन्द हिस्सों में दिये गये हैं। दूसरे करीब के ज़िलों में लाइसेन्स बिल्कुल नहीं दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर इतना बड़ा कारखाना काम कर रहा है, जहां से चार छः करोड़ का माल बाहर भेजा जाता है और राजस्थान, मध्य-प्रदेश आदि से अफ़ीम मंगा कर बाहर भेजी जाती हो जबकि उस इलाके में ही किसान अफीम अधिक से अधिक पैदा कर सकते हैं, तो वहां के किसानों को ही लाइसेन्स बढ़ाने चाहियें। जिससे अफीम का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त किसानों को अफ़ीम के दाम कम मिलते हैं, जबकि सरकार बाहर से उसका काफ़ी पैसा वसूल करती है। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाज़ीपुर में जो ओपियम फैक्ट्री है, वहां माल का काफी नुकसान होता है और चोरी भी होती है। उस तरफ़ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ओपियम बहुत महंगा सौदा है, इसलिये इस तरफ़ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो नुकसान हो रहा है, उसको बचाया जा सके। ताकि सरकार की आमदनी बढ़े।

मैंने जो सुझाव दिये हैं कि ओपियम पर निगरानी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिये और ब्रिज बना कर रेल के ख़र्च को कम किया जाना चाहिए, आशा है कि सरकार उन पर विचार करेगी।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं मांग संख्या ५८ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

अभी हाल में कुछ राजनीतिक दलों ने भूतपूर्व शासकों को अपने साथ मिलाने की कोशिशें की हैं। मामला यहां तक बढ़ गया है कि कुछ भूतपूर्व शासक इन राजनीतिक दलों के पीछे अपने विशेषाधिकार तक छोड़ने के लिये तैयार हैं। इससे भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुली हैं।

लेकिन सवाल यह है कि इन भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियां दी क्यों गई थीं ? ये शासक हमेशा ही अपने आपको आम जनता से पृथक् रखते आये हैं। परन्तु ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकतीं कि वे आम जनता से अपने आपको अलग रखते हुए भी आम जनता के सामान्य अधिकारों की मांग करें और विशेषाधिकार भी चाहें। यदि वे निजी थैलियां चाहते हैं तो उनको राजनीतिक अखाड़े में नहीं उतरना चाहिये।

यदि हमारे देश के राजनीतिक दल इन विशेषाधिकार प्राप्त शासकों के साथ गठबन्दन करेंगे, तो लोकतन्त्र का भविष्य अंधकारयमय हो जायेगा। निजी थैलियां पाने वाले शासकों को राजनीति से दूर रहना चाहिये। अब इस समस्या पर विचार करने का समय आ गया है।

†**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक) : सभापति महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर टीका टिप्पणी की है। मैं कहना चाहता हूं कि १४१ ग्रांट्स हैं और उन १४१ ग्रांट्स में से सिर्फ १५ ग्रांट्स में ही मंजूरशुदा रकम से कुछ फालतू रुपया खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ और वह भी शायद ५० लाख से नीचे नीचे है, ४४.१२ है। आम तौर पर आप जानते हैं कि हमारे यहां जो खाता रखा जाता है, उसमें करोड़ से कम की गिनती कम ही होती है और इसका कारण यह है कि हजारों करोड़ रुपया साल में खर्च करने की यह सदन मंजूरी देता है और एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम को चलाने के लिये खर्च करता है और हजारों करोड़ रुपये में एक आध करोड़ की गिनती नहीं हो सकती है। बड़ी-बड़ी और नई-नई योजनायें चालू करने के लिए या जो पहले से चली आ रही हैं, उनको पूरा करने के लिए इस रुपये का इस्तेमाल होता है।

मेरे माननीय दोस्तों ने गिला किया है कि ये प्रिवी पर्स क्यों दिए गए हैं या यह रकम पहिले क्यों रोकी गई थी ? अगर उन्होंने यह बताया होता कि यह जो रुपया रोका गया है, यह किसी सियासी नुक्ते निगाह से रोका गया है और इसी वजह से पेमेंट में देरी की गई है या कांग्रेस पार्टी ने शामिल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये इसको रुकवाया और राजा महाराजाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए ऐसा किया गया है, तो उसकी बात और उनकी टीका टिप्पणी समझ में आ सकती थी। लेकिन उनको पता नहीं है कि किसी राजा का जो प्रिवी पर्स रोका गया था, वह क्यों रोका गया था। मैं मानता हूं कि इसके अन्दर कुछ हद तक जिम्मेदारी मंत्रालय की भी है। अगर मंत्रालय पूरी तरह से इसके कारण विस्तार से लिख देता और इस तरफ ध्यान देता तो शायद जो टीका-टिप्पणी

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणधीर सिंह]

हुई है और बेवक्त हुई है, वह बेवक्त की टीका टिप्पणी न हुई होती। लेकिन जहां तक प्रिवी पर्स का ताल्लुक है और राजा महाराजाओं को इनके दिये जाने का ताल्लुक है, मेरे भाई भूल जाते हैं कि क्या वजह थी कि उनको प्रिवी पर्स दिये गये थे। इस बिना पर नहीं दिये गये थे कि वे इलैक्शन में हिस्सा न लें। वे इलैक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रश्न पर जब विधान बन रहा था विचार हुआ था कि इलैक्शन में वे हिस्सा लें या न लें, इसकी उनको इजाजत हो या न हो। उस वक्त हमने कम्युनिस्ट पार्टी का जो विधान है, या जो उनका तरीका है, उसको कबूल नहीं किया। यह कम्युनिस्ट देशों का तरीका है कि लाखों की तादाद में जिन भाइयों को वे वैस्टिड इंटिरेस्ट्स का नुमाइंदा मानते हैं, राय देने के लिये वंचित कर देते हैं। इस देश में हमने इस तरीके को कबूल नहीं किया और महात्मा गांधी जी के बताये हुए तरीके को कबूल किया। उनका कहना था कि बुराई से हमें बैर है, इंसान से बैर नहीं है।

आप जानते हैं कि चीन में तीस साल तक गृह युद्ध चलता रहा है। वे किसी विदेशी राज से नहीं लड़े बल्कि आपस में ही लड़े हैं और इसमें देश की तबाही हुई है, बरबादी हुई है। तीस साल के बाद कुछ थोड़ा बहुत फैसला हुआ है और कम्युनिस्ट पार्टी वालों के हाथ में शासन की बाग़डोर आई है। करोड़ों रुपया उस देश का इस युद्ध में खर्च हुआ होगा। आज भी आप देखें तो पता चलेगा कि कांगो के अन्दर लड़ाई और भेदभाव चल रहा है। जिन लोगों को प्रिवी पर्स देना विधान में मंजूर किया गया है उनके पास अपनी फौजें थीं, हथियार थे और वे इस देश में खानाजंगी करा सकते थे। उनके साथ सरकार ने वादा किया था प्रिवी पर्स देने का और यह शरीफ आदमी का काम नहीं है कि वायदा करके उससे मुकर जाए। शरीफ आदमी का काम होता है कि वक्त गुजर जाने के बाद भी जो वायदा दिया गया है, उसको निभाये और अगर कोई बुरा वक्त भी आ जाता है तो उसमें भी अपने वायदे को न भूल जाए और अपने वायदे को निभाने की कोशिश करे। उन लोगों ने शान्ति से, अमन से अपने राज को इस देश के नुमाइन्दों के हाथ में दे दिया और इस देश का एक नया नक्शा बनाने में हम लोगों की मदद की। उनके इस काम के लिए इनाम के तौर पर या मुआवजे के तौर पर ये प्रिवी पर्स दिए गए हैं। अगर कोई भाई समझते हैं कि ये इसलिए दिए गए हैं कि वे इलैक्शन में खड़े न हों तो वे गलतफहमी में हैं। अगर यह बताने की और इसको साबित करने की कोशिश की जाती कि जो रुपया किसी प्रिंस का रोका गया था वह इसलिए रोका गया था कि उसके अन्दर कोई सियासत छिपी हुई थी या किसी प्रिंस को किसी पार्टी के साथ लगाना या उसके खिलाफ करना था तो टीका टिप्पणी को मैं समझ सकता था और वह टीका-टिप्पणी वक्त के मुताबिक होती। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है। इस वास्ते यह टीका टिप्पणी मेरी समझ में नहीं आई है।

अभी मेरे माननीय साथी श्री दी० चं० शर्मा जी ने जो अब चले गए हैं पैंशनर्ज़ की हमदर्दी में एक बात कही। वह इस बात को भूल गये कि हमदर्दी करते करते कहीं उनके खिलाफ तो वह नहीं बोल रहे हैं। पैंशन का जो रुपया ज्यादा दिया गया है, उसके अन्दर यह लिखा है कि यह सरकार के ख्याल के मुताबिक एंटीसिपेटिड नहीं था, उसके अन्दाज में यह नहीं था और उसको पता नहीं था कि यह देना पड़ेगा। पैंशनर्ज़ के साथ हमदर्दी के बावजूद सरकार को इस बात का पता नहीं था, हिसाब किताब के मुताबिक इसका अन्दाजा नहीं था कि उन लोगों को उसे इतना रुपया पैंशन के तौर पर और देना पड़ेगा। उनके साथ हमदर्दी के तौर पर यह सब कुछ किया गया है। हमारे भाई इस बात को नहीं समझते हैं कि सरकार ने उनकी तकलीफ को समझा है और उसको समझ करके जितना रुपया ज्यादा देना पड़ा है, देने की कोशिश की है.......

श्री त० ब० विट्ठलराव: क्या इसके लिए सप्लीमेंटरी डिमांड नहीं लाई जा सकती थी ?

चौ० रणबीर सिंह : यह भी लाई जा सकती थी । लेकिन अगर मेरे लायक दोस्त का यह मुद्दा हो कि किसी के साथ ज्यादती की गई है या किसी के साथ कोई रियायत की गई है, तो मैं उनकी बात समझ सकता था । वर्ना सप्लीमेंटरी डिमांड के तौर पर या बजट के अन्दर या फिर एक्सेस ग्रांट के तौर पर इसको कर दिया गया है, तो इसमें एतराज़ की कौन सी बात है । यह तो एक तरीका है हिसाब किताब रखने का । हम लोग इतने ज्यादा पेंचों के अन्दर फंस जाएं कि एक हज़ार करोड़ रुपया जो हम खर्च करते हैं, उसकी तरफ तो ध्यान न दें और इस ४४ लाख रुपये की जो एक्सेस ग्रांट्स है, उनके बारे में टीका टिप्पणी करते जाएं या उसके बारे में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते जायें, तो यह कोई ज्यादा समझ की बात नहीं हो सकती है । मैं तो यह चाहता हूं कि एक भी पैसा मंजूरशुदा पैसे से ज्यादा खर्च न किया जाय । अगर ऐसा हो सके तो यह स्वागत-योग्य बात होगी । लेकिन देश बन रहा है, तरक्की कर रहा है और आप जानते हैं कि इस सदन ने मंजूर किया है भाखड़ा नंगल के मामले में, कि सरकार १४० करोड़ के बजाय १७० करोड़ रुपया खर्च कर सकती है और यह एक अच्छी बात है । जितने भी ये छोटे बड़े प्राजैक्ट्स हैं, इनके मुताल्लिक कौन कह सकता है कि जो अन्दाज़ा है, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा या कौन नाप तौल से पैसा खर्च कर सकता है । हमारी एक कमेटी ने सिफारिश भी की है कि जहां तक डिवेलपमेंट प्राजैक्ट्स के बजट्स का ताल्लुक है, वह एक कंटीनुअस होना चाहिए, उसके अन्दर यह पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कि ३१ मार्च तक इतना ही रुपया खर्च हो । जहां पर आसानी से और ठीक तरीके से रुपया खर्च हो सकता है, ज्यादा रुपया खर्च हो सकता है, और वह किया जाता है तो यह बड़ी खुशी की बात है । अगर डिवेलपमेंट के कामों पर रुपया ज्यादा खर्च होता है या जल्दी खर्च होता है, तो हमें अफसोस नहीं होना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी कोई प्रोजैक्ट पूरा होगा, उतनी जल्दी ही देश को फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा और इसके लिए हमें अफसोस नहीं करना चाहिये ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : श्री विट्ठलराव और श्री शर्मा ने ७,५२,००,००० रुपये की अतिरिक्त मांग की आलोचना की है ।

मंत्रियों का काम बड़ा टेढ़ा होता है । यदि किसी परियोजना में विलम्ब हो, तो उसकी आलोचना होगी । लेकिन यदि विलम्ब न होने के लिये कुछ अतिरिक्त व्यय हो जाये, तो भी उसे आलोचना सुननी पड़ती है ।

उड्डयन के लिये १९५८-५९ में निर्माण-कार्यों की मद के लिये ३,२३,६७,००० रुपये की मंजूरी दी गई थी । लेकिन वास्तविक व्यय उससे ७,५२,००० रुपये अधिक हो गया । श्री शर्मा ने आलोचना की है कि अतिरिक्त मांग के सम्बन्ध में जो नोट दिये गये हैं, उनको इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है ।

मैं आपको वे मदें बताता हूं जिनके कारण यह अतिरिक्त व्यय हुआ है । उदाहरण के लिये दमदम हवाई अड्डे के धावन-पथ के लिये १५,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वास्तविक व्यय ४,११,३८० रुपये हुआ । बोइंग विमान की सेवा चालू करने के लिये धावन-पथ का निर्माण शीघ्र ही पूरा कराना पड़ा था । इसी प्रकार, लखनऊ में एक दूसरा धावन-पथ निर्मित कराना पड़ा । कुछ और भी निर्माण-कार्य कुम्बीग्राम, अगरतला, अहमदाबाद और पूना में किये गये हैं । अतिरिक्त व्यय का यही कारण है । आशा है सभा इस मांग को स्वीकृत करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : वाद-विवाद प्रारम्भ करने वाले माननीय सदस्य को यदि वित्त मंत्रालय के काम करने के तरीके की सही जानकारी होती, तो वह यह निष्कर्ष न निकालते कि मंत्रालय का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है ।

औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी अधिसूचना के बारे में मैंने, अपने वचनानुसार, तथ्य इकट्ठे करके एक विवरण सभा-पटल पर रखने के लिये भिजवा दिया था । उसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भी भेज दी गई थी ।

माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कहा था कि वित्त मंत्रालय ने इसमें विलम्ब किया है, जब कि लोक लेखा समिति ने अपने बत्तीसवें प्रतिवेदन में, दिसम्बर, १९६० में ही इसकी ओर इशारा किया था । माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम कि इसमें हमें कुछ प्रक्रियायें पूरी करनी पड़ती हैं ।

मैंने जांच की है । स्थिति यह है कि हमने जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही संसद्-कार्य विभाग को लिखा था कि कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श करके इस मामले को विनियमित बनाने के लिये संसद् के अगले सत्र में रखने की व्यवस्था हो जाये । हमें इनके लिये कुछ नोट्स और फुटनोट्स तैयार करने पड़ते हैं और अधिकाधिक ब्योरा इकट्ठा करके विभिन्न मंत्रालयों के पास उनकी टिप्पणियों, राय के लिये भेजना पड़ता है । संसद् कार्य विभाग ने इसे २५ अप्रैल के लिये रखा था । लेकिन समय की कमी के कारण उस दिन इसे नहीं लिया जा सका था । उसमें हमारी तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

हम तो तैयार थे कि इसे और पहले ले लिया जाये और हमने अधिसूचना भी जारी कर दी थी । सभा में किसी भी मामले की चर्चा कब हो, इसका निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति ही करती है । इसमें मंत्रालय की ओर से कोई चूक नहीं हुई । आशा है माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि उन्होंने ग़लत निष्कर्ष लिया था कि मंत्रालय में कार्यक्षमता की कमी है ।

कुछ अतिरिक्त व्यय हो जाने का कारण भी मंत्रालय की अव्यवस्था या लापरवाही नहीं है । १९५८–५९ के लिये कुल ११४ अनुदानों की मांगें स्वीकृत की गई थीं । उनमें से केवल १५ मदों पर ही कुल मिला कर ४४.१२ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है । कुल विनियोग ७,२८६ रुपये का था । इसलिये अतिरिक्त व्यय ०.००६ प्रतिशत ही बैठता है । १९५७–५८ में अतिरिक्त व्यय ०·०७ प्रतिशत था । १९५८–५९ में इतनी सी वृद्धि के लिये मंत्रालय को अक्षम बताना अनुचित होगा ।

मैं तो कहता हूं कि जब तक अन्तर्विभागीय समायोजन की प्रणाली चालू रहेगी तब तक अतिरिक्त मांगें पेश होती रहेंगी । जब तक लेखा-परीक्षण का कार्य लेखा रखने के कार्य से बिल्कुल पृथक नहीं किया जाता तब तक अतिरिक्त मांगें पेश करने की आवश्यकता बनी रहेगी । अतिरिक्त व्यय तभी रोका जा सकेगा जब वित्त जुटाने वाला प्राधिकार और वित्त मांगने वाला प्राधिकार दोनों एक होंगे । अतिरिक्त व्यय होने का कारण यही है कि अदायगी करने वाला यह नहीं जानता कि अदायगी अतिरिक्त हो रही है, या नहीं । वैसे हम इसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिये अतिरिक्त व्यय की मात्रा इतनी कम ०·००६ प्रतिशत रह गई है । लेकिन इसे बिल्कुल हटाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेन्शनों के बारे में, मैं मानता हूं कि वैसे सभी मामलों का एक मानवीय पक्ष होता है, उन लोगों को बड़ी तंगी होती है। लेकिन हम ने पेन्शन सम्बन्धी नियमों में सुधार करने की कोशिश की है, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके। हम उनमें और भी सुधार करेंगे। हम हर कोशिश कर रहे हैं कि पेन्शनों की अदायगी शीघ्रातिशीघ्र हो सके। लेकिन पिछले रिकार्ड देखने में कुछ समय तो लगता ही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अंगूठा-निशानी नहीं ली जानी चाहिये। अंगूठा-निशानी हम इसलिये लेते हैं व्यक्ति की पहचान का यही सब से आसान तरीका है। यदि माननीय सदस्य कोई और सुझाव दें, तो हम उसे अपना सकते हैं।

हमने हमेशा ही लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को उचित सम्मान दिया है और उन पर समुचित ध्यान दिया है।

समिति ने कुछ मदों के सम्बन्ध में अधिक चौकस आय-व्ययक की जो आवश्यकता बताई थी, हम ने उस पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार किया है। लेकिन वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार मांग करने वाला विभाग ही सीधे-सीधे व्यय नहीं करता, व्यय तो वित्त संभरण करने वाला विभाग करता है और उसकी अदायगी नकदी के रूप में या लेखों में दिखाकर मांग करने वाला विभाग करता है। इसीलिये कभी-कभी अतिरिक्त व्यय भी हो जाता है। समिति ने व्यय पर एक प्रभावी नियंत्रण करने के लिये तथा आय-व्ययकीकरण का अच्छा स्तर हासिल करने के लिये, यह सिफारिश की है कि हर महीने व्यय का पुनरीक्षण किया जाये और विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान लेखे के आंकड़ों से किया जाये। इस सम्बन्ध में मंत्रालयों को आवश्यक अनुदेश भेज दिये गये हैं। आशा है कि आगे चल कर स्थिति में सुधार होगा।

आय-व्ययकीकरण और वित्तीय नियंत्रण के सम्बन्ध में समिति द्वारा कही गई बातों, और इस सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा रखे गये प्रस्तावों की हम ने पूरी पूरी परीक्षा की है। आय-व्ययक तैयार करने के पुनरीक्षित प्रबन्ध के सम्बन्ध में व्यय विभाग ने अनुदेश जारी कर दिये हैं। उन अनुदेशों का प्रभाव कुछ वर्ष बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अतिरिक्त व्यय को पूरी तरह से तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक कि लेखों की समायोजनाओं पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता।

लोक लेखा सेमिति ने यह भी कहा है कि मंत्रालय अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में समिति के पास नोट भेजने में बड़ा विलम्ब करते हैं। समिति चाहती है कि ऐसे नोट्स निर्धारित अवधि तक भेज दिये जाया करें। सभी मंत्रालयों को इसके बारे में सतर्कता बरतने के अनुदेश भेज दिये गये हैं। आशा है भविष्य में उनका ठीक-ठीक पालन होता रहेगा।

मैं ये मांगें सभा की स्वीकृति के लिये रखता हूं।

हां, मुझे निजी थैलियों के बारे में कुछ कहना बाकी है। सभा उनके राजनीतिक पहलू पर विचार कर चुकी है, इसलिये वह प्रश्न अभी उठाना उचित नहीं होगा। श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने कहा है कि निजी थैलियां रोकने के बारे में सरकार की मनमानी चलती है। इस सम्बन्ध में जो अतिरिक्त मांग की गई है वह मनीपुर के एक छोटे से शासक से सम्बन्धित है। उस शासक को २.५४ लाख रुपये की राशि निजी थैली के रूप में मंजूर की गई थी, लेकिन उसने पहले केवल १८० लाख रुपये उसमें से निकाले थे। बाद में आवश्यकता पड़ने पर कुछ और राशि निकाली थी। लेकिन तब तक आय-व्ययक में उसके लिये व्यवस्था नहीं रह गई थी। इसीलिये उसे अतिरिक्त व्यय के खाते में डालना पड़ा। इसमें मनमानी की कोई बात नहीं।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब किसी कर्मचारी की विधवा पेन्शन लेने जाती है, तो उसे अपनी पांचों उंगलियों की निशानी लगानी पड़ती है। इसके बदले, उसका फोटो रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

†श्री ब० रा० भगत : हम इस सुझाव की व्यावहारिकता पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय द्वारा आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	२,२३,७१६
३१	अफीम . .	१,९८,४३२
३७	वार्धक्य भत्ता और पेंशन . .	३,३४,१०५
४८	चिकित्सा सेवायें .	७९,१७०
५१	गृह-कार्य मंत्रालय	२,६६,०५६
५२	मंत्रिमण्डल .	३९,१९३
६०	हिमाचल प्रदेश . .	१४,७०,०४२
६९	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय	६९,०७३
९९	अणुशक्ति विभाग .	१६,४१३
१२१	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	७,८२,०७१
१३२	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	७,५२,०१९

विनयोग (संख्या ३) विधेयक

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

> "कि ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे पर उसके लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्त्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे पर उसके लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्त्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†श्री ब० रा० भगत : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे पर उसके लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्त्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे पर उसके लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्त्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिये गये।

†श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)

†सभापति महोदय : अब सभा में वर्ष १९५८-५९ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में चर्चा होगी तथा मतदान होगा।

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
८	राजस्व—कार्य वहन व्यय कर्मचारी और इंधन के अतिरिक्त संचालन . .	२१,६५,१२५
१२	राजस्व—सामान्य राजस्व को देय लाभांश . .	३६,०६,६३२
१९	विविध प्रभार विकास निधि	४१२

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : ये मांगे नियंत्रक महा लेखा परीक्षक तथा रेलवे सम्बन्धी विनियोग लेखाओं के बारे में लोक लेखा समिति द्वारा की जाने वाली जांच एवं उस के फलस्वरूप की गई सिफारिशों के कारण प्रस्तुत की गई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मांगों में केवल ६ मदें हैं जिन में से ४ मदें बहुत छोटी छोटी हैं। बड़ी मदें मांग संख्या ८ और मांग संख्या १२ के बारे में हैं। जहां तक मांग संख्या ८ का सम्बन्ध है विनियोग लेखे में २१.२३ लाख रुपये का फालतू धन दिखाया गया था पर लोक समिति ने नियमितीकरण के लिये २१.९५ लाख रुपये या मांग के १ प्रतिशत से कुछ अधिक धन रखने की सिफारिश की थी। ·७२ लाख रुपये की राशि अन्य मांगों के अधीन गलती से दिखाये गये धन के खर्चे से संबंधित है। अतः नियमितीकरण के प्रयोजनों के लिये अब इस राशि की मांग संख्या ८ में सम्मिलित कर दिया गया है।

जहां तक मांग संख्या १२ का सम्बन्ध है इस अतिरिक्त मांग का मुख्य कारण १५ अगस्त, १९४७ को जो भारित पूंजी थी उस में तदर्थ वृद्धि करना तथा अप्रैल १, १९६० को भूत पूर्व रियासती रेलवे की भारित पूंजी में वृद्धि करना जिस के फलस्वरूप देय लाभांश बढ़ गया (२१.९२ लाख रुपिये) और कुछ अंश तक इसका कारण यह भी है कि वर्ष का वास्तविक पूंजीगत व्यय पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमान से अधिक रहा। पहले बताये गये प्राक्कलनों और वास्तविक पूंजीगत व्यय में इतना छोटा मोटा अन्तर पड़ जाना स्वाभाविक ही है। आशा है कि सभा इन मांगों को स्वीकार करेगी।

†श्री त० ब० विठ्ठलराव (खम्मम) : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 'स्वीकृत' तथा 'भारित' व्यय के सही वर्गीकरण में गलती की गई है। यह रेलवे मंत्रालय के लेखा विभाग के पदाधिकारियों के लिये कोई श्रेयकर बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि रेलवे के लेखा विभाग की जांच पड़ताल कर के उसे सुधारा जाये।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो कुछ भी यहां सभा में करते हैं उसे गम्भीरता के साथ लिया जाये। अगर प्राक्कलन समिति की उस रिपोर्ट को देखा जाये जो अ उस ने १९५६ में पेश की थी तो इस बात का पता चल जायेगा कि उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि वित्तीय सलाहकार तथा चीफ़ एकाउन्ट्स अफसर के कृत्यों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिये। मंत्रालय ने उस सिफारिश पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। हम नहीं जानते कि दोनों पदों के कृत्यों को अलग अलग करने का निश्चय कब किया जायेगा। व्यय पर प्रभारी नियंत्रण रखने तथा यह देखने के लिये कि व्यय के अनुपात से काम कितना हुआ है, ऐसा किया जाना आवश्यक है। लाने ले जाने में माल को क्षति पहुंचने या माल के खो जाने के दावों को निबटाने के संबंध में स्थिति बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। यद्यपि १९५८–५९ में ऐसे दावों की संख्या कम थी, पर उन पर अतिरिक्त धन व्यय किया गया है। इस वर्ष में दावों को निबटाने में किया गया औसत समय भी अधिक लगा है। यह उल्टी प्रगति रही है। अतः आवश्यक है कि इस मामले में आवश्यक नियंत्रण एवं चौकसी रखी जानी चाहिये। विशेषतया जब कि हम रेलवे संरक्षण बल पर बड़ी बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं। दुर्घटना ग्रस्त रेलवे कर्मचारियों को मुआवजा देने के मामले में भी विलम्ब होता है। इस मामले पर विचार किया जाये

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामास्वामी)** : श्री त० ब० विट्ठल राव ने बहुत सी बातें उठाई हैं । मैं कहूंगा कि ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। गलती हो गई है लेकिन हम वे गलतियां जान बूझ कर नहीं करते । फिर उन गलतियों को देखने के लिये नियंत्रक महा लेखा परीक्षक भी होता है। इसलिये मैं उन के बारे में कोई तर्क तो नहीं करूंगा लेकिन फिर भी हम ने उन को ध्यान में रख लिया है । और हम ने निदेश दे दिया है कि 'भारित' तथा 'स्वीकृत' मदों के मोटे भेद भाव का ध्यान रखा जाये और भविष्य में ऐसी कोई गलती न होने पाये । वित्त तथा लेखा विभाग को अलग अलग रखने का सिद्धान्त हमने स्वीकार कर लिया है; पर दो पृथक पृथक विभाग होने पर खर्च बहुत होगा । अतः हम ने दो पृथक उप-विभाग रखने का उपाय निकालने का निश्चय किया—एक वित्तीय सलाहकार (वित्त) के अधीन और दूसरा डिप्टी चीफ़ (एकाउन्ट्स के अधीन) । ये दोनों अलग अलग स्थितियों में काम करते हैं। और कोई अतिरिक्त खर्चा किये बिना ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है । और इस प्रबन्ध की सूचना हम ने प्राक्कलन समिति को दे दी है ।

जहां तक क्षतिपूर्ति देने की बात है मैं निवेदन करूंगा कि यातायात कई गुना बढ़ गया है । प्रत्येक ढोये जाने वाले माल का मूल्य भी बढ़ गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सामान का मुआवजा देने का जहां तक सम्बन्ध है, जितनी मात्रा में तथा जितनी कीमत का माल लिया गया है उस को देखते हुए जो क्षतिपूर्ति दी गई है उसका प्रतिशत कम ही रहा है। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें मुआवजा कम देना पड़े और इस प्रयोजन के लिये हम जोरदार आन्दोलन चला रहे हैं

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी मांगों को एक साथ रखूंगा ।

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
८	राजस्व—कार्यवहन व्यय कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त संचालन	२१,९५,१२५
१२	राजस्व—सामान्य राजस्व को देय लाभांश	३६,०६,९३२
१९.	**विविध प्रभार—विकास निधि . . . . .**	**४१२**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक

†**श्री सं० वें० रामस्वामी**: मैं, श्री जगजीवनराम की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१, मार्च, १९५१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे पर इस के लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधियों में से कुछ धन के विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री त० ब० विट्ठल राव : हम ५८ लाख रुपये की राशि पारित करने जा रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च १९५१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष रेलवे पर उस के लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ धन के विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री सें० वें० रामास्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री जगजीवन राम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे पर उस के लिए प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से विनियोजन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे पर उस के लिये प्राधिकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३, खंड १, अनुसूची अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३, खंड १, अनसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधान द्वारा दो महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का विचार है । एक परिवर्तन उत्पादन शुल्क लगाने की अधिकतम सीमा केसम्बन्ध में है। वर्तमान अधिकतम सीमा को १ रुपये प्रति टन से बढ़ाकर ४ रुपये प्रतिटन करने का विचार है । इसका एक कारण यह है कि खम्भों को गिरा कर अधिक मात्रा में कोयला निकालने की आवश्यकता है । खम्भों को गीराने के मामले में थाक लगाना जरूरी है ताकि छत गिरने न पाये । अनुमान है कि थाक लगाने के लिये रेत मिलने के संसाधन तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं और स्थिति यह आ गई है कि खानों को निरंतर रेत पहुंचाते रहने के लिये केन्द्रीय रज्जुपथ योजना को काम में लाना पड़े । अनुमान लगाया गया है कि इस योजना पर पूंजीगत व्यय काफ़ी अधिक होगा और इसका संचालन व्यय भी बहुत अधिक होगा, अतः यह ठीक समझा गया कि इस योजना को कोयला वोर्ड जैसी किसी सरकारी संस्था द्वारा चलाया जाये । इसका फल यह होगा कि खान मालिकों को थाक लगाने में जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसकी दर बढ़ानी होगा । अतः खर्च बढ़ेगा और इसी कारण उत्पादन शुल्क की दर बढ़ानी है । बहुत से प्राक्कलन आये हैं। टेन्डर भी आये हैं। इस पर लगभग १५ करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा । उत्तरदायित्व भी बढ़ जायेगा ।

एक और भी बात है । तटीय राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समुद्र द्वारा अधिक मात्रा में कोयला ढोने का निश्चय किया गया है । अनुमान है कि समुद्री मार्ग से ढुलाई का खर्च रेल की अपेक्षा अधिक होगा । जो अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का विचार है उसका कुछ भाग समुद्र द्वारा कोयले की ढुलाई में होने वाले अतिरिक्त खर्च को सरकारी आर्थिक सहायता देने के काम में लाया जायेगा ।

एक ऐसा उपबन्ध भी किया जा रहा है जिसके अनुसार निरीक्षण करने वाले अधिकारी सुरक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से लागू करवाने के लिये आदेश दे सकेंगे, यदि खानों की खुदाई के कारण खुदाई के स्थान के ऊपर की रेलवे लाइन या रेलवे सम्पत्ति को कोई खतरा पैदा हो जायेगा ।

वास्तव में तो मुख्य रूप से दो ही संशोधन हैं तीसरा तो वैधानिक सुधार की दृष्टि से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह (फीरोजाबाद) : ८६ नये पैसे से ९२ नये पैसे तक। इस समय आप कितनी वृद्धि कर रहे हैं।

†सरदार स्वर्ण सिंह : हो सकता है यह १ रुपये २० नये पैसे के लगभग हो। जहां तक भाड़े की दरों का प्रश्न है यह लीडस पर निर्भर होगा। अन्तर उतना नहीं होगा यदि वह समुद्र पथ से ले जाया जायगा। बम्बई और गुजरात के लिये किराया ज्यादा होगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : उत्पादन शुल्क को बढ़ाने के लिये माननीय सदस्य को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था। पहला अधिनियम जिस समय बनाया गया था उस समय हालात दूसरे प्रकार के थे। इस कानून से सरकार को १५ करोड़ रुपया अधिक की आय होगी। इसलिये इसे और गम्भीरता से लिया जाना चाहिये था।

स्टोइंग के लिये राजसहायता देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस काम को उचित ढंग से किया जाना चाहिये था।

एक खान के स्थान के निकट क्वार्टर बनाने का प्रश्न उठा था पर खानों के मुख्य निरीक्षक ने उसकी स्वीकृति नहीं दी क्योंकि उनका कहना था कि मिट्टी भरने के बाद भी जमीन नीचे धंसती है। वस्तुतः ऐसी होता है क्योंकि ठेकेदार मिट्टी भरने का काम ईमानदारी से नहीं करते। इन चीजों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। यदि मिट्टी ठीक ढंग से भरी जाय तो अनेक दुर्घटनायें न हों। अब यह काम ठीक ढंग पर न होने से खानों में आग लग जाती है जिसके फलस्वरूप लाखों रुपये की धन सम्पदा नष्ट हो जाती है। पिछले वर्ष ही करमचन्द थापर की खान में आग लगी थी। यह दुर्घटनायें रोकी जा सकती हैं यदि ठीक तरह पर काम किया जाय।

पहले कहा जाता था कि दामोदर नदी से हमें काफी रेत मिल सकेगी। इस कारण हमें उस नदी पर ज्यादा बांध नहीं बनाने चाहियें। हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस समस्या के अध्ययन के लिये देश के प्रसिद्ध खनिकों की एक समिति बनाये।

सुना जाता है कि केन्द्रीय रज्जुपथ पथ योजना को विदेशी सहायता से कार्यान्वित किया जायगा इसमें आपत्ति तो किसी को नहीं हो सकती परन्तु हमारा उद्देश्य तो यह है कि काम समय पर होना चाहिये। जो संशोधन रेलवे सम्पत्ति की रक्षा के लिये किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं।

अन्त में मैं सब से महत्वपूर्न बात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं अर्थात् कोयले के मूल्यों के बारे में। हमारी यह इच्छा है कि देश में कोयले के मूल्य एक समान कर दिये जायें। इसके लिये आपको ज्यादा से ज्यादा ८ रुपये की वृद्धि करनी होगी। इससे बंगाल बिहार के कुछ उद्योगों को भले ही नुकसान हो पर फायदा सारे देश को होगा। इसलिये समानता लाने में कोई हानि नहीं है।

†श्री अरविंद घोषाल (उलूबेरिया) : इस विधेयक का उद्देश्य एक रुपया से उत्पादन शुल्क बढ़ाकर चार रुपया करना है। इस वृद्धि के दो कारण हैं। एक तो मिट्टी भरने का व्यय पूरा करने के लिये और दूसरे कोयले के परिवहन के मामले में राजसहायता देने के लिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटनाओं आदि की रोकथाम के लिये मिट्टी की भरती बड़ी आवश्यक है। परन्तु जब इस के लिये राजसहायता लेने की बात खान मालिकों ने भी नहीं सोची तो इसे देने का फायदा ही क्या है। इसी तरह भाड़े में राजसहायता देने की बात भी उत्पादन शुल्क की वृद्धि के लिये ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होती। मैं इस वृद्धि का विरोध इस कारण से भी करता हूं क्योंकि मुझे खतरा है कि यह सारा भार उपभोक्ताओं के सिरों पर मढ़ा जायगा।

जहां तक कोयले के मूल्यों का प्रश्न है मैं इस हक में नहीं हूं कि कोयले के मूल्य सारे देश में एक जैसे किये जायें। इससे बंगाल के उद्योगों को क्षति पहुंचेगी।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

रेलवे की सम्पत्ति के बारे में जो संशोधन है मैं उसका स्वागत करता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : सभापति महोदय, इस बिल के द्वारा कोयले पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। हमेशा जब उपभोक्ता से, जनता के किसी हिस्से से सरकार को पैसा लेना हो तो वह बजट प्रस्तावों द्वारा लिया जाना चाहिये। इस प्रकार के बिलों में परिवर्तन करके वह बात नहीं की जानी चाहिये। लेकिन और भी अधिक आश्चर्यजनक और आपत्तिजनक बात यह है कि इस कानून के द्वारा जहां मंत्री महोदय १ रुपये प्रति टन से बढ़ा कर चार रुपये प्रति टन की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां यह बात भी अपने अधिकार में ले रहे हैं कि जब वह चाहें तो डेढ़ रुपये प्रति टन की ड्यूटी कर सकते हैं, जब चाहें दो रुपये प्रति टन की ड्यूटी कर सकते हैं और इस प्रकार जब चाहें अपने अधिकार से चार रुपये प्रति टन तक ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाने की बात हो तो सिद्धांततः वह सवाल संसद के सम्मुख आना चाहिये और संसद् को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि ड्यूटी बढ़ाना उचित है या नहीं।

मंत्री महोदय की तरफ से यह कहा जा सकता है कि पहले जो कानून बना था उसमें भी यह व्यवस्था थी कि नोटीफिकेशन द्वारा सरकार एक रुपये प्रति टन तक ड्यूटी लगा सकती थी। उन्होंने बजाये एक रुपये के अभी तक केवल ८८ नये पैसे या ९२ नये पैसे प्रति टन की ड्यूटी अलग अलग प्रकार के कोयले पर लगायी है। किन्तु पहले भी इस तरह की बात हो चुकी है इसलिये आज भी यह बात की जा रही है, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

इसलिये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रकार के कानून द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात कभी नहीं होनी चाहिये और खास तौर से ऐसी सूरत में जब कि नोटीफिकेशन के द्वारा आप इस तरह का अधिकार लेना चाहते हैं क्योंकि मुझे सन्देह है कि नोटीफिकेशन पर हम इस सदन में बहस कर सकेंगे। जो किसी कानून के अन्तर्गत नियम बनाये जाते हैं उनके लिये तो हमने ऐसी परम्परा का विकास कर लिया है कि उनको संसद् की मेज पर रखा जाये और अगर कोई माननीय सदस्य चाहे तो उन पर बहस की जा सकती है लेकिन जब आप नोटीफिकेशन द्वारा यह ड्यूटी बढ़ायेंगे तो उस पर हम इस संसद में बहस नहीं कर सकेंगे। आप जब भी ड्यूटी को बढ़ा कर १ रुपया २० नये पैसे या एक रुपया ५० नये पैसे या दो रुपये करना चाहेंगे तो आप नोटीफ़िकेशन जारी कर देंगे और संसद को कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वह अपने विचार व्यक्त कर सके कि यह ड्यूटी बढ़ाना आवश्यक था या नहीं। इस तरह आप चार रुपये तक ड्यूटी बढ़ा सकते हैं और जब तक आप इस सीमा से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

आगे नहीं जायेंगे तब तक संसद को इस पर अपने विचार प्रकट करने से इस कानून द्वारा रोक देंगे। जब मंत्री महोदय ड्यूटी को बढ़ा कर केवल १ रुपया २० नये पैसे या १ रुपया ५० नये पैसे करना चाहते हैं तो फिर उनको चार रुपये प्रति टन तक ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार लेने की क्या आवश्यकता थी। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें।

इसी के साथ साथ यह प्रश्न भी उठता है कि सरकार को अपनी कोयला ढोने की नीति पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। पिछले एक साल से हम देखते हैं कि कभी किसी एक जगह कोयले का अकाल पड़ता है तो कभी दूसरी जगह कोयले का अकाल पड़ता है। संसद में यह सवाल उठाया गया और प्रेस में चर्चा हुई। उसमें कहा गया कि रेल मंत्री और कोयला मंत्री में आपस में मतभेद है और फिर मंत्री महोदय श्री स्वर्ण सिंह को सदन में घोषणा करने की आवश्यकता पड़ी कि उनमें कोई मतभेद नहीं है। मैं चाहूंगा कि यदि कभी इस प्रकार का मतभेद मंत्रियों में आपस में हो तो उनको इस्तिफा देकर सरकार से अलग हो जाना चाहिये। केवल ऐसी घोषणा करने से काम नहीं चल सकता।

एक माननीय सदस्य : कोई मतभेद नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह : खुशी है कि मतभेद नहीं है। फिर भी कोयला ढोने की नीति स्पष्ट होनी चाहिए जिससे मालूम हो सके कि सारे देश में किस प्रकार कोयला पहुंचाया जा सकता है या उसके मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी नीति निर्धारित करने में अभी तक सरकार असफल रही है और जो आप इस कानून के द्वारा शिपिंग को चार करोड़ की सबसिडी कोयला ढोने के लिए देने की व्यवस्था करना चाहते हैं उससे कोयला ढोने की समस्या हल नहीं हो सकेगी। आप पानी के जहाजों द्वारा दस लाख टन कोयला ढोने की बात सोचते हैं लेकिन क्या दस लाख टन कयला जहाजों द्वारा ढोने से मुल्क की कोयले की समस्या हल हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का बिल माननीय मंत्री महोदय को सदन के सम्मुख लाना चाहिए था और उस पर विचार होना चाहिए था कि किस प्रकार कितना कितना कोयला रेल, सड़क और पानी द्वारा ढोया जा सकता है। इससे पहले भी सरकार के सामने इस प्रकार का सुझाव रखा जा चुका है कि रेल और पानी से जो कोयला ढोया जाएगा वह तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि रेल और पानी से कोयला ढोने के साथ साथ सरकार सड़क द्वारा कोयला ढोने की व्यवस्था भी करे। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने इस बात की जांच की और पता चलाया कि पानी के जहाज से कोयला ढोने से रेल के मुकाबले में इतना किराया ज्यादा लगेगा, क्या सरकार ने कोई इस प्रकार की भी जांच की है कि सड़क से कोयला ढोने में पानी के जहाज से कम किराया पड़ेगा या ज्यादा। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए क्योंकि जहाजों द्वारा दस लाख टन अतिरिक्त कोयले ढोने से देश की आवश्यकता पूरी न हो सकती और यह समस्या इस तरह हल नहीं हो सकेगी।

अभी हम साढ़े पांच करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम दस करोड़ टन कोयले का उत्पादन करने लगेंगे। हमको अभी से विचार करना होगा कि उस समय हम कोयले को किस प्रकार ढो सकेंगे । इस सारे प्रश्न पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले ही विचार होना चाहिए था। जब तक इस प्रश्न पर विचार नहीं होता तब तक बार बार देश में कोयले के संकट आते रहेंगे और देश में यह भावना फैलती रहेगी कि सरकार इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रही है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां हम यह सोचते हैं कि हम किस प्रकार रेलों से और जहाजों से ज्यादा कोयला ढो सकते हैं, वहां हमको सड़क यातायात का विकास कर के उसके द्वारा भी कोयला ढोने की सम्भावनाओं पर विचार करना चाहिय । जब सड़क द्वारा कोयला ढोने की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि सरकार सड़क द्वारा कोयला ढोने के प्रश्न पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहती । मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं लेकिन मैं समझता हूं कि पानी के जहाज से कोयला ढोने के मुकाबले में सड़क से कोयला ढोने में कम खर्चा पड़ेगा । मैं विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मैं इस प्रकार का संकेत सरकार के सामने रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच पड़ताल करे। मेरा सुझाव है कि इस कोयले ढोने की योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और हमको लक्ष्य स्थिर कर लेना चाहिए कि तीसरी योजना के काल में हम कितना कोयला रेल से ढो सकेंगे, कितना पानी के जहाज से ढो सकेंगे और कितना सड़क द्वारा ढो सकेंगे । यदि हम इस तरह के लक्ष्य स्थिर नहीं करेंगे तो हमको तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में कोयला ढोने के सम्बन्ध में हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोयला ढोने के लिए सरकार को किसी सुनिश्चित योजना पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें इस बारे में कई सुनिश्चित योजना बना लेनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की योजना के अभाव में कोयले की कमी के कारण देश के औद्योगिक उत्पादन में कमी पड़ जाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि न केवल सरकारी स्तर पर इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए बल्कि संसद को बार बार इस विषय में विश्वास में लिया जाना चाहिए, और यदि माननीय मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर विचार करना स्वीकार करें तो मैं कहना चाहूंगा कि संसद की एक छोटी सी कमेटी बनायी जाए जो इस प्रश्न पर विचार कर सके। यह न समझा जाना चाहिए कि ऐसा सरकार की आलोचना की दृष्टि से कहा जा रहा है । ऐसा करने से आपको कुछ मूल्यवान सुझाव मिल सकते हैं जिनसे आप अपनी समस्या को हल कर सकेंगे । मैं जानता हूं कि विशेषज्ञों की, खास तौर से सरकार के जो सेक्रेटरी लोग हैं, उनकी एक कमेटी कोयला ढोने के प्रश्न पर विचार करने के लिए बनी थी, उसने कुछ रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर विचार हुआ । लेकिन इसके साथ ही अगर सरकार संसद के कुछ माननीय सदस्यों की, जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया हुआ है, एक छोटी सी कमेटी बना दे और वह इस प्रश्न पर विचार करे तो सरकार को उससे किसी निश्चय पर पहुंचने में मदद ही मिलेगी । इसमें आलोचना का कोई सवाल नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह जो एक्साइज डयूटी में बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं उससे सरकार को सात करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होगी ।

———

भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अट्ठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा, जुलाई, १९५९ में मद्रास में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश पर, जो ७ दिसम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

इस चर्चा के आरम्भ में मैं कानपुर की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इस समय कानपुर में १०,००० श्रमिक हड़ताल पर हैं। स्वदेशी मिल वाले काम की अवधि बढ़ाना चाहते थे परन्तु यह चीज अवैध थी। इस पर कारखानेदारों ने कारखानें बन्द कर दिये। उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी प्रयास कर रहे हैं। परन्तु कांग्रेस के नेता उद्योगपतियों के चंदे से ही तो दल का काम चलाते हैं। इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र को कानपुर के हालात में एकदम दखल देकर कुछ न कुछ करना चाहिए अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी।

जहां पर सरकार को श्रमिकों तथा प्रबंधकों के सम्बन्धों को और ज्यादा अच्छा बनाने की आवश्यकता थी वहां पर अब यह बात सुनी जा रही है कि सरकार हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए कानून बना रही है।

अभी तक रेलवे और प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने ही लोग नौकरियों में वापस नहीं लिये गये हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक कार्य सरकार को शोभा नहीं देती। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है उनके मामलों की जांच एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के माध्यम से कराई जाये। सरकार ने उन आश्वासनों को आज तक क्रियान्वित नहीं किया जो कि स्वर्गीय पंडित पन्त ने सभा को दिये थे। यदि उन पर कार्यवाही की गयी होती तो आज ६४० आदमी पदच्युत न किये गये होते।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है उनके बारे में यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि इन्हीं लोगों ने मुस्लिम लीग को मजबूत किया था और अब यही लोग जनसंघ को मजबूत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह सच है या झूठ। मुझे जनसंघ की जीत पर खुशी नहीं। पर यदि कांग्रेस नई दिल्ली से जीतती तो इसका मतलब यह होता कि जनता कांग्रेस के कुकृत्यों का समर्थन करती है। वेतन आयोग ने कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय किया था। इसके अलावा प्रधान मंत्री स्वयं देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। केरल में इन लोगों ने मुस्लिम लीग से समझौते किये। इस कारण कर्मचारियों पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है।

मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। लोकतंत्रात्मक प्रणाली में यही चीज स्वस्थ्य होगी। वेतन आयोग की सारी बातों पर दुबारा विचार होना चाहिए।

अंत में मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि नेताओं को कर्मचारियों पर साम्प्रदायिकता के आरोप नहीं लगाने चाहिएं। छोटे कर्मचारी ही सरकार की रीढ की हड्डी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खान देश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :--

"यह सभा २४ और २५ सितम्बर, १९६० को नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के अठ्ठारहवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश पर, जिसे २१ दिसम्बर, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

मैं समझता हूँ कि अभी तक श्रमिक और नियोजक के संबंधों को ठीक ढंग पर चलाने का कोई प्रभावपूर्ण तरीका नहीं निकला है। इस सम्मेलन के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी नीतियां सम्मेलन में तय की गयी बात के विपरीत नहीं होंगी।

सबसे पहली चीज जो उस सम्मेलन में तय हुई वह यह थी कि झगड़ों को मध्यस्थ के भेजना चाहिए। परन्तु जब जब केन्द्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल की क्या तब ऐसी कोई चीज हुई। मैं इसका उत्तर चाहता हूं। केवल कानून बनाने से ही हड़तालों की समस्या हल नहीं हो सकती।

सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल के समय क्या आचरण किया। एक ओर तो इन सिद्धांतो की बात को रखा और दूसरी ओर अध्यादेश जारी किया। और यह काम अपने आप ही कर लिया। क्या सरकार इन बातों को अपनाना चाहती है या छोड़ना चाहती है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिना किसी प्रकार का समझौता किए सरकार का इस तरह की बातें करना निरर्थक है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सिद्धांत निश्चित किया है कि सरकारी विभागों में होने वाली हड़ताल पर क्या कार्यवाही की जायेगी। आपके पास इस समय भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवाद का निपटारा कर सके अतः आपका वार्षिक सम्मेलन निरर्थक है।

माननीय मंत्री ने सम्मेलन में कहा था कि विभागीय स्तर पर विवादों का निपटारा करने के लिये व्यवस्था करने का विचार है, मैं जानना चाहता हूँ कि व्यवस्था पूरी हो गयी है या नहीं।

क्या सरकार हड़ताल को गैर कानूनी करार देने के लिये विधान प्रस्तुत करने का विचार कर रही है। वस्तुतः सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच के विवादों में सरकार को विवाद को गैर कानूनी करार देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः इसके लिये विशेष प्रकार के मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था की जाय।

११ जुलाई की हड़ताल के पश्चात कुछ कार्मिक संघन से मान्यता छीन ली गई। मैं कार्मिक संघों को मान्यता देने के संबंध में सरकार की नीति जानना चाहता हूँ। १७वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इस संबंध में कुछ सिद्धांत निश्चित किये गये थे। उसमें कहा गया था कि अनुशाषन भंग के अपराध में कार्मिक संघ से एक वर्ष के लिये मान्यता छीनी जा सकती है। अतः कार्मिक संघों से केवल इसी आधार पर मान्यता हटा लेना कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया है, उनका दमन करता है, जिससे इन्टक को प्रोत्सोहन मिले। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उन कार्मिक संघों को अविलम्ब मान्यता प्रदान की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं उन कर्मचारियों के मामले लेता हूँ जिन्हें केवल हड़ताल में भाग लेने के अपराध में ही नौकरी से हटा दिया गया। मैं इनके मामले पुनः गृह-मंत्रालय के पास भेजने को तैयार हूं। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय प्रशासकीय मुख्याधिकारियों के पास इस आशय के आदेश जारी करेंगे कि जो लोग केवल हड़ताल में भाग लेने के अपराध में नौकरी से हटाये गये हैं उन्हें तत्काल में वापस ले लिया जाये।

सरकार विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के साथ होने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० मेल्कोटे** (रायचूर) : श्री स० म० बनर्जी ने कांग्रेस पर दुहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। निसंदेह कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं तथापि हमने उन्हें स्वीकार किया है। कांग्रेस सदेव सच्ची और ईमानदार रही है।

जहां तक स० म० बनर्जी का प्रश्न है सभी लोग जानते हैं कि इनकी सहानुभूति किस पक्ष के साथ है। उस पक्ष ने १९४२ में और १९४७ में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये गलत मार्ग अपनाया। इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हड़ताल अभी पिछले दिनों की गई थी वह बिल्कुल अनुचित थी। तथापि उन्हें यह विश्वास था कि अपनी शक्ति के बल पर वह जीत सकते हैं इसलिये उन्होंने यह अनुचित कार्य किया।

वस्तुतः वे सदस्य जो इस समय हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं वे ही वेतन आयोग की नियुक्ति, उसके गठन तथा सदस्यों के संबंध में सहमत हो गये थे। तथापि वे ही बद में वेतन आयोग के निष्कर्षों के विरुद्ध हो गये। ये वे उसके निष्कर्षों के विरुद्ध ही थे तो वे लोकतंत्रात्मक तरीकों से उनका विरोध कर सकते थे। तथापि इसके स्थान में उन्होंने हड़ताल की सूचना दे दी। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस विवाद में सरकार और कर्मचारियों ने अपना झगड़ा वेतन आयोग को सोंप दिया था अतः वेतन आयोग के निष्कर्षों को अवश्य स्वीकार करना चाहिये था।

इस पक्ष के सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों को गुमराह किया उसके फलस्वरूप आज ६०० से अधिक सरकारी कर्मचारी कठिनाई में पड़ गये हैं। ऐसे समय ये ही लोग उनका इस प्रकार समर्थन कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई उचित कार्य किया हो। निसंदेह सरकार को इस मामले में बहुत सावधानी से निर्णय करने चाहियें जिससे कि वे लोग पुनः ऐसा करने का साहस न कर सकें।

ऐसे समय जब कि हम देश में योजनायें बना रहे हैं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं हमें ऐसी व्यापक हड़तालों को रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये तथा हमें ऐसी हड़तालों को केवल सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण से नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के हित की दृष्टि से विचार करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखें तथा हड़ताल के सिलसिले में केवल उन्हीं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही की है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों के बीच एक अन्तर है : औद्योगिक उपक्रम कर्मचारियों के लाभ कमाने के लिये नियुक्त करते हैं जबकि सरकार प्रशासन के संचालन के लिये कर्मचारी नियुक्त करती है। अतः सरकारी कर्मचारियों का सरकार के प्रति सच्चा रहना पहिली शर्त है। तथापि यदि आप यह कहने लआप हमारा वेतन नहीं बढ़ायगे तो हम काम करना छोड़ देंगे। यह स्थिति उचित नहीं कही जा सकती है।

अपना कर्त्तव्य न कर सरकार पर आघात करना और सरकार के प्रयोजन को असफल बना देना गम्भीर अपराध है।

उस समय हमारे राष्ट्र को तीन दिशाओं से खतरा था। पहिला सीमांत से। दूसरा अनुसूचित जातियों से। वस्तुतः इन्होंने अनुसूचित जातियों को उकसाने का पूरा प्रयत्न किया। तथापि वे भी इनके कब्जे में नहीं आये तत्पश्चात उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को उकसाया। तथापि जब उन्हें भी यह ज्ञात हुआ कि ये लोग उनके कल्याण के लिये नहीं बाहरी उददेश्य के लिये सब कुछ कर रहेहैं तो हड़ताल भी असफल हो गई।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करे।

†**श्री नारायणन् कट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : डा० मेल्कोटे का यह कहना गलत है कि वेतन आयोग का निर्णय एक न्यायिक निर्णय था। वस्तुतः वेतन आयोग की अपनी सीमायें थीं। उस के निर्देश पद बहुत सीमित थे। इस के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने, जो पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में हुए निर्णयों से सहमत थी, उस ने वेतन आयोग को यह लिखा कि मंत्रालय उक्त सम्मेलन के निर्णयों को स्वीकार करने को वाध्य नहीं है।

वस्तुतः हड़ताल को राजनैतिक कहना ही गलत है। केवल विरोधी प्रचार करने को ऐसा कहा गया है। सरकार ने हड़ताल के पूर्व जो अध्यादेश जारी किया वह बिल्कुल अनुचित था। सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के आधार पर ही हड़ताल का सामना कर सकती थी। अध्यादेश से स्पष्ट हो गया है कि सरकार विवाद को मध्यस्थ या न्यायनिर्णयण के द्वारा नहीं निपटाना चाहती है।

दुःख की बात है कि श्रम मंत्री ने जो कि श्रमिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक हैं उन्होंने अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिस से कि विवाद के संबंध में विरोधी पक्षों के बीच बातचीत हो सके। उन के विभाग ने हड़ताल के पश्चात् से आज तक एक भी मामले की इस दृष्टिकोण से जांच नहीं की कि क्या हड़तालियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने अठारहवें श्रम सम्मेलन में जो आश्वासन दिये थे उन्हें भी आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया। इस से श्रमिकों में असंतोष बढ़ता जा

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है । यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो स्थिति विस्फोटक हो जायेगी । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कर्मचारी संगठनों के साथ सामान्य सम्पर्कों की स्थापना तथा ह्विटले परिषदों की स्थापना संबंधी विधेयक कब प्रस्तुत किया जा रहा है ?

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मुझे दुख है कि सभा में हड़ताल के कारणों तथा उस के नतीजों का पूरी तरह विश्लेषण हो जाने के पश्चात भी श्रम मंत्री ने यह कहा कि भले ही हड़ताल का उद्देश्य राजनैतिक न रहा हो तथाप यदि यह हड़ताल सफल हो जाती तो, सामान्य प्रशासन , अर्थव्यवस्था और जनता का सामान्य जीवन ठप्प हो जाता ।

वस्तुतः हम सभा में तथा बाहर भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हड़ताल केवल एक कार्मिक संघ संबंधी विवाद था तथा उस के पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं था ।

यह कहना कि हड़ताल सफल, होने पर भारत सरकार ठप्प हो जाती बिल्कुल गलत है, इस से मंत्री महोदय का देश के संघीय संविधान के संबंध में अल्प ज्ञान प्रतीत होता है हड़ताल केवल संघीय कर्मचारियों तक ही सीमित थी। राज्य सरकारों के कर्मचारी सेना तथा पुलिस उस में शामिल नहीं थे। तब भला सरकार किस प्रकार ठप्प हो सकती थी।

हम ने देश के प्रति कोई गद्दारी नहीं की। हम ने सरकार के प्राधिकार को चुनौती भी नहीं दी । एक भी कर्मचारी पर हिंसा और ध्वंसात्मक कार्यों का अपराध सिद्ध नहीं हुआ । तब यह कहना निराधार है कि हड़ताल राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये की गयी थी ।

सरकार को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि हड़ताल की असफलता का कारण यह नहीं था कि हड़ताल को कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त नहीं था अपितु उस के असफल होने का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने हड़ताल कुचलने के उद्देश्य से अपने हाथों में मनमानी शक्तियां ग्रहण कर ली थीं। वस्तुतः ऐसा कर के सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुईं]

मैं आपको कर्मचारियों के प्रति किये गये कुछ अन्यायपूर्ण बातें बताना चाहता हूं । बिहार में कुछ रेलवे कर्मचारियों को जंजीर से बांध कर सारी कालोनी में घुमाया गया। जलंधर में उन पर यह आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। गुंडों को लाकर रेलवे कर्मचारियों को नंगा कर के पिटवाया गया । मैं यह सारी बातें इस कारण कह रहा हूं कि यह भ्रांति दूर हो जायें कि हड़ताल का कोई राजनैतिक उद्देश्य था।

†मूल अंग्रेजी में

हड़ताल के बाद से लगभग ६०० कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है । उन में से एक भी कर्मचारी के विरुद्ध हिंसा करने का आरोप नहीं था । पिछले ६ महीनों से हम अपीलें कर रहे हैं तथापि कोई सुनवाई नहीं हो रही है । अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस प्रकार का उत्पीड़न करना छोड़ देवें । सभी कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रख लिया जाये । कार्मिक संघों से इस आधार पर मान्यता छीन लेना कि उन्होंने हड़ताल पर भाग लिया है अनुचित है । अतः सभी कार्मिक संघों को तत्काल मान्यता दी जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : एक बात जो आज के युग में स्पष्ट ही है कि संचार और परिवहन के गड़बड़ हो जाने से सरकार की सारी मशीनरी हिल उठती है । सारे देश का जीवन खतरे में पड़ जाता है । देश को निर्माण की राह पर आगे ले जाने के स्थान पर हम हड़तालों और तोड़ फोड़ की बातें कर रहे हैं । मेरे दिल में श्रम नेताओं के लिए बहुत ही आदर है परन्तु जो कुछ वे कर रहे हैं वह देश के हित में नहीं है । मैं इन श्रम नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वे देश में विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था का ध्यान रखें ।

मेरा निवेदन है कि श्रम सम्मेलन से काफी लाभ हुआ है । हमारे माननीय मंत्री महोदय ने मजूरी बोर्डों की स्थापना की है । लाभांश आयोग बनाया है । क्या इसका कोई महत्व नहीं है ? मेरा विचार है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के १७वें और १८वें प्रतिवेदन पर विचार तीसरी योजना के महान प्रयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाय, जिसका कि हम श्रीं गणेश करने जा रहे हैं । सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारियों को कुछ आवश्यक काम करने में अनुचित विलम्ब नहीं होना चाहिए ।

श्रम मंत्री महोदय को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें यदा कदा एक छोटा श्रम सम्मेलन आयोजित करना चाहिए और उस में इस सदन के श्रम नेताओं को सम्मिलित होने का निमंत्रण देना चाहिए । इस सम्मेलन में उन्हें अपने विचार और शिकायतें व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए । मुझे आशा है कि इस से श्रमिकों का काफी हित हो सकता है ।

†**श्रम और योजना तथा रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मेरा विचार था कि शीघ्र अपनी बात समाप्त कर लूंगा परन्तु अब मेरा विचार है कि सारी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बात आ गयी है तो मुझे श्री नाथ पाई की बातों का उत्तर देना ही होगा । यह हड़ताल राजनीतिक थी कि नहीं इस बात को उन्होंने पुनः छेड़ दिया है । मेरा निवेदन है कि जब कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो चुकी थी, तो उस के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । सरकार ने कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशों से जिन मामलों में कर्मचारियों का अहित होता है, उन में आवश्यक परिवर्तन कर दिया जायेगा । सरकार ने यह भी कहा था कि यदि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका मंहगाई भत्ता बढ़ाना आवश्यक हो जायेगा, तो इस मामले में भी सरकार कर्मचारियों के साथ समुचित न्याय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

सरकार ने तो यह भी कहा था कि न्याय निर्णयन की भी व्यवस्था कर दी जायेगी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मामले में मिलजुल कर पर म करने की भी व्यवस्था कर दी जायेगी। सरकार इस बात के लिये भी तैयार थी कि विभिन्न वि के प्रतिनिधियों की एक समिति अथवा संस्था आदि बनाने के प्रबन्ध भी कर दिये जायेंगे। महंगाई भत्ते को जीवनयापन व्यय के साथ सम्बद्ध करने की मांग आयोग के निर्देशपद के बाहर की बात थी। इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकते थे। मेरा कहना है कि इस नाजुक अवसर पर कर्मचारियों के नेता अपने कर्त्तव्य को निबाहने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी वर्ग को हानि उठानी पड़ी। सरकार को अध्यादेश इसलिये निकालना पड़ा कि सरकार यह नहीं चाहती थी कि उसका सारा कारबार ठप्प हो जाये और यदि हड़ताल सफल हो जाती, तो ऐसा ही होता।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि हड़ताल के बाद कर्मचारियों के साथ सख्ती का व्यवहार किया गया है। स्थिति यह है कि न कोई सख्ती बरती गयी है और न उनसे कोई बदला लेने वाली बात की गयी। यह स्थिति इस बात से भी प्रकट हो जाती है कि डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के १७,७०० मामलों में से अब केवल छः मामले ही ऐसे हैं जिनका अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासन के सम्बन्धों को विनियमित करने हेतु एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इस दिशा में एक योजना तैयार कर ली गयी है। इस योजना पर विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जा रहा है। यह व्यवस्था ह्विटले कौंसिलों के आधार पर होगी। गम्भीरता पूर्वक विचार करके इसके कार्यक्षेत्र की परिभाषा निर्धारित की जा रही है। विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श समाप्त हो जाने के बाद इस योजना को प्रभावी बनाने के लिये विधान पेश किया जायेगा। इस योजना की मुख्य बात यह होगी कि इसमें मध्यस्थ निर्णय की शर्त अनिवार्य होगी। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया जायेगा कि हड़ताल की जरूरत ही नहीं होगी। कार्मिक संघों की मान्यता हमेशा के लिये वापिस नहीं ली जा सकती। और चर्चा समाप्त हो जाने के बाद इस संबंध में कुछ किया जायेगा। कर्मचारियों के संघों में बाहर के आदमी रहें अथवा न रहें, इस प्रश्न का निर्णय भी उनकी राय के आधार पर किया जायेगा।

यह बात भी कही गयी है कि सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों को नहीं मान रही है। यह बात निराधार है। श्रम सम्मेलन के निर्णयों को न मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्थायी श्रम समिति सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुये एक अनुशासन संहिता के निर्माण करने में सहमत हो गयी है। सरकार का प्रत्येक विभाग अनुशासन संहिता से सहमत हो गया है। इस संहिता के संचालन में कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं, परन्तु सामूहिक रूप से यह अच्छी ही चल रही है। मेरे विचार में मैंने विभिन्न बातों का समुचित उत्तर दे दिया है।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : यह जो बातचीत चल रही है इसमें कितना समय लगेगा और इसमें किस-किस से परामर्श लिया जायेगा। क्या अखिल भारतीय रेलवे संघ को परामर्श देने के लिये बुलाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : हम सभी सम्बद्ध लोगों से परामर्श करेंगे। संघ के रूप में हम किसी से नहीं मिलेंगे। यदि हमारा सिद्धांत के बारे में एक मत हो गया तो इस दिशा में प्रत्येक प्रकार की शीघ्रता से कार्य किया जायेगा और यदि कुछ सन्देह पैदा हो गये तो शायद कुछ कठिनाइयां आये और मामला कुछ लेट हो जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने हमारे सन्देहों को दूर करने का प्रयत्न किया है। इसके लिये हम उनके धन्यवादी हैं। हड़ताल के संबंध में मेरा निवेदन है कि सरकार उस समय अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय से काम ले सकती थी परन्तु उसने अध्यादेश से काम लिया। मैं तो यह मांग करता हूं कि हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है उनके मामलों की समीक्षा के लिये एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये। केन्द्रीय सरकार को कानपुर के श्रमिकों के विवादों में हस्तक्षेप करना चाहिये। उन श्रमिकों को काम बढ़ाने और तालाबन्दी करने की धमकी दी गयी है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरा निवेदन है कि यदि मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था कर दी जाये तो हड़ताल की वास्तव में कोई आवश्यकता ही न रहेगी। प्रत्येक समस्या को इस साधन से सुलझाया जायेगा। अब जबकि इसके लिये योजना बनाई जा रही है मेरा निवेदन यह है कि जिन संघों की मान्यता रद्द की गयी है उन्हें मान्यता प्रदान की जाये ताकि अच्छा वातावरण बन सके और सभी वर्गों के लोग प्रसन्नता से इस योजना का स्वागत करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब प्रस्तावों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जुलाई, १९५९ में मद्रास में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश पर, जो ७ दिसम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा २४ और २५ सितम्बर, १९६० को नयी दिल्ली में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के अट्ठारहवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश पर जो, २१ दिसम्बर, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् लोक-सभा बुधवार, मई ३, १९६१। बैशाख १३, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

मंगलवार २ मई, १९६१.

१२ वैशाख, १८८३ (शक)

विषय–सूची **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ६६७५–९७

तारांकित
प्रश्न संख्या

१८३३	पंजाब में जाली पारपत्रों के मामले	६६७५—७७
१८३४	ट्राम्बे में उर्वरक कारखाना . . .	६६७७—७९
१८३५	औद्योगिक सोडियम सल्फेट का कारखाना	६६७९
१८३६	श्रमिक-प्रबन्धक सहयोग योजना	६६७९–८०
१८३८	उत्तर कोरिया को क्रोम का निर्यात	६६८०–८१
१८४०	द्वितीय कृषि श्रमिक जांच .	६६८१—८४
१८४१	लन्दन में भारतीय लड़के के साथ दास के समान व्यवहार	६६८४—८६
१८४२	एक समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा नागा हिल्स की यात्रा	६६८६—८८
१८४३	नेहरू–दलाई लामा वार्ता .	६६८८—९०
१८४४	लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक संबंध	६६९०–९१
१८४६	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विषणन संघ	६६९१–९२
१८४७	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय मछुओं का अपहरण	६६९२—९४
१८४८	कांगो को भारतीय सैनिकों का विमानों द्वारा ले जाया जाना	६६९४
१८४९	फेनी नदी .	६६९४–९५
१८५०	परती जमीन का वितरण	६६९५—९७

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१५	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों से ऋणों की वसूली .	६६९८–६७०२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६७०२–४१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८३७	नागालैंड और आसाम के बीच सीमा विवाद	६७०२
१८३९	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	६७०२–०३
१८४५	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२	६७०३
१८५१	समाचारपत्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	६७०३
१८५२	उर्वरकों का उत्पादन	३७०३–०४
१८५३	पांडिचेरी	६७०४
१८५४	आयात के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन	६७०४–०५
१८५५	वस्त्र-उद्योग संबंधी कार्यकारी दल	६७०५
१८५६	भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात	६७०५
१८५७	सूत बैंक	६७०६
१८५८	अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संस्था द्वारा हड़ताल	६७०६
१८५९	कांगो में भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव	६७०७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४२५०	स्नातकों के रोजगार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	६७०७
४२५१	सारसापरिला का निर्यात	६७०७–०८
४२५२	केप्स्यूलों का निर्माण	६७०८
४२५३	प्लास्टिक की चद्दरें	६७०८–०९
४२५४	सिक्किम में राजनीतिक पदाधिकारी	६७०९
४२५५	छोटे पैमाने के उद्योग	६७०९
४२५६	मैट्टूर में अल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना	६७०९–१०
४२५७	पंजाब में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति	६७१०
४२५८	पंजाब के पहाड़ी जिलों का विकास	६७११
४२५९	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	६७११
४२६०	कोयला-क्षेत्रों में मलेरिया	६७११
४२६१	कोयला-खनिकों की शिक्षा	६७१२
४२६२	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग	६७१२
४२६३	रबड़ की कीमतें	६७१२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४२६४	कपड़े तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में तीन पारियों में कार्य .	६७१३
४२६५	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये लेखा परीक्षकों की तालिका .	६७१३
४२६६	ग्रामवासियों को सस्ते दामों पर स्वदेशी भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं का दिया जाना . .	६७१३–१४
४२६७	जमींदारी उन्मूलन .	६७१४
४२६८	सरकार द्वारा निर्मित इमारतें . .	६७१४–१५
४२६९	सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	६७१५
४२७०	उड़ीसा में खादी का उत्पादन	६७१५–१६
४२७१	मजदूर की मृत्यु	६७१६
४२७२	भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता को दी गयी सहायता .	६७१६
४२७३	बोकारो-कारगली-कथरा कोयला खानों के लिए जल सम्भरण योजना	६७१७
४२७४	प्रकाशन विभाग और आकाशवाणी में सम्पादकीय कर्मचारी .	६७१७
४२७५	मद्रास में स्पन पाइप के निर्माण का कारखाना	६७१७
४२७६	निष्क्रांत सम्पत्ति . .	६७१७–१८
४२७७	आसाम राइफल्स	६७१८
४२७८	राज्य व्यापार निगम	६७१८–१९
४२७९	अशोक होटल में आरक्षण .	६७१९
४२८०	पश्चिम बंगाल में आसाम के शरणार्थी	६७१९–२०
४२८१	उर्वरक कारखाने	६७२०–२१
४२८२	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के "बेस" अस्पतालों में एक्स-रे संयंत्र . .	६७२१–२२
४२८३	जिरो हाई स्कूल (नेफा) . . .	६७२२
४२८४	व्यापारिका फर्मों को नयी चीजों के उत्पादन के लिए लाइसेंस	६७२२–२३
४२८५	श्री सयाजी जुबिली काटन एण्ड जूट मिल्स, सिद्धपुर .	६७२३
४२८६	औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी गोष्ठी	६७२३
४२८७	गंगटोक में तिब्बत से काश्मीरी मुसलमान .	६७२३
४२८८	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड . . .	६७२४
४२८९	सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान .	६७२४–२५
४२९०	सरकारी इमारतों का वातानुकूलन .	६७२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४२९१	दिल्ली/नई दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति . . .	६७२५–२६
४२९२	निर्यातकों की दीर्घ कालीन ऋण दिये जाने के प्रश्न की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट	६७२६
४२९३	उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास .	६७२६
४२९४	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की समस्यायें	६७२६–२७
४२९५	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट	६७२७
४२९६	दिल्ली में प्रदर्शनियां . .	६७२७
४२९७	काम दिलाऊ दफ्तरों में हिन्दी के फार्मों का प्रयोग . .	६७२८
४२९८	दिल्ली में काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा हिन्दी में पत्र-व्यवहार	६७२८
४२९९	हिन्दी में भेजे गये पत्र . . .	६७२८–२९
४३००	कोयला खान औद्योगिक विवाद .	६७२९
४३०१	संघ लोक सेवा आयोग के लिये स्थान	६७२९
४३०२	रेडियो आइसोटोप्स	६७३०
४३०३	पूर्वी पाकिस्तान से सूखी मछली का आयात .	६७३०–३१
४३०४	विनय नगर के दूकानदार . .	६७३१
४३०५	आकाशवाणी का चीनी यूनिट . .	६७३१
४३०६	कस्तूरबा नगर में नालियां . .	६७३२
४३०७	मजदूर संघों को हिन्दी में पत्र लिखना .	६७३२
४३०८	क्वार्टर मिलने की सूचना हिन्दी में भेजना . .	६७३२–३३
४३०९	मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट .	६७३३
४३१०	मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी .	६७३३
४३११	मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय द्वारा निकाले गये हिन्दी परिपत्र .	६७३३–३४
४३१२	राजस्थान में अणुशक्ति केन्द्र .	६७३४
४३१३	आसाम के लिए सीमेंट . . .	६७३४–३५
४३१४	कपिल टैक्सटाइल मिल्स, नानपानगुडा (मैसूर) .	६७३५–३६
४३१५	पुनर्वास उद्योग निगम . .	६७३६
४३१६	सिलाई की मशीनों का निर्यात . . .	६७३६–३७
४३१७	सिलाई की मशीनों का उत्पादन	६५ ३७
४३१८	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर . .	६७

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४३१९	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण	६७३८
४३२०	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार में ट्रैक्टर	६७३८
४३२१	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार . .	६७३८
४३२२	औद्योगिक दुर्घटनायें . . .	६७३९
४३२३	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान .	६७३९–४०
४३२४	आसाम में मोटर के टायरों की कमी . .	६७४०
४३२५	कपड़ा मिलें . . .	६७४०–४१
४३२६	हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	६७४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६७४१–४३

श्री बड़ा कुमार प्रताप गंग देव बामरा ने उड़ीसा के ढेन्कनाल जिले के अंगुल-सब-डिवीजन के लोगों से "वैधकरण शुल्क" की वसूली की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६७४३–४५

(१) कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की कमी के बारे में एक वक्तव्य ।

(२) उड़ीसा जायदाद समापन अधिनियम, १९५१ की धारा ४७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उड़ीसा जायदाद समापन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करनी वाली दिनांक १६ सितम्बर, १९६० के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ३८९८९–ई० ए०–२—३९/६० आर० की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय, अधिनियम, १९५६ की धारा ३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६० के लिये प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वार्षिक प्रति-वेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये भारतीय हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(चार) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, बर्दवान के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(पांच) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या १५(१) मेट/६० जिसके द्वारा मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया की देय उचित मूल्य से सम्बन्धित दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ के संकल्प संख्या १५ (१५) मेट/५८ के पैराग्राफ २(६) में दिये गये सरकार के निश्चय में संशोधन किया गया है।

(४) भारतीय बायलर्स अधिनियम, १९२३ की धारा २०-क के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९० में प्रकाशित केन्द्रीय बायलर्स बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(५) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा और प्रचार के बारे में एक वक्तव्य।

विधेयक—पुरस्थापित ६७४५

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६१

विधेयक पारित एक ६७४६–५०

१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्त-कार सहायता विधेयक, १९६१ पर खंडवार अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

२. परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

३. विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१ पुरस्थापित किया गया, वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक पर विचार किया जाये, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

४. विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१ पुरस्थापित किया गया। रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक पर विचार किया जाये, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . . ६७५०--६३

१. आयव्ययक (सामान्य) १९५८-५९ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

२. आय व्ययक (रेलवे) १९५८-५९ की सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

विधेयक विचाराधीन ६७६३--७

इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक १९६१ पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव . ६७६८--७५

सर्वश्री स० मो० बनर्जी तथा नौशीर भरूचा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें और अठारहवें अधिवेशन के मुख्य निर्णयों पर विचार किया जाये। सर्वश्री स० मो० बनर्जी तथा नौशीर भरूचा के वाद विवाद का उत्तर देने के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

१. कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक, १९६१ पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना।

२. दिल्ली दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, १९६१ राज्य सभा द्वारा पारित रूप में और सालार जंग संग्रहालय विधेयक १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर चर्चा तथा इनका पारित किया जाना

GMGIPND—LSIII—579(Ai)LSD—4-7-63—125.

श्री वारियर . ६७५३

चौधरी रणवीर सिंह . ६७५३—५५

श्री मुहीउद्दीन . . ६७५५

श्री ब० रा० भगत . . . ६७५६—५८

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१—पारित . . . ६७५८–५९

अतिरिक्त अनदानों की मांगें (रेलवे) १९५८–५९ . . . ६७५९

श्री से० वें० रामस्वामी ६७६०–६१

श्री त० ब० विट्ठल राव ६७६०

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१—पारित . . ६७६१—६३

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ६७६३—६७

सरदार स्वर्ण सिंह ६७६३–६४

श्री त० ब० विट्ठल राव . ६७६४

श्री अरविन्द घोषाल . . ६७६४–६५

श्री ब्रजराज सिंह . . . . . ६७६५—६७

भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव . ६७६८

श्री स० मो० बनर्जी . ६७६८

श्री नौशीर भरूचा ६७६९–७०

डा० मेलकोटे . ६७७०

पंडित कृ० चं० शर्मा . ६७७१

श्री नारायणन कुट्टि मेनन . . ६७७१–७२

श्री नाथ पाई . ६७७२–७३

श्री दी० चं० शर्मा ६७७३

श्री नन्दा . . . . . ६७७३—७५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६७७६—८२

PLS. 41 LV. 58. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।